द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक २०

६ दिसम्बर, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

279 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ९--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९–१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . १०२६–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०–७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र– १०७३–७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलावार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां–तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५–९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . १०९१–९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४–९७, ११००–०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७–११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६–११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ ११११–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०

खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०

पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५

दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०

खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक १४१२–३९

खण्डवार विचार १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . ९४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉंस्टग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को निमंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . .	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६--सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३ और ६९५ से ६९९	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९१२ से ९३०, ९३२ से ९३६ और ९३९ से ९७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति--	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक-- पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में १६०३–०६

विचार करने का प्रस्ताव १६०३
खंडवार विचार १६०६
पारित करने का प्रस्ताव १६०६
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०–१६
दैनिक संक्षेपिका १६१७–२१

अंक १७—मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२९, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . १६२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . १६४८–५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . १६५९–८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में . . . १६९०
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१–१७३०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . १७३०
काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०–३४
दैनिक संक्षेपिका १७३५–४०

अंक १८—बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ १७४१–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ १७६८–७७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ .	१७७७–१८१३
जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में	१८१३–१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८१४
राज्य-सभा से सन्देश	१८१४
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१८१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार	१८१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . .	१८१५–१६
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . .	१८१६
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	१८१६
पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	१८१६–२६
विचार करने का प्रस्ताव	१८१६
खण्ड १ से ८	१८२५
पारित करने का प्रस्ताव	१८२५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक .	१८२६–२७
विचार करने का प्रस्ताव	१८२६
खण्ड १ से ३	१८२७
पारित करने का प्रस्ताव	१८२७
जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१८२८–४८
दैनिक संक्षेपिका	१८४९–५४

अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . .	१८५५–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . १८८२–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० १८८५–१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित १९१७–१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . १९१९–२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— १९२०–३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . १९३१–३२

पारित करने का प्रस्ताव . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक १९३२–४६

विचार करने का प्रस्ताव १९३२

खंड १ से ७ . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९४६–५१

विचार करने का प्रस्ताव १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका १९५२–५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ १९५७–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९८४–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ १९८५–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ १९९८–२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०३३–३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

	पृष्ठ
आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य	१०३५
भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	२०३६
दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	२०३६
संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२०३६–३७
सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित	२०३७
डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित	२०३७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	२०३८
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —	
विचार के लिये प्रस्ताव	२०३८–५५
खण्ड २ से १८ तथा १ . .	२०४६–५४
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव	२०५४
मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२०५५–५६
समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित	२०५६
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव .	२०५६–६३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिए प्रस्ताव .	२०६३–७१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	२०७१–७३
आधे घंटे की चर्चा—	
खाद्यान्नों पर अग्रिम धन	२०७३–७७
दैनिक संक्षेपिका	२०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

खाद्यान्नों की वसूली

+

†*८४६. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किस प्रकार का है;

(ग) क्या कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (घ). इस समय चावल की वसूली आन्ध्र, पंजाब और उड़ीसा में की जा रही है । आन्ध्र में उसकी वसूली तीन डेल्टा जिलों में प्रचलित अधिकतम नियंत्रण मूल्यों पर की जा रही है, आंशिक रूप में अधियाचना द्वारा और आंशिक रूप में ऐच्छिक खरीद के आधार पर। पंजाब और उड़ीसा में खरीदें उन लोगों से निर्धारित वसूली मूल्यों पर की जा रही हैं जो इन मूल्यों पर विक्रय करने को तैयार होते हैं । किसी भी अन्य राज्य में खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या इसके कोई वैध कारण है कि सरकार द्वारा अन्य राज्यों में वसूली क्यों नहीं की जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** वसूली मुख्यतः अतिरेक क्षेत्रों में वांछनीय है । पंजाब, उड़ीसा और आन्ध्र अतिरेक क्षेत्र हैं और हम वहां वसूली कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार अन्य अतिरेक क्षेत्रों से अधिक वसूली के संबंध में राज्यों को नए प्रस्तावों का सुझाव रखने का विचार कर रही है ? क्या उन अतिरेक क्षेत्रों में आंशिक रूप में वसूली प्रारंभ की गई है अथवा क्या उस क्षेत्र से समस्त अतिरेक वसूल कर लिया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम केवल इन तीन राज्यों में वसूली कर रहे हैं। यह सच है कि जैसी हमारी स्थिति है उसमें हमें अपने आंतरिक संसाधनों का यथा-संभव अधिकतम उपयोग करना चाहिए क्योंकि चावल की स्थिति कठिन है। उड़ीसा में भी, चाहे वहां इस वर्ष कोई अतिरेक न भी हो, राज्य सरकार किसी नाजुक समय के लिए एक रक्षित स्टाक बनाने के लिए १० लाख मन धान खरीदने का प्रताव कर रही है। मध्य प्रदेश में जोकि एक अतिरेक क्षेत्र है, जैसा कि सदन को ज्ञात है, स्थिति बहुत कठिन है। चावल के संबंध में देश की सामान्य स्थिति कठिन है और ऐसे क्षेत्रों में वसूली पर जोर देना संभव नहीं होगा जिनमें अधिक मात्रा प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** पंजाब में चावल का भाव कैसे निर्धारित किया गया है ; क्या यह सच नहीं है कि चावल उत्पादकों ने भाव निर्धारण के तरीके के विरुद्ध शिकायत की है ?

†**श्री अ० म० थामस :** पंजाब में भाव का निश्चय राज्य सरकार के साथ परामर्श से किया गया है चावल का भाव दारा किस्म का १६ रुपए ८ आने, सेला जोशी १८ रुपए ८ आने, बेगमी १८ रुपए, बासमती २४ रुपए ८ आने है। जैसा कि सदन को ज्ञात है स्वयं खाद्यान्न जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अस्थायी तौर से चालू वर्ष के लिए जो मूल्य भुगतान किया जाएगा उसका निश्चय धान के लिए ९ रुपए ४ आने और ११ रुपए ४ आने प्रतिमन के बीच में और चावल के लिए १५ रुपए और १७ रुपए प्रतिमन के बीच किया जाना है। इस तरह खाद्यान्न समिति द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों को तुलना में यह मूल्य उचित है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** आन्ध्र में दो तरह की वसूली, अधियाचना एवं ऐच्छिक खरीद, क्यों लागू है तथा इन दोनों के लिए क्या भाव निश्चित किए गए हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** मूल्य एक ही है। बात केवल यह है कि जब लोग ऐच्छिक आधार पर देने को तैयार हैं तो हम उनसे स्वीकार कर लेंगे। मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक आन्ध्र में वर्तमान मूल्य का संबंध है, हमने १४–९–५७ से नियंत्रित दरों पर मूल्य निश्चित किए हैं और ये दरें निम्न प्रकार हैं : बढ़िया चावल १९ रुपए ८ आने, २०–४, २०–१२, २१–८ और १९; और मोटी किस्म का विभिन्न किस्मों के लिए १७ रुपए, १७–८, १७–८, १८–४, १८–८, १७–८, १८–४।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। कल या परसों ही खाद्यान्न संबंधी बहस हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी

+

†*८४७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री तिम्मय्या :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या रेलवे मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपनी श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में तरक्की के अवसरों का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि वह अपना कार्य फरवरी, १९५८ तक पूर्ण कर सकेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या समिति ने कोई परिप्रश्नावली जारी की थी और कोई साक्ष्य मांगे थे; और यदि हां, तो परिप्रश्नावली किस प्रकार की थी और किस प्रकार के साक्षियों के बयान लिए गए हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** समिति ने अगस्त में एक परिप्रश्नावली जारी की थी और वह साक्षियों के बयान अभी तक ले रही है । वह बहुत से साक्षियों के बयान ले चुकी है । वह रेलवे संघों के लोगों और किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों से जो साक्ष्य देने के लिए तैयार हों, भेंट कर रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या समिति ने अभी तक केवल मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों से ही भेंट की है अथवा अमान्य संघों के प्रनिनिधियों से भी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** समिति ने वास्तव में केवल मान्यता प्राप्त संघों को ही परिप्रश्नावली जारी की थी । परन्तु समिति ने अमान्य संघों के लोगों से उनकी व्यक्तिक स्थिति में भेंट करने में कोई आपत्ति नहीं की है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या उन्होंने अमान्य संघों के ऐसे प्रतिनिधियों से भेंट की है जो संघ के पदधारी हैं अथवा केवल ऐसे व्यक्तियों से जो कर्मचारी मात्र हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अर्थात् ऐसे पदधारी जो कर्मचारी नहीं हैं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं समझता हूं कि समिति ने केवल रेलवे कर्मचारियों से भेंट की है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या समिति ने विभिन्न डिवीजनल हेडक्वार्टर्स का दौरा समाप्त कर लिया है और कब अपना प्रतिवेदन तैयार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां** : नहीं, श्रीमान्। मैं नहीं समझता कि उसका दौरा समाप्त हो गया है। वह देश का चार पारियों में दौरा करना चाहती है और वह एक बार में पन्द्रह दिन के लिए बाहर जाया करेगी। वह हैडक्वार्टर पर आएगी और फिर थोड़े समय पश्चात् वह फिर वापस चली जाएगी। इस तरह वह चार विभिन्न चक्कर लगाएगी। यह आवश्यक है क्योंकि नौ सदस्यों में से छः शासकीय व्यक्ति हैं जिन्हें समिति के कार्यों के अतिरिक्त अपने सामान्य कार्य भी करने पड़ते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या जारी की गई परिप्रश्नावली संसत्सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को भी भेजी गई थी ; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां**: परिप्रश्नावली किस को भेजी जाय इसका निर्णय करना समिति के हाथ में था। मैं समिति की ओर से उत्तर नहीं दे सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह सुझाव समिति को प्रेषित कर दें।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हां, श्रीमान्।

ट्रंक टेलीफोन सम्बन्धी नीति

†*८४८. **डा० राम सुभग सिंह** : : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में ट्रंक टेलीफोन यातायात में कई गुना वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ट्रंक यातायात के अनुसार अपनी टेलीफोन विस्तार परियोजनाओं का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने में कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६**].

डा० राम सुभग सिंह : इस स्टेटमेंट (विवरण) को देखने से ज्ञात होता है कि आर्थिक कठिनाइयों के चलते ट्रंक ट्रैफिक के लिये जितनी रक़म की आवश्यकता है उस की पूर्त्ति नहीं होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो योजना का "हार्ड कोर" है उसको भली भाँति कार्यान्वित करने के लिए ट्रंक ट्रैफ़िक का पूरा होना आवश्यक नहीं है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: जी नहीं, उतना सम्भव नहीं होगा क्योंकि लगभग १ लाख ८० हज़ार टेलीफ़ोन का प्लान में प्रोग्राम (कार्यक्रम) रक्खा गया है और हम अगर बहुत कोशिश करेंगे तो शायद ७५ हज़ार तक पहुंच पायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

+

†*८४९. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की समुद्री-यात्रियों संबंधी विशेष उपसमिति ने नाविकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की योजना के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस को लागू करने के लिए कार्यवाही कब प्रारम्भ की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी तक नही ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : समिति ने तीन उप-समितियां नियुक्त की थीं, और इन तीन उप-समितियों की बैठकें हो रही हैं । एक उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । दूसरी कुछ और महीने लेना चाहती है । तीसरी उपसमिति अपना कार्य तभी समाप्त कर सकती है जब कि अन्य दो उपसमितियां अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जहां तक दूसरी उपसमिति का सम्बन्ध है उस के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह सच है कि समिति का सभापतित्व एक गैर-सरकारी सभापति करता है । वह दो उप समितियों का सभापति है । वह एक उपसमिति का कार्य समाप्त कर चुका है और अब दूसरी उपसमिति का कार्य प्रारम्भ करने जा रहा है । हम ने उन से कार्य को यथाशीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समुद्र-यात्रियों की सामाजिक सुरक्षा के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न उपसमितियों के निर्देश पद क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तीनों उपसमितियों के समस्त निर्देश-पद ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह नाविकों के लिये केवल सामाजिक सुरक्षा का उपाय है । यह ऐसी चीज है जिस की हम वर्षों से मांग कर रहे हैं । इन माननीय मंत्री ने स्वयं, जब वह परिवहन तथा रेलवे मंत्री थे, इस का तीन वर्ष पूर्व १९५४ में सूत्रपात किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की संगतता पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि वे निर्देश पद कई पृष्ठों में आते हों तो क्या मैं उन सब को पढ़ कर सुनाये जाने की अनुमति दूं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि वे कई पृष्ठों में हैं तो सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टत: वे लम्बे हैं । माननीय मंत्री क्या कहते हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं केवल मुख्य विषय बताऊंगा जिन का कार्य उपसमितियां कर रही हैं । प्रथम समिति पत्तनों में कल्याण के प्रश्न से सम्बन्धित है, दूसरी समिति सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्य करेगी और तीसरी नाविकों के कल्याण कार्य पर व्यय करने के लिये आवश्यक धन जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार को प्रथम उपसमिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में पोत मालिकों के विचारों की जानकारी है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे उस की जानकारी नहीं है ।

इस्पात ढलाई घर, चित्तरंजन

†*८५०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री २४ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन सा सार्थ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस्पात ढ़लाई घर स्थापित करने के लिये प्रविधिक सहयोग के लिये सहमत हो गया है;

(ख) ढ़लाई घर की स्थापना का कार्य कब प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) उस में कितनी राशि अन्तर्गस्त है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) इस्पात ढ़लाई घर की स्थापना के लिय प्रविधिक सहयोग के लिये समस्त विश्व से प्राप्त टेंडरों की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : गत जुलाई में हमें बताया गया था कि टेंडर खोले गये थे । अब यह प्रश्न है कि टेंडरों को स्वीकार किया जाय या नहीं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां**: हम ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि ठेके को अन्तिम रूप दिया जाय या नहीं । टेंडर आ गये हैं । टेंडर खोले गये थे । पन्द्रह टेंडर आये थे । ग्यारह को नामंजूर कर देना पड़ा क्योंकि वे अपेक्षित स्तर के नहीं थे । चार अन्य फर्मों के सम्बन्ध में मसला विचाराधीन है । हमें आशा है कि शीघ्र ही ठेके को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : बात चीत प्रविधिक सहयोग के लिये चलायी जा रही है । ये चार फर्में किन किन देशों की हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक देशों की हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो कह दें कि मुझे पता नहीं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है ।

---

†मूल : अंग्रेजी में

खाद्य उत्पादन

+

†*८५१ { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री बलराम कृष्णय्या :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के खाद्य संकट को ध्यान में रखते हुए पहले से अधिक खाद्य का उत्पादन करने के लिये कोई नयी योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है और उस का सारांश क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). सामान्य अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अलावा शीघ्र फल प्राप्ति के लिये आन्ध्र, मद्रास, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के लिए चालू वर्ष में २५० लाख रुपयों की लागत की अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनायें भी मंजूर की गई हैं ।

श्री विभूति मिश्र : प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि १५.५ मिलियन (१५५ लाख) टन पैदा करना चाहिये, अशोक मेहता कमेटी कहती है कि १०.३ मिलियन टन पैदा करना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किस आधार पर निश्चय किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अशोक मेहता समिति ने कहा है कि संभव है हम १ करोड़ टन से अधिक उत्पादन न कर सकें । लेकिन अपनी योजना के अनुसार अगली पंच वर्षीय योजना के दौरान में हम ने १ करोड़ ५५ लाख टन उत्पादन बढ़ाने की योजना बनायी है । हम उसे कायम रखना चाहते हैं । हम १ करोड़ ५५ लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन को कायम रखने के लिये व्यय कर र हैं । चाहे कारण कुछ भी हो, हम इतना उत्पादन तो सुनिश्चित करके ही रहेंगे ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आप ने अशोक मेहता कमेटी की चर्चा की । तो माफ कीजियेगा जो कहा गया है वह कुछ सही है और कुछ गलत है । उन्होंने खुद कहा है कि इतना हो सकता है अगर पूरी कोशिश की जाए । चुनांचे पूरी कोशिश की जाएगी ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने यह बहुत अच्छी बात कही है कि संतति निरोध होना चाहिये । मेरा ख्याल है कि संतति निरोध को खाद्य उत्पादन के प्रश्न के साथ मिला दिया जाना . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह काम करेगी या नहीं ; उसे संतति-निरोध के साथ मिलायेगी या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार आप से आप तो संतति निरोध की नीति शरू करेगी नहीं । यह बात तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** यहां मेरे मित्र कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये । सरकार उसे संतति-निरोध के साथ मिलाने जा रही है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य को स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये और उन्हें बता रहा हूं कि यह प्रश्न अप्रासंगिक है, और वह है कि अपने पीछे बैठे सदस्यों की यह बात माने ले रहे हैं कि यह प्रासंगिक है । श्री बलराम कृष्णय्या ।

†**श्री बलराम कृष्णय्या** : उत्पादन बढ़ाने के लिये चालू वर्ष में कौन कौन सी सिंचाई योजनायें मंजूर की गयी हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णय्या** : आंन्ध्र में हम जो अतिरिक्त योजनायें आरम्भ करने जा रहे हैं वह कृष्णा बांध की हैं। यह बांध तैयार हो जायगा । आंध्र की योजना में नहर खोदने का कोई उपबन्ध नहीं था । इस मद पर हम चालू वर्ष में ५ लाख रुपये दे रहे हैं । आदेश परसों भेजे जा चुके हैं । तेलंगाना में कुंएं खोदने के लिये हम साढ़े सात लाख रुपये देने जा रहे हैं । तेलंगाना में टूटे-फूटे तालाबों को फिर से बनाने के लिये हमने कुछ रुपये मंजूर किये हैं । कुल मिलाकर साढ़े बाईस लाख रुपये मंजूर किये गये हैं और आदेश भेजे जा चुके हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने डा० पर्सी ब्रायन के उस अद्भुत आविष्कार के आधार पर खाद्य उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनायी है जिसे जिब्बरैलिक एसिड कहा जाता है और "एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया" नामक सरकारी प्रकाशन में दी गयी सूचना के अनुसार जिसके बहुत थोड़े अंश के प्रयोग से सभी प्रकार के पौधों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हो जाती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम नये-से-नये प्रत्येक आविष्कार का उपयोग करना चाहते हैं । अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सभी वैज्ञानिक और आधुनिकतम उपायों का उपयोग किया जायगा ।

†**श्री अ० सिंह० सहगल** : जो अतिरिक्त उत्पादन करने वाले क्षेत्र अब कमी वाले क्षेत्र बन गये हैं उनमें कमी की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार क्या तात्कालिक उपाय कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन शब्दों में तो विरोधाभास है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह ठीक कह रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य अतिरिक्त उत्पादन और कमी दोनों की बात कह रहे हैं । यह समझ में आना तो कठिन है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : छत्तीसगढ़ अतिरिक्त उत्पादन वाला क्षेत्र है । वह कमी वाला क्षेत्र है ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : पुरानी योजनाओं के लिये दिया गया धन क्या सभी राज्यों में व्यय किया जा चुका है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : विभिन्न खामियों की वजह से गत वर्षों में वह सब धन व्यय नहीं कर पाये थे । इन खामियों को दूर कर दिया गया है ; अब के बाद से मुझे

---

†मूल अंग्रे में

आशा है कि हम जितना धन देंगे प्रत्येक राज्य उसे व्यय करेगा । इसके अलावा हम उन्हें अतिरिक्त धन देने वाले हैं । हमने प्रत्येक राज्य के लघु सिंचाई योजनाओं को लागू करने और इन्हें लागू करने के लिये विशेष कर्मचारी रखने के लिये कह दिया है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : अध्यक्षपीठ के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि संतति-निरोध को अप्रासंगिक बताना हमारे माननीय प्रधान मंत्री का अपमान करना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

नगरीय जल-संभरण और सफाई योजनायें

+

†*८५२. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हासदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में नगरीय जल-संभरण और सफाई योजनाओं के लिये राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता दी गयी थी उसमें से विभिन्न राज्यों ने अब तक कितनी सहायता का उपयोग किया है ;

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो धन दिया गया क्या उस का उपयोग नहीं किया गया : और

(ग) क्या वह राशि व्यपगत हो गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७७]**.

†**श्री स० चं० सामन्त** : मंत्री महोदय ने सभा पटल पर विवरण रखा उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । लेकिन प्रश्न पूछने वाले जो पश्चिम बंगाल से आये हैं उन्हें यह देख कर निराशा हुई है कि उसमें पश्चिमी बंगाल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । ऐसा क्यों है ? इस योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश को कोई राशि नहीं दी गयी है लेकिन इसमें उसका जिक्र किया गया है । पश्चिमी बंगाल का नाम क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सब बहस की क्या जरूरत है ? माननीय सदस्य को सादे ढंग से यह सीधा सवाल पूछना चाहिये : "पश्चिमी बंगाल का नाम इस सूची में क्यों नहीं रखा गया है" ।

†**श्री करमरकर** : मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न प्रथम पंच वर्षीय योजना के संबंध में था । पता लगाने पर मैं देखता हूं कि चालू वर्ष में हमने पश्चिमी बंगाल को १२.५ लाख रुपये दिये हैं । लेकिन क्योंकि यह प्रत्येक राज्य के संबंध में है इसलिये पहले मैं स्थिति का पता लगा लेना चाहता हूं और सभा को आवश्यक जानकारी दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं शहरी जल-संभरण के विषय में जानना चाहता था लेकिन विवरण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है । क्या मंजूर की गयी राशि में शहरी जल-संभरण की बात भी शामिल है ?

†**श्री करमरकर** : जी नहीं । उत्तर प्रश्न से संबंधित था । प्रश्न शहरी जल-संभरण के संबंध में था । इसलिये जानकारी शहरी जल-संभरण के विषय में ही देनी थी ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या कोयम्बटूर नगरपालिका से चिरूवणी जल-योजना के विकास के लिये सहायता के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन मिला है ?

†**श्री करमरकर** : साधारणतया राज्य सरकार इन सब जल योजनाओं को तैयार करती है और तब हमारे पास भेजती हैं । मैं यों ही माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकता कि कोयम्बटूर वाली योजना उनमें है या नहीं क्यों कि हमारे पास जिलेवार जानकारी नहीं है बल्कि योजनाओं की पूरी सूची है और मैं इसका पता लगाकर माननीय सदस्य को बता दूंगा । लेकिन यदि इसे प्रथम पंच वर्षीय योजना में शामिल किया जा चुका होगा तो मैं यह कह सकता हूं कि शहरी जल-संभरण के लिये हमने ४५ करोड़ रुपयों की लागत की २५५ योजनायें बनायीं थीं जिनमें से राज्यों ने केवल थोड़ी सी योजनाओं को क्रियान्वित किया था और योजना आयोग का आग्रह है कि पहली योजना से दूसरी योजना में लाई हुई योजनाओं को ही पूरा किया जाय । यदि कोयम्बटूर की योजना उसमें हो तो मेरे ख्याल से उसमें देर लगेगी । यदि पहिले उसकी योजना अस्वीकार की जा चुकी होगी तब भी उसे शामिल नहीं किया जायगा । मैं पता लगा कर देखूंगा ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गयी थी और उसमें से कितनी व्यय हुई है ? क्या मैसूर राज्य से इस आशय का कोई ज्ञापन नहीं आया है कि दी गयी राशि अपर्याप्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सूची में है या नहीं ? क्या माननीय सदस्य ने सूची देखी है ?

†**श्री मोहम्मद इमाम** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से यह आशा तो की ही जाती है कि वह सूची देख लेंगे । उनसे उन विषयों पर प्रश्न पूछने की आशा नहीं की जाती है जो सूची में दिये हुए हैं । हां, यदि कोई नयी बात पूछनी हो तो वे बेशक उसे पूछ सकते हैं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : एक बात स्पष्ट कर दें । हम अभी आये हैं । मुझे नहीं मालूम कि सूची कहां है । यदि सूची हम सबको दी जाया करे तो ज्यादा अच्छा हो क्यों कि मैं यहां आया हूँ और मैंने सूची देखी ही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ही, जो स्वयं सभापति तालिका के सदस्य हैं, इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं । उन्हें संसदीय सूचना कार्यालय में जाना चाहिये, जहां १० या १५ मिनट या आध घंटे पहले विवरण सभी सदस्यों की जानकारी के लिये रखे रहते हैं । किसी को उस जानकारी से वंचित नहीं रखा जाता ।

†**श्री वारियर** : केवल १५ मिनट दिये जाते हैं और जब लम्बे विवरण होते हैं...

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। मैं उसे बढ़ा कर आधा घंटा कर दूंगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के वितरण की योजनायें

***८५३. श्री भक्त दर्शन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली के वितरण की योजनाओं के लिये ७५ करोड़ रुपये की जिस राशि की व्यवस्था की गयी है उसका केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य किस प्रकार वितरण किया गया है;

(ख) १९५७–५८ में उक्त धन राशि में से विभिन्न राज्यों के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी और प्रत्येक राज्य में कितने नगरों और ग्रामों में बिजली लगाई गयी; और

(ग) १९५७–५८ में विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी और इस सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने नगरों व ग्रामों में बिजली लगाई जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). विवरण सभा–पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८].**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न के छपने में जरा गलती हो गयी है। मेरे प्रश्न के पार्ट (बी) में १९५७-५८ छपा है जब कि मेरा प्रश्न सन् १९५६–५७ के बारे में था। इसके लिए तो मुझे मंत्री जी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना का जो पहला वर्ष था यानी १९५६–५७ उस वर्ष में इस योजना में विभिन्न राज्यों में कितना रुपया खर्च हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह सच है कि यह विवरण दूसरी ही अवधि के संबंध में है ?

†**श्री हाथी :** वह यह कह रहे हैं कि वह १९५६–५७ के संबंध में पूछना चाहते थे लेकिन गलती से यह १९५७–५८ छप गया है। जो है वह तो है ही, लेकिन वह १९५६–५७ के बारे में जानकारी चाहते थे, लेकिन वह छप १९५७–५८ गया। हमारी जानकारी केवल १९५७-५८ के बारे में है, लेकिन वह १९५६–५७ के बारे में पूछना चाहते थे। मैं वह भी दे दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह सभा–पटल पर रखा गया है ?

†**श्री हाथी :** १९५७–५८ का विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह १९५६–५७ के बारे में जानना चाहते हैं। यदि वह विवरण चाहते हैं तो इस समय उसका उत्तर देने से क्या लाभ है ?

†**श्री हाथी :** विवरण नहीं, केवल एक संख्या है। विवरण तो काफी लम्बा है। वह तो केवल एक मद–विशेष के संबंध में एक संख्या जानना चाहते हैं।

दो योजनायें हैं जिनमें से एक रोजगार संबंधी सुविधायें बढ़ाने के लिये बिजली सबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के बारे में है। इसके आंकड़े मेरे पास हैं। १९५५–५६ में इसके लिये ६० लाख रुपये थे और १९५६–५७ में ४० लाख रुपये थे, इस प्रकार कुल मिला कर यह १०० लाख रुपये हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो ७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, राज्यों में इसका वितरण किन सिद्धान्तों पर किया जाता है? क्या राज्य सरकारें अपनी योजनायें बनाती हैं या कि केन्द्रीय सरकार भी अपनी ओर से कोई आदेश देती है?

श्री हाथी : राज्य सरकारें योजनायें बनाती हैं और जब ये योजनायें यहां आती हैं तो उनकी स्क्रूटिनी (छानबीन) की जाती है। स्कीमें बनाने का काम राज्य सरकारें ही करती हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस योजना के अधीन १०,००० गांवों और छोटे नगरों में बिजली का वितरण करने के विचार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ७५ लाख रुपयों की राशि दी गयी थी, अब तक कितने गांवों और छोटे नगरों में बिजली के वितरण का काम पूरा हो गया है?

†**श्री हाथी** : सात हजार गांवों में बिजली लगायी जा चुकी है और हम १०,००० और गांवों में बिजली लगाना चाहते हैं, इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल मिलाकर लगभग १८,००० गांवों में बिजली लग जायेगी।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों में बिजली के वितरण और नियंत्रण के लिये भिन्न प्राधिकारी हैं। क्या बिजली के वितरण पर एक सा नियंत्रण करने की सरकार की कोई योजना है, और इसके प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या वे उसका विरोध कर रहे हैं या उसके साथ सहयोग कर रहे हैं?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य को संभवतया यह ज्ञात होगा कि हमारे यहां १९४८ का विद्युत् संभरण अधिनियम मौजूद है। इस नियम के अधीन ऐसे राज्य विद्युत् बोर्ड रखने का उपबन्ध है जो बिजली के वितरण और पारेषण के लिये उत्तरदायी होंगे। लगभग नौ या दस राज्य यह बोर्ड बनाने के लिये राजी हो गये हैं। कुछ ने, जैसे बम्बई, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल और राजस्थान ने बोर्डों की स्थापना भी कर दी है; मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश भी इसके लिये राजी हो गया है। इन राज्यों ने बोर्ड गठित भी कर दिये हैं। लगभग नौ राज्य गठित कर चुके हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या बात है कि अन्य राज्य, विशेष रूप से मद्रास और अन्य ऐसे राज्य जो बिजली उत्पादन के मुख्य केन्द्रों में हैं, अभी तक केन्द्र के अधिनियम के अनुकूल नहीं हुए हैं?

†**श्री हाथी** : प्रविधिक कर्मचारियों की तलाश करने में उन्हें कुछ कठिनाई हो रही है और साथ ही कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां भी हैं। लेकिन वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वे इससे सहमत हो जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना को तैयार करते समय या राज्य सरकारों को ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सारे देश के अन्दर जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहां कि बिजली का प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा है, उन इलाकों का सबसे पहले ख्याल रखा जाये? और क्या इस बारे में कोई आदेश दिये गये हैं या दिये जा रहे हैं?

श्री हाथी : राज्य सरकारें ही इस बात पर विचार करती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली से रेलें चलाना

†*८५५. **श्री अ० सिं० सहगल :** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली से रेलें चलाने के लिये सरकार ५० साइकिल वाला ट्रैक्शन सिस्टम अपनाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिणाम स्वरूप डाक तथा तार विभाग के ऊपर लगे तारों के स्थान पर जमीन के भीतर से केबुल ले जाने पड़ेंगे;

(ग) इस योजना पर सरकार को कितनी लागत पड़ेगी ;

(घ) क्या यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूरा हो जायेगा और

(ङ) इस नयी प्रणाली में दूर के स्थानों के बीच दूर संचार-सर्किटों[1] में अधिक कुशलता आ जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इसके फलस्वरूप पटरी के सहारे सहारे जो तार लगे हैं उनके स्थान पर जमीन के भीतर केबुल बिछाये जायेंगे ।

(ग) जिन सेक्शनों पर बिजली से रेलें चलाई जायेंगी उन पर ऊपर की ओर लगे तारों के स्थान पर केबुल लगाने की योजना पर ५.५८ करोड़ रुपयें व्यय होने की संभावना है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) आशा की जाती है कि केबुलों के सर्किटों में ऊपर के तारों की अपेक्षा कम बाधा पहुंचेगी ।

सूखी गोदी[2] का निर्माण

†*८५६. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० हेन सेन नाम के एक जर्मन विशेषज्ञ ने अक्तूबर, १९५७ में कोचीन पत्तन का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सूखी गोदी का निर्माण करने के लिये कोचीन पत्तन की उपयुक्तता के बारे में उन्होंने अपनी राय दी थी ; और

(ग) सूखी गोदी के बारे में इस विशेषज्ञ ने क्या सुझाव दिये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्होंने कोचीन पत्तन के मुख्य इंजीनियर को यह बताया कि कोचीन पत्तन पर एक सूखी गोदी रखने का प्रस्ताव अच्छा है, विशेष रूप से इसलिये भी कि वह सुदूर पूर्व के महासागरीय मार्ग पर पड़ता है और विश्व में सभी स्थानों पर सूखी गोदियों की सुविधा की कमी है ।

(ग) उन्होंने कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tele-Communication Circuits.
[2]Dry Dock.

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या भारत सरकार एक सूखी गोदी की स्थापना करने वाली है और यदि हां, तो योजना की अवधि में किस समय तक ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो उन्होंने कहा है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना-काल में इस परियोजना को लेना संभव नहीं होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या विशाखापटनम् में सूखी गोदी बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसे प्रायः छोड़ ही दिया गया है क्योंकि विश्व बैंक से हमने ऋण के लिये अनुरोध किया था लेकिन विशाखापटनम् में एक नयी सूखी गोदी बनाने में लगाने के लिये वह हमें ऋण देने को राजी नहीं हुआ ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या उसे स्थायी रूप से छोड़ दिया गया है या यह निर्णय अस्थायी ही है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : फिलहाल तो यह अस्थायी ही है । यदि हमें किसी दूसरी जगह से ऋण मिल सका तो निश्चय ही हम इस योजना को ले लेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर** : ऋण का आवेदन किन कारणों से बैंक ने स्वीकार नहीं किया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: मुझे कारण तो पूरी तरह मालूम नहीं हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे लाभदायक नहीं माना । आखिर जब वे हमें ऋण देंगे तो इस बात की व्यवस्था तो करेंगे ही कि उन्हें उस से काफी प्राप्ति हो सके ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : जाने वाले जहाजों के लिये सूखी गोदियों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार योजना की अवधि में भारत के किसी भी भाग में एक और सूखी गोदी की स्थापना करने वाली है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि हम ने बनाना शुरू किया ही तो हम विशाखापटनम् में ही बनाना शुरू करेंगे लेकिन, जैसा मैं बता चुका हूं, इस प्रयोजना के लिये हमें पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है । दूसरे किसी स्थान के लिये किसी योजना के बारे में विचार करने में कोई लाभ नहीं है ।

भारतीय नौवहन

†*८५७. { **श्री हेडा** : +
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजी कम्पनियां आदि भारतीय जहाजी कम्पनियों में विदेशियों के भाग लेने के विरुद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) यह सच है कि भारतीय जहाजी कम्पनियां मुख्यतया विदेशियों के भाग लेने के विरुद्ध हैं।

(ख) भारत सरकार वाणिज्य विभाग के १९४७ वाले संकलप को घ्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी। लोक-सभा पटल पर संकल्प की एक प्रति रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९**].

†**श्री हेडा** : जब भारतीय जहाजी कम्पनियां भाग लेने के विरुद्ध हैं तब यह मामला कैसे उठेगा, यह प्रस्ताव कहां जायेगा और सरकार गतिरोध किस प्रकार दूर करेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने यह कहा था कि आमतौर पर वह इसके विरुद्ध है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी विशेष समह के कुछ विशेष लोग कोई नयी कम्पनी खड़ी करना चाहें तो वह यह प्रस्ताव नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता दूं कि एक प्रस्ताव की ओर मेरा घ्यान आकृष्ट किया गया है और हम उस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार**: आज सुबह के समाचार पत्रों में इस आशय का जो समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत और अमरीका के बीच नौवहन सेवा आरम्भ करने के लिये एक जहाजी कम्पनी बनायी जाने वाली है, क्या उसमें विदेशियों को भाग लेने दिया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह अभी अत्यंत प्रारम्भिक आवस्था में है और हमें केवल यह सूचना मिली है कि उन्होंने हाल ही में अपनी कम्पनी को पंजीबद्ध कराया है। संभवतः बाद को उस पर पूरी तरह विचार और उनके साथ चर्चा करनी होगी।

†**श्री विमल घोष** : लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिये, यह नीति निर्धारित करने में कि भारतीय जहाजी कम्पनियों में विदेशियों को भाग लेने देना चाहिये या नहीं यह विवरण कहां तक सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस प्रश्न का अघ्ययन तो किया ही नहीं गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : विवरण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तदनुसार भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मौजूदा हालात में भारतीय जहाजी कम्पनियों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये कम्पनियों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि विदेशी सहयोग प्राप्त करने का इरादा हो तो उस के लिये उन शर्तों का उपबन्ध किया गया है।

†**श्री विमल घोष** : यह समिति १९४५ की है और जो बात यहां कही गयी है उसका उसके निर्देश-पदों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने कहा है कि विवरण की और जो संकल्प स्वीकार किया गया उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है और यह संकल्प उस समिति के प्रतिवेदन पर आधारित था।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : किस प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं चाहिये—विदेशी नाविकों का या विदेशी धन का ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे स्पष्ट नहीं हुआ । मैं प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं । संभवत: विदेशी धन का ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : वह किन्हें नहीं चाहते, विदेशी धन को या विदेशी नाविकों को ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : भारतीय नाविक तो काफी हैं । विदेशी नाविकों का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जहां तक भाग लेने का संबंध है, वह मुख्यतया वित्त अथवा धन से संबंधित हैं ।

†**श्री हेडा** : लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण के पैरा ५ के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय वणिक जहाजी बेड़े के विकास की दृष्टि से क्या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न होता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं तो नहीं समझता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा भी यही ख्याल है ।

पक्षियों पर रेडियो सक्रियता का प्रभाव

†*८५८. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बम्बई राज्य में रत्नगिरि जिले के मालवण पत्तन के तट पर १५ जुलाई १९५७ और २२ जुलाई, १९५७ के बीच कुछ परदेशी पक्षी मरे हुए पाये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन पक्षियों पर वायुमण्डल में विद्यमान रेडियो-सक्रिय तत्वों का प्रभाव पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी नहीं । रत्नगिरि जिले के मालवण पत्तन के तट पर १५ और २२ जुलाई, १९५७ के बीच रेडियो-सक्रिय तत्वों के प्रभाव से परदेशी पक्षियों के मरने के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञात नहीं ।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

†**श्री वें० प० नायर** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाये ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री करमरकर** : वास्तव में मालवण तट पर बहुत से मरे पक्षी पाये गये थे लेकिन पता चला कि ये प्रव्राजी पक्षी[1] थे । और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई के प्राकृतिक इतिहास समाज को, जिसे एक मृत पक्षी भेजा गया था, एक भी जीवित पक्षी नहीं भेजा जा सका, हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि यह पक्षी किस प्रकार का था या उसकी मत्यु के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Migratory Birds

†अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, बाद में काफी पक्षी मरे पाये गये थे लेकिन वह यह नहीं बता सकते कि उनकी मृत्यु रेडियो-सक्रिय तत्वों के कारण हुई थी या नहीं।

†श्री वें० प० नायर : क्या इन पक्षियों की मृत्यु किसी महामारी के कारण हुई और क्या सरकार ने ऐसी महामारी के निवारण के लिये कार्यवाही की है ?

†श्री करमरकर : हो सकता है कि वह महामारी से ही मरे हों, हो सकता है कि लम्बी यात्रा के फलस्वरूप थक कर मर गये हों, अन्य कारण भी हो सकते हैं; हमें पता नहीं है।

†श्री हेम बरुआ : इन पक्षियों को यह कैसे पहचाना गया कि वे परदेसी पक्षी हैं ?

†श्री करमरकर : ये पक्षी परदेसी थे क्योंकि पहले भी ऐसे पक्षी मरे पाये गये थे और तब पता चला था कि ये प्रव्रजन करने वाले पक्षी थे; वे दक्षिणी सागर से आये थे।

चीनी

†*८५९. { **श्री संगण्णा :**
श्री शिवनंजप्पा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ अक्तूबर, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक विशाखापटनम् जिले के एट्टिकोपक स्थान में सहकारी चीनी मिलों के बारे में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी उद्योग के विकास के लिये विचार गोष्ठी ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, २९ और ३० अक्तूबर, १९५७ को।

(ख) लोक-सभा पटल पर विचार गोष्ठी में पारित किये गये संकल्पों की प्रतियां रखी जाती हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]

(ग) सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†श्री संगण्णा : विवरण में कहा गया है कि कुछ कम्पनियों ने सहकारी चीनी मिलों के लिये आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनें और संयंत्र देने का प्रस्ताव रखा है। इन फर्मों के नाम क्या हैं ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं यह जानना चाहूंगा कि विवरण में यह बात कहां पर कही गयी है ?

†श्री संगण्णा : संकल्प संख्या १ में यह बात कही गयी है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : संकल्प संख्या १, आस्थगित भुगतान के आधार पर फर्मों के प्रस्ताव के बारे में ?

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह थोड़ा सा उल्लेख है। कहा गया है,

"इसलिये, विचार गोष्ठी यह अपील करती है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम को, जो कि द्वितीय योजना का अनिवार्य अंग है, उच्च प्राथमिकता प्रदान करे, और यथाशीघ्र ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनमें इस कार्यक्रम का क्रियान्वय संभव हो....."

इस के बारे में थोड़ा सा जिक्र है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन फर्मों के नाम जानना चाहते हैं।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : ब्यौरा मेरे पास नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यही बात पहले कह सकते थे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : आंध्र में नयी सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिये मंजूरी देने से सरकार को कौन रोकता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं समझा नहीं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : आन्ध्र में नयी चीनी मिलों की स्थापना के लिये, जिनके लिये अंशधारियों से धन इकट्ठा किया जा चुका है, मंजूरी देने से केन्द्रीय सरकार को क्या बात रोकती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देशभर में ३५ मिलें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आन्ध्र प्रदेश में ३ मिलें—दो हिन्दूपुर में और एक चितपुर में—खोलने का प्रस्ताव था। उन पर विचार किया जा रहा है। यदि उन्हें लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया है तो यह आंध्र सरकार का काम है कि उन्हें लक्ष्य में शामिल कर ले।

†**श्री संगण्णा** : ईख सम्बन्धी सहकारी समितियों की स्थापना के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रत्येक मिल के लिये हम राज्य सरकारों को १५ लाख रुपये तक का ऋण देते हैं, जिसे अपनी बारी में वह मिलों में लगा देती है।

इसके अलावा हम औद्योगिक वित्त निगम को गारंटी दे देते हैं और उन्हें प्रत्येक मिल के लिये ४० से ५० लाख रुपये तक मिल जाते हैं।

डाक विभाग की बीमा पालिसियां

†८६०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष ३० सितम्बर, १६५७ तक डाक विभाग की कितनी और कुल कितनी राशि की बीमा पालिसियां जारी की गयीं ; और

(ख) ये आंकड़े गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण-पत्र

अवधि	जारी की गई डाक-बीमा पालिसियों की/का	
	संख्या	अंकित मूल्य
१ जनवरी, १९५७ से ३० सितम्बर, १९५७ तक	५४०५	१,३४,१३,६००
१ जनवरी, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५६ तक	८७९०	१,९८,६६,५००

श्री अनिरुद्ध सिंह : इस विवरण-पत्र से ज्ञात होता है कि १९५६ की अपेक्षा १९५७ में पोस्टल इन्शोरेन्स पालिसीज की संख्या और उनकी रकम, इन दोनों में भारी कमी हो गई है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसके दो खास कारण मालूम होते हैं । एक तो यह है कि गवर्नमेंट ने इन्शोरेंस को राष्ट्रीयकरण—नैशनलाइजेशन—कर लिया है, इसलिए पहले सरकारी नौकरों का जो झुकाव पोस्ट आफिस के इन्शोरेंस की तरफ था, वह कम हो गया है और अब वे दूसरी तरफ जाते हैं । दूसरी बात यह है कि उस अवधि में बहुत से नए नए सरकारी विभागों ने यह फैसला किया है कि वे पोस्टल इन्शोरेंस पालिसीज लेंगे, इसलिए उन सालों में काम बहुत ज्यादा रहा और अब चूंकि उनका इन्शोरेंस हो चुका है, इसलिए संख्या कम हो गई है ।

श्री भक्त दर्शन : इस योजना को, जो कि जनता के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी उपयोगी है, लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम इसको लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और हम खास तौर पर यह इरादा रखते हैं कि इसको दो तीन विभागों में बढ़ायें । एक तो ट्रांसपोर्ट विभाग और रोडवेज के एम्प्लाईज (कर्मचारियों) को हम इसका मौका देना चाहते हैं और गवर्नमेंट ने जो कार्पोरेशन बनाई हैं, उनको हम इसमें लेना चाहते हैं । यह भी विचार है कि गांवों की पंचायतों के जो पर्मानेंट काम करने वाले हैं, उनको भी इस तरफ प्रोत्साहित किया जाय ।

ग्रामीण ऋण

†*८६१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ग्रामीण ऋण के लिये राज्य सरकारों को जो ऋण और राज-सहायता देती थी, क्या उनमें कोई कमी हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) उत्पादकों से कितना ब्याज लिया जाता है ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). ग्रामीण ऋण का विस्तार करने के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास एवं भाण्डागार बोर्ड ने १९५६-५७ में राज्य सरकारों को १८४ लाख रुपये का ऋण और २४ लाख रुपयों की राज-सहायता मंजूर की थी । इसमें से राज्यों ने १७६ लाख रुपयों का ऋण के रूप में और २१.२० लाख रुपयों का राज-सहायता के रूप में उपयोग किया । कमी १०.९ लाख रुपयों की, अथवा केवल पांच प्रतिशत की हुई ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि उपर्युक्त सहायता राज्य सरकारों को दी गयी थी, सीधे उत्पादकों को नहीं ।

(घ) कमी इन कारणों से हुई :—

(१) राज्यों का पुनर्गठन ।

(२) राज्य सरकारों द्वारा अंतिम प्रस्ताव भेजने में विलम्ब, जिसके फलस्वरूप उनकी क्रियान्विति में भी विलम्ब हो गया ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राज्य सरकारों को जो १७६ लाख रुपये दिये गय हैं उन में से ग्राम्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को कितना मिलेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: यह सरकारी बैंकों के लिये नहीं थी । यह राज्यों में गोदाम और भांडागार तथा अन्य कामों के लिये थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस ऋण और आर्थिक सहायता के मिलने से कितने भांडागारों का निर्माण हो जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या कृष्णप्पा शिष्टमंडल, जो चीन गया था, के प्रतिवेदन पर सरकार ने उचित रूप से विचार किया है, यदि हां, तो कृषि की उन्नति के लिये सरकार ग्रामीण लोगों को और ऋण देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: इस प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में कृषकों को थोड़े, दरम्याने और लम्बे अर्से से जो ऋण दिये थे उनमें छः गुना वृद्धि कर दी गई है । २५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर इसे २२० करोड़ रुपये करने की सम्भावना है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस वर्ष भारत के राज्य बैंक और रक्षित बैंक ने कुल कितना ऋण दिया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रश्न उस आर्थिक सहायता के बारे में है जो हमने राज्यों को दी है । रक्षित बैंक के बारे में अलग पूर्वसूचना देनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** : क्या सरकार विशेष रूप से ग्राम्य ऋण के लिये कृषि वित्त निगम स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसकी आवश्यकता नहीं है । अभी से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या राज्य सरकारों को जो ऋण दिया जा रहा है क्या उसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष तौर पर कृषकों को भी कोई ऋण दिया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्हें रिजर्व बैंक से थोड़े, दरम्याने और लम्बे अर्से के लिये ऋण मिलते हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिये जाने वाले ऋण का पांच या छः गुना हो गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश में वनों के ठेके के लिये टेंडर

†*८६४. **श्री य० सिं० परमार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने वनों के ठेके पट्टे पर देने के लिये खुले नीलाम की बजाय टेंडर प्राप्त करने का तरीका अपनाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में चम्बा चूड़हा वनों के टेंडर अब्दुल्लापुर में खोले गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि जब टेंडर खोले गये थे उस समय प्रत्येग टेंडर की राशि नहीं बताई गई थी ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान ठेकेदार ने अधिकतम टेंडर से १० लाख रुपया अधिक देने को कहा था ;

(ङ) क्या यह सच है कि न तो अधिकतम टेंडर और न ही उस से भी १० लाख रुपये अधिक का टेंडर स्वीकार किया गया बल्कि वन सभी टेंडर भेजने वालों को आवंटित कर दिया गया ; और

(च) यदि हां, तो वे टेंडर भेजने वाले कौन हैं और उन्हें कितनी कितनी राशि देनी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) टेंडर खुलने और राशियां घोषित हो जाने के बाद एक ठेकेदार ने तार द्वारा सूचित किया कि वह अधिकतम टेंडर से भी ७,६८,००० रुपये अधिक देगा परन्तु ऐसा नियम है कि टेंडरों के खुलने के बाद ऐसी पेशकश स्वीकार नहीं की जाती अतः उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

(ङ) जी नहीं, अधिकतम टेंडर स्वीकार कर लिया गया था ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जड़ी बूटियां[४]

†*८६६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से राज्यों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियों की काश्त की योजनायें भेजी हैं ;

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अब तक राज्यों की कितनी वित्तीय सहायता की गई है ; और

(ग) मुख्यतः कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनकी देश में खपत और निर्यात के लिये बड़े पैमाने पर काश्त करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और मध्य प्रदेश ।

		रुपये
(ख)	आसाम	१,३३,५२७
	हिमाचल प्रदेश	३२,२००
	जम्मू और काश्मीर	५०,०००
	मध्य प्रदेश	६,७५०

(ग) रौवलफिया सर्पेनटाइना इपेकाओ पिरेथरम . आर्टेमसिया बलाडोना[९] और डिगितालिस[१०] ।

†**श्री झूलन सिंह** : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इस सहायता के बारे में सरकार की क्या नीति है—क्या योजना की सारी लागत दी जायेगी या राज्य सरकार के अंशदान के बराबर की राशि दी जायेगी ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस योजना में राज्य सरकार के अंश बराबर सहायता दी जायेगी और सहायता का मामला तो उस योजना पर निर्भर करता है जो राज्य सरकारों ने भारत सरकार को भेजी हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं प्रश्न के भाग (ग) और उसके उत्तर के सम्बन्ध में असल स्थिति जानना चाहता हूं ? क्या उनमें से कोई जड़ी बूटियां निर्यात भी की जायेंगी और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में हम ने उन जड़ियों के नाम दिये हैं । राज्यों में उनका उत्पादन हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[४] Medicinal Plants.

[५] Rauwolfia Serpentina.

[६] Ipecao.

[७] Pyrethrum.

[८] Artemsia.

[९] Belladona.

[१०] Digitalis.

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य में सर्पेनटाइना बूटी उगाने की योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां, सर्पेनटाइना एक जड़ी बूटी है जो कि राज्यों में पैदा की जाने वाली बूटियों में से एक है ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने ऐसी जड़ी बूटियां पैदा करने के लिये कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सभी राज्यों से इनकी उपज करने के लिये कहा गया है परन्तु उड़ीसा से विशेष रूप से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को विदित है कि औषधियां बनाने वाले विदेशी समवाय हमारे वनों में पाई जाने वाली औषधियां बनाने वाली वस्तुओं का शोषण कर रहे हैं और क्या सरकार ने हमारे वनों में उपलब्ध जड़ी बूटियों का वर्गीकरण किया है ताकि इन्हें भारतीय औषधियां बनाने वाले समवायों को उपलब्ध किया जा सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हम संरक्षण करने के लिये पूरा प्रयत्न करते हैं और जहां हम उपयुक्त समझते हैं निर्यात को कुछ हद तक कम कर देते हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : निर्यात के लिये रौवलफिया सर्पेनटाइना की काश्त करने के लिये कितनी सहायता बढ़ाई गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्होंने कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं और हमने उनका अनुमोदन कर दिया है । हमने आसाम के लिये १,३३,००० रुपये से कुछ अधिक, हिमाचल प्रदेश को ३३,००० रुपये से कुछ अधिक, जम्मू और काश्मीर को ५०,००० रुपये और मध्य प्रदेश को ६,७०० रुपये दिये हैं ।

पंजाब में नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव[11]

†*८६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में भूमि संरक्षण उपायों और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये पंजाब राज्य को कोई राशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उस योजना में कौन कौन सी नदियां हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) १९५६–५७ में भमि संरक्षण की योजनाओं के लिये ३.१६ लाख रुपये की एक राशि स्वीकृत की गई थी परन्तु प्राप्त हुई योजनाओं में नदी के निकट की मिट्टी के कटाव सम्बन्धी समस्या का उल्लेख नहीं था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पंजाब सरकार ने यह योजना पुनः प्रस्तुत की है और क्या भारत सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : नहीं । वस्तुतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिट्टी के कटाव सम्बन्धी योजनाओं के लिये ६०.६२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है परन्तु नदी के किनारे की भूमि के कटाव के बारे में कोई समस्या उसमें शामिल नहीं है और यदि राज्य सरकार चाहे तो उसे शामिल किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[11] Riverine Soil Erosion in Punjab.

गाड़ी का रुका रहना

+

†*८६८. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० कु० घोष : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ अक्तूबर, १९५७ को २ अप बम्बई मेल इंजन का ऐक्सल खराब हो जाने के कारण सुरदिया स्टेशन पर रुका रहा ;

(ख) क्या इंजन के ड्राइवर ने दुर्घटना होने से बचा ली ;

(ग) इंजन किस टाइप का और कहां का बना हुआ था ;

(घ) क्या हावड़ा स्टेशन पर इस इंजन को लाइन पर भेजने से पूर्वलोको कर्मचारियों ने इसका परीक्षण किया था ; और

(ङ) पहले इस प्रकार की कितनी घटनायें हो चुकी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) इंजन में अजीब सी आवाज आई और तीन मील दूर जाने पर ड्राइवर ने पुनः वह आवाज सुनते ही गाड़ी को रोक दिया और देखा की ऐक्सल टूटा हुआ था ।

(ग) इंजन डबल्यू पी श्रेणी का था (सवारी टाइप का) ।

(घ) लाइन के अन्तिम स्टेशन पर साधारणतः जो परीक्षण होता है वह किया गया था ।

(ङ) एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८१].

†**श्री सुबोध हासदा :** क्या यह सच है कि इंजन ड्राइवर ने खड़गपुर में लोको शेड में रिपोर्ट की थी और क्या यह भी सच है कि उसे वैसे ही चलाने को कह दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यह सच नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या ड्राइवर को इसका पता लगाने और गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिये कोई पुरस्कार दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक सुझाव है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या यह एक सुझाव नहीं है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** हुआ यह कि ड्राइवर को जोर की आवाज सुनाई दी । उसने इंजन को रोका और उसे देखा । उसे कुछ पता नहीं चला । कुछ देर बाद पुनः वैसी ही ध्वनि सुनाई दी । तब उसने उतर कर दोबारा निरीक्षण किया तो पता चला कि एक पहिया पटरी से नीचे उतर गया था । इसका पता लगाने के लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर परियोजना

+

†*८७०. { **श्री मं० वें० कृष्ण राव :**
श्री बलराम कृष्णय्या :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २८ मार्च, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना में उसके बाद क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड से सरकार को यह प्रार्थना मिली है कि इस वर्ष के लिये अधिक राशि आवंटित की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२**].

†**श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या भारत सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आरम्भ करना चाहती है ?

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिये वित्त देगी तो उसका उत्तर यह है कि उन्हें इस परियोजना के लिये ऋण दिया जा रहा है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या आन्ध्र सरकार ने अधिक ऋण की मांग की है ?

†**श्री हाथी** : जी हां । उन्होंने २.५ करोड़ रुपये अधिक मांगे थे । हमने १ करोड़ रुपये दिये हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जो राशि मांगी गयी थी उतनी ही क्यों नहीं दी गयी ?

†**श्री हाथी** : सारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए आवंटन किया जाता है । आंन्ध्र सरकार ने आय व्ययक में इतनी ही राशि की व्यवस्था की है । उन्होंने ६.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । हमने ५.५ करोड़ रुपये दिये हैं । हम एक करोड़ रुपया और देंगे । कुल मिला कर ६.५ करोड़ रुपया हो जायेगा जिसकी व्यवस्था आन्ध्र सरकार ने अपने आय व्ययक में की है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच नहीं कि नागार्जुन सागर परियोजना की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक हो रही है ? अतः, क्या देश में खाद्य की कमी को देखते हुए सरकार इसका प्रोत्साहन करना आवश्यक नहीं समझती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा कि आन्ध्र सरकार ने अपने आय व्ययक में केवल ६.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । मूलतः ५.४ करोड रुपये दिये गये थे । उसके बाद शेष भी दे दिया गया है । क्या माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि माननीय मंत्री आन्ध्र सरकार को यह आश्वासन दें कि उनकी मांग से अधिक वित्त केन्द्रीय सरकार देगी । ऐसा प्रश्न पूछने का क्या अभिप्राय है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह ठीक नहीं कि आंन्ध्र सरकार ने अधिक अनुदान मांगे हैं और नागार्जुन सागर में जिस गति से प्रगति हो रही है उसके लिये वित्तीय व्यवस्था करने में वह असमर्थ है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आय व्ययक में की गयी व्यवस्था से भी अधिक ?

†**श्री हाथी** : आन्ध्र सरकार ने ५.४ करोड़ रुपये की मांग की थी और हमने वह ऋण दे दिया था परन्तु उसने इसके अतिरिक्त २.५ करोड़ रुपये की मांग की है। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जब प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है तो केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार को अधिक निधि दे। मैं भी यह जानता हूं। परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। हमें उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए आवंटन करना होता है। एक परियोजना में हमें एक करोड़ रुपये की बचत हुई है और वह हमने आन्ध्र सरकार को दे दी है।

दिल्ली में रेड क्रास सम्मेलन

†*८७१. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेड क्रास सम्मेलन संकल्प पारित किये गये जिनमें यह प्रार्थना की गई कि रेड क्रास के इतिहास और इसके उद्देश्यों को स्कूल तथा कालेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक भारतीय रेड क्रास सोसायिटी ने सरकार ने इस बारे में कोई प्रार्थना नहीं की है।

मीन क्षेत्र सम्बन्धी सम्मेलन

†*८७४. **श्री बारियर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५७ में बम्बई में मीन क्षेत्रों के बारे में राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उस में क्या निर्णय किये गये थे; और

(ख) उन में से किसी एक निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) सम्मेलन की सिफारिशें सभा-पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३**]

(ख) वे सम्बन्धित राज्य सरकारों को और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं।

†**श्री बारियर** : इस सम्मेलन में तटदूर मत्स्यग्रहण पर चर्चा की गयी थी परन्तु मीठे पानी म मत्स्यग्रहण पर नहीं, इसका क्या कारण था कि मीठे पानी में मत्स्यग्रहण पर विचार नहीं किया गया और न ही इस बारे में कोई सिफारिशें की गई थीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह सच है कि सम्मेलन में तटदूर मत्स्यग्रहण पर चर्चा की गयी थी समुद्र के निकट के सात राज्यों के साथ मीठे पानी में मत्स्यग्रहण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। हम अन्तर्देशीय मीन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिये उड़ीसा अथवा पश्चिमी बंगाल में कहीं सम्मेलन करने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इस सम्मेलन में चिल्का झील मीन क्षेत्रों के बारे में विचार किया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: मूल विषयों में से एक यह भी था। उस सम्मेलन में उड़ीसा का प्रति-निधित्व ठीक प्रकार किया गया था।

†**श्री वें० प० नायर** : विवरण से पता चलता है कि सम्मेलन में प्रत्येक रेलवे पर माल को ठंडा रखने वाले डिब्बे चलाने की विशेष रूप से सिफारिश की है और इतने वर्ष के बाद हमें आश्वासन दिलाया जा रहा है कि दो डिब्बे चलाये जायेंगे। क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने माल को ठंडा रखने वाले माल डिब्बों का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे कितने समय तक चलाये जायेंगे ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम देश भर की विभिन्न लाइनों पर २० माल डिब्बे चलाना चाहते हैं; हमने इसका साधार ठेका देने के लिये संसार भरसे टेंडर मांगे थे। परन्तु संख्या इतनी कम थी कि किसी ने टेंडर नहीं भेजे। इसलिये हमने रेलवे मंत्रालय से परामर्श करके यह निर्णय किया है कि जहां तक सम्भव हो उनका निर्माण भारत में ही किया जाये। मुझे विश्वास है कि डेढ़ वर्ष में मालाबार तट पर दो ऐसे माल डिब्बे चला दिये जायेंगे।

†**श्री आचार** : मुख्य निर्णय क्या है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वे सभा-पटल पर रखे गये हैं, सम्मेलन में अधिकतर मछली पकड़ने वालों की सरकारी संस्थाओं में शामिल करने, नावों में यंत्रीकरण, मछलियों के परिष्करण और उन्हें ऐसे माल डिब्बों में भेज कर, जिनमें उन्हें ठंडा रखा जा सके, इसका व्यापार बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दिया गया था।

†**श्री वें० प० नायर** : यह देखते हुए कि माल ठंडा रखने वाले डिब्बे मंहगे होते हैं और उन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। क्या सरकार ने खड़गपुर जैसी संस्थाओं से यह गवेषणा करने के लिये कहा है जिस से कि इनका निर्माण कम मूल्य पर किया जा सके।

†**श्री मो० वें कृष्णप्पा** : हम इनकी बजाये विसंवाहित माल डिब्बे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री बारियर**: क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया है जिससे बड़े समवाय साधारण मछुओं से प्रतिस्पर्धा न करें।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वस्तुतः बड़े समवाय मछुओं के लिये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। वे मछुओं से मछलियां खरीद लेते हैं और विदेशों में उन्हें बेच देते हैं। लंका, मलाया और अमरीका को मछलियों का निर्यात कर के वे हमारे लिये डालर कमाते हैं।

आंध्र प्रदेश में कृष्ण बांध[12]

†*८७५. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में कृष्ण बांध का काम इस्पात की कमी के कारण रुक गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]Krishna Barrage Andhra Pradesh.

(ख) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश की सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है कि इस कार्य को पूरा करने के लिये आवश्यक १००० टन इस्पात शीघ्र भेजा जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है कि इस्पात की कमी के कारण काम रुका हुआ है। परियोजना प्राधिकारियों ने यह सूचना अवश्य भेजी थी कि नवम्बर, १९५७ की समाप्ति तक कृष्ण बांध तैयार हो जायेगा और केवल दो दरवाजों का निर्माण होना बाकी रह जायेगा जिसके लिये और ४३१ टन इस्पात की आवश्यकता होगी ।

(ग) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने लोहा और इस्पात नियंत्रक से प्रार्थना की है कि वह मैसर्स टाटा से अथवा आयात किये गये स्टाक में से अधिकतम प्राथमकिता दे कर ४३१ टन इस्पात की व्यवस्था तुरन्त करे ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बम्बई नगर को चावल का सम्भरण

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री नौशीर भरूचा :
श्री आसर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने बम्बई को चावल का पर्याप्त कोटा दे दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उचित मूल्य दुकानों पर लाइन लगा कर घण्टों खड़े रहने के बाद भी लोगों को आधा सेर चावल भी नहीं मिलता ;

(ग) गत तीन महीनों में केन्द्र ने बम्बई को कितना चावल दिया है; और

(घ) बम्बई नगर में खाद्यान्नों की अति कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) सरकार ने अपने चावल के भंडार को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई नगर में चावल बाहर से तो आ सकता था और वहां से बाहर चावल जा नहीं सकता था, नगर में पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा चावल बांटा गया ।

(ख) जी नहीं, प्रति व्यक्ति को ३ सेर चावल दिया जा रहा है ।

(ग) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९५७ में बम्बई नगर में २२,७५० टन चावल बांटा गया ।

(घ) सरकार ने बम्बई नगर में ९,००० टन चावल प्रतिमास बांटना शुरू कर दिया है और अब दुकानों पर लम्बी लाइने नहीं रहतीं :

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या सरकार ऐसा कोई आश्वासन देगी कि वह बम्बई राज्य को इतना चावल देगी कि बम्बई सरकार पहचान पत्रों पर, जो जनता को दिये जाने वाले हैं, लोगों को काफी चावल देने में सफल हो सके ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस समय हम बम्बई नगर के लिए ९,००० टन चावल दे रहे हैं और हर व्यक्ति को ३ सेर चावल मिलेगा बशर्ते कि वह उससे इसी मात्रा में गेहूँ भी ले ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यदि लोगों को पर्याप्त मात्रा में चावल मिलता है तो दुकानों पर लम्बी–लम्बी लाइनें क्यों लगी रहती है। क्या यह भी सच है कि उचित मूल्य की दुकानों की संख्या भी अपर्याप्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लोग एक एक करके लेते है। अतः पर्याप्त मात्रा में चावल मिलने पर भी लाइन तो लगाना ही पड़ेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यदि दुकानों की संख्या काफी होगी तो लम्बी लाइनें नहीं लगेगी । इसका अर्थ है कि दुकानों की संख्या अपर्याप्त है ।

†**श्री अ० म० थामस** : सितम्बर और अक्तूबर दोनों महीनों में हमने ९,००० टन चावल दिया । पर नवम्बर के महीने में हमें आशा थी कि वहाँ के अन्तरिक साधनों से वहाँ चावल उपलब्ध हो जायेगा । अतः हमने बम्बई का चावल का कोटा घटा कर ८,००० टन कर दिया—४,००० टन नगर के लिए और ४,००० टन उपनगर के लिए । पर इस बात की शिकायत की गई कि दुकानों पर लम्बी लम्बी लाइने लगी रहती है अतः हमें बम्बई का कोटा फिर बढ़ा कर ९,००० टन कर दिया ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या बम्बई उपनगर को मिलाकर बम्बई की जनसंख्या और बम्बई उपनगर को मिलाकर बम्बई की चावल की आवश्यकता का सरकार को पता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अनुमान है कि १५,००० टन गेहूं और ८,००० टन चावल की आवश्यकता पड़ेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई प्रश्नों के लिए अनुमति दी जा चुकी है अब हम अगला काम शुरू करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बनाये जाने वाले जहाजों के नक्शे

†***८५४. श्री ईश्वर अय्यर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम शिपयार्ड में जो जहाज बनाये जा रहे हैं उनके मूल नक्शे फ्रांस से आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस से खरीदे गये इन नक्शों पर क्या लागत देनी पड़ी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) शिपयार्ड में नक्शे क्यों नहीं बनाये गयें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सामान्यतया शिप-यार्ड में बनने वाले सभी जहाजों के निर्माण संबंधी सभी नक्शे, शिपयार्ड में ही बनाये जाते हैं केवल मूल नक्शे बाहर से मंगाये जाते हैं।

(ख) फ्रांस से मंगाये गये नक्शों की लागत निम्न प्रकार थी:—

वी० सी० १३५ 'अन्दमान' . ६८,२१० रुपये

बी० सी० १३६ (भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत) ६,५०,००० रुपये

(ग) मूल नक्शा बनाने के लिए पर्याप्त अनुभव तथा पहले बने जहाजों के संबंध में पर्याप्त आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे शिपयार्ड में अभी ये दोनों बातें नहीं हैं।

भारतीय नाविक

†*८६२. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि मालाबार हेराल्ड के 'शिपिंग अंक' में बताया गया है, कि जो भारतीय नाविक पनामा, लाइबेरिया तथा अन्य देशों को जाते हैं उन्हें विदेशों के नाविकों का १/५ भाग ही उपलब्धियां मिलती हैं तथा उनके साथ अनेक प्रकार का सामाजिक भेदभाव किया जाता है ;

(ख) क्या अन्य विदेशी नौवहन हित भी इसी प्रकार का भेदभाव करते हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) जी नहीं। यह बात सच है कि जो भारतीय नाविक विदेशी जहाजों में जाते हैं उन्हें विदेशी नाविकों का १/५ भाग वेतन आदि मिलता है। यह बात ठीक है कि यूरोपीय नाविको की तुलना में भारतीय नाविकों का कम वेतन मिलता है क्योंकि पोत को चलाने के लिए बहुत से नाविकों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी जहाजों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण रेलवे में इंजन परिचालक वर्ग[13]

†*८६३. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के इंजन परिचालक वर्ग अपने कार्यकारी पदों पर विगत पांच वर्षों से अधिक समय में भी स्थायी नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[13]Loco Running Staff of the Southern Railway

(ग) क्या स्थायी पद उपलब्ध नहीं हैं अथवा वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है ;

(घ) क्या स्थायी हो जाने पर उन्हें स्थायीकरण के लाभ भूतलक्षी प्रभाव में मिलेंगे; और

(ङ) बिना अधिक विलम्ब किये उन्हें स्थायी कर देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हाँ।

(ख) विलीनीकरण की पश्चात् वर्ती रिक्तताओं का १४ अप्रैल, १९५१ से स्थायीकरण नहीं किया गया है क्योंकि रेलों की विलीनीकृत अवस्था में मिलीजुली वरिष्ठता सूची और पदोन्नति एककों का निर्णय अभी निलम्बित है।

(ग) स्थायी पद उपलब्ध हैं किन्तु मिलीजुली वरिष्ठता सूचियाँ और उसके पश्चात् चुनाव अभी बाकी है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) 'क' श्रेणी के ड्राइवरों का स्थायीकरण आरम्भ कर दिया गया है। 'ख' श्रेणी के ड्राइवरों का स्थायीकरण उनके चुनाव के पश्चात् शुरू किया जायेगा। इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये एक वरिष्ठ स्तर अधिकारी पहले ही डेपूट कर दिया गया है।

रेंड़ बांध परियोजना[14]

†*८६५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की रेंड़ बांध योजना के लिये निर्धारित २६ करोड़ रुपये में से द्वितीय योजना अवधि में उक्त परियोजना पर कितनी रकम खर्च होने की संभावना है; और

(ख) पैंतालीस करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से रेंड़ बांध योजना पर अभी तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २६ करोड़ रुपये की सम्पूर्ण रकम खर्च होने की संभावना है।

(ख) अक्तूबर, १९५७ के अंत तक ८ करोड़ ९८ लाख रुपये खर्च हुए थे; इनमें से लगभग २ करोड़ ६५ लाख रुपये विदेशी मुद्रा में थे।

चिलका मीन क्षेत्र[15]

†*८६९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) उड़ीसा में बालुगांव के चिलका मीन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के गवेषणा अधिकारी कब से कार्य कर रहे हैं :

(ख) क्या उपयुक्त गवेषणा अधिकारी अपने कार्य के बारे में केन्द्रीय सरकार के समक्ष अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पाये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Rihand Dam Project.

[15]Chilka Fisheries.

(ग) चिलका झील में मत्स्य उत्पादन में ह्रास के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस मत्स्य क्षेत्र को संरक्षित करने और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) १७ मई, १९५६ से।

(ख) जी, हाँ।

(ग) चिलका झील में यदि मत्स्योत्पादन में अवनति हुई है तो इसके कारण अभी इतने शीघ्र नहीं बताये जा सकते हैं। इसका कारण निर्धारित करने में अनेक वर्षों तक अनुसंधान करना पड़ेगा ।

(घ) और (ङ). चिलका अनुसंधान यूनिट द्वारा जांच के परिणाम विदित होने पर ही इस दिशा में संरक्षण प्रदान कर उत्पादन वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पदों की क्रमोन्नति[16]

†*८७२. **श्री संबंदम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ३१ जुलाई १९५७ को मद्रास राज्य के नेगापटम् के जिला भाण्डार नियंत्रक के कार्यालय से कलर्कों के पदों की क्रमोन्नति के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शहानवाज खां)** : (क) जीं, हाँ।

(ख) जी, हाँ। सम्बन्धित कर्मचारियों की प्रार्थनाओं पर विचार किया गया था किन्तु वे औचित्य संगत नहीं समझी गईं।

सांताक्रूज हवाई अड्डा

†*८७३. **श्री कमलनयन बजाज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सांताक्रूज हवाई अड्डे की सीमा और विमान पट्टी को विस्तृत करना आवश्यक है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या और भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ग) उसके लिये (१) हवाई निगम और (२) अन्य पक्षों मे दिये जाने वाले प्रतिकर की सम्भावित लागत कितनी होगी; और

(घ) किन-किन औद्योगिक संस्थाओं की भूमि अधिगृहीत की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Upgrading of Posts.

(ग) अनुमानतः १२३ लाख रुपये हैं किन्तु यथार्थ प्रतिकर की रकम यथासमय भूमि अर्जन प्राधिकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(घ) १. आल इंडिया ग्लास वर्क्स (प्रायवेट) लि० ।
२. विजय इंडस्ट्रीज ।
३. सीस्ता कारपोरेशन ।
४. कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ।
५. कमानी मेटल एलायज (प्रायवेट) लिमिटेड ।
६. भारत सिल्क मिल्ज (प्रायवेट) लिमिटेड ।

पूना-बंगलौर लाइन

†*८७६. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना और बंगलौर के बीच मीटर गैज सैक्शन को ब्राड गैज म परिणत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस कार्य पर कुल कितना खर्च होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). पूना-बंगलौर सैक्शन को ब्राड गेज में परिणत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । खुरुडवादी-मिराज मीटर गेज कनवर्सन के विकल्प रूप में पूना-मिराज सैक्शन को ब्राड गैज में बदलने की जांच की जा रही है ।

रेलवे दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर

†*८७७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री आसनसोल, काटपाडी और कानपुर विस्फोटों के पड़ितों को यदि प्रतिकर दिया गया है तो उसे बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** अन्तर्कालीं सहायता के रूप में २,२०० रुपये की रकम दी गई है ।

इस सम्बन्ध में अधिकारी पक्षों में वितरण हेतु सम्बन्धित श्रमिक प्रतिकर आयुक्तों के पास, २७,००० रुपये जमा कर दिये गये हैं ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*८७८. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जनवरी, १९५८ में कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने के लिये उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से धन स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे १ जनवरी १९५८ से १० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में पूर्व विस्तार कार्य आरम्भ कर सकते हैं । और इन खण्डों का समायोजन कर्मचारियों की उपलबधि पर छोड़ते हुए अप्रैल, १९५८ के आवंटन में समायोजित किया जा सकता है ।

रात्रि विमान डाक-सेवा[17]

†*८७९. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान निगम नागपुर में रात्रि एयर मेल का रुकना बन्द कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में सड़कें

†*८८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि में से पंजाब सरकार को कितनी रकम दी गई है और कुल कितने मील सड़कों का निर्माण हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रथम पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय सड़क निधि से २१८.४१ लाख रुपये पंजाब सरकार को दिये गये थे । राज्य सरकार के ३८३ मील लम्बी सड़कों के निर्माण पर १७६.२१ लाख रुपये खर्च हुए ।

दिल्ली में पानी का सम्भरण और मल-निस्सारण[18]

†*८८१. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जल संभरण और मल-निस्सारण की अनेक योजनायें रूकी पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[17]Night Air Mail Service.

[18]Delhi's Water Supply and Sewage Disposal.

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

धनुषकोटि अवतरणी[10]

†*८८२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनुषकोटि अवतरणी को रामेश्वरम् के निकट सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न की जांच के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है ; और

(ख) इस पर कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) धनुषकोटि आवतरणी के स्थानान्तरण का प्रश्न केतुसमुद्रम् परियोजना से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है और अभी यह परिवहन मंत्रालय तथा योजना आयोग के विचाराधीन है ; इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार विभाग के भवन

*८८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ और १९५६-५७ में डाक तथा तार विभाग के भवन निर्माण कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशियां निश्चित की गई ;

(ख) उसमें से कितने धन का वस्तुतः उपयोग किया जा सका और कितना धन व्यपगत हो गया ;

(ग) १९५७-५८ में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गयी है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में लोक सभा पटल पर एक विवरण पत्र रक्खा गया है ।

विवरण (संख्या लाखों में)

	**१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
पृथक-रक्षित धनराशि .	३,२२**	१,७६	२,९८
उपयोजित धनराशि	१,६९**	१,६९	१७ (सितम्बर, ५७ तक)
व्यपगत धनराशि . .	१,५३	७	—

† मूल अंग्रेजी में

[10]Dhanushkodi Pier.

**इन धनराशियों में जमीन का उपकल्पन सम्मिलित है ।

गण्डक परियोजना

†*८८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र सरीखे प्रमाणपत्र बेचकर पांच वर्ष में पांच करोड़ रुपये उगाहने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) बिहार सरकार गंडक परियोजना को पूरी करने के लिये गंडक बचत प्रमाणपत्र बेचकर पांच करोड़ रुपये इकट्ठा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ख) इस योजना की विस्तृत रूपरेखा भी बिहार सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं की गई है ।

रूरकेला परियोजना और विशाखापत्तनम के बीच रेल की लाइन

†*८८५. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री अमेरीका से ऋण सम्बन्धी २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला परियोजना और विशाखापत्तनम के बीच रेलवे लाइन निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तलकर्षिणी[१०] का क्रय

†*८८६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के लिये अधिक क्षमता सम्पन्न तलकर्षिणी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस की कितनी क्षमता है;

(ग) क्या सुन्दरबन क्षेत्र में तलकर्षण के लिये अतिरिक्त क्षमता शेष रहेगी; और

(घ) यह तलकर्षिणी कब तक कार्य आरम्भ कर देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी, हां । तलकर्षिणी बन चुकी है और उस के जनवरी, १९५८ तक प्राप्त होने की संभावना है ।

(ख) ५,००० टन प्रति घण्टा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) फरवरी, १९५८ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१०] Dredger.

सड़क निर्माण

†*८८७. **श्री य० सिं० परमार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में मोटरोपयोगी सड़कों का निर्माण कार्य समाप्त कर दिया गया है और अनेक गैंग पृथक कर दिये गये हैं,

(ख) क्या यह सच है कि अनेक बेलदार बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नवीन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है और आन्तरिक प्रदेश में जिन सड़कों का काम हो रहा था उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो मोटरों के लिये उपयोगी सड़कों के निर्मण में शीघ्रता के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अब १ नवम्बर, १९५६ के पूर्व आरभ की गयी सड़कों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिन सड़कों पर १ नवम्बर, १९५६ के पूर्व बिना समुचित स्वीकृति कार्य आरम्भ किया गया था वहां कुछ स्थानों पर कार्य रोकना पड़ा था, किन्तु परियोजना का, अनुमोदन होते ही इन्हें पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनसार कार्य हो रहा है।

परियोजना सम्बन्धी कार्यों में सीमेंट का प्रयोग

*८८८. **श्री आसर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में सीमेंट का उचित अनुपात में प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जहां तक सरकार को विदित है, सीमेंट का प्रयोग नियत विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे सुरक्षा बल[21]

†*८८९. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यकीय विभाग द्वारा मूलतः रेलवे कर्मचारियों के रूप में भरती किये गये रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति जो पुनः उस विभाग में जाने के इच्छुक हैं, उन्हे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि जो व्यक्ति १४ अप्रैल, १९५४—जिस दिन से यह विभाग सुरक्षा बल में परिवर्तित कर दिया गया है के पूर्व रक्षा और प्रतिपालन में नियुक्त थे उन्हें नियमित रेलवे सेवा नियोजन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[21]Railway Protection Force.

(ग) उपरोक्त ढंग पर दक्षिण रेलवे में कितने व्यक्ति स्थानान्तरित कर दिये गये हैं और कितने आवेदन कर्ता स्थानान्तरण के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) वैयक्तिक प्रार्थनाओं पर विचार किया गया है और जहां कहीं भी कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव न पड़ते हुए इस की पूर्ति की जा सकती थी ये प्रार्थनायें स्वीकृत कर ली गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) :—

(१) अन्य विभागों में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की संख्या :— . ४८

(२) विचाराधीन प्रार्थनाओं की संख्या :— ३५६

रेल की पटरियों की कीमत

†*८६०. **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा सम्भारित की जाने वाली रेल पटरियों की कीमत उसी स्टैण्डर्ड और नाप की आयात की जाने वाली पटरियों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पटरी की कीमत में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या यह सच है कि मेसर्स टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की पटरियां विदेशी पटरियों से कम टिकाऊ हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में बिजली की खपत

†*८६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली के भावी खपत के बारे में प्राक्कलन तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में आगामी दस वर्षों में बिजली की आवश्यकता और संभरण कितना कितना होगा; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मांग और संभरण की अनुमानित स्थिति नीचे दी गई है:—

वर्ष	मांग	संभरण
१९६०–६१	१४६,००० किलोवाट	१५३,००० किलोवाट
१९६५–६६	१८७,००० किलोवाट	१९७,००० किलोवाट

(ग) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा २०,००० किलोवाट का डीजल चालित स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इस के अतिरिक्त टैक्नीकल सहकारी मिशन की सहायता से ३०,००० किलोवाट स्टीम संयंत्र भी शीघ्र स्थापित किया जायेगा। इन दो नये स्टेशनों से १९६०-६१ तक बिजली की आवश्यकता पूर्ति की जा सकेगी। उस के पश्चात्, पंजाब सरकार की भाखड़ा नांगल व्यवस्था से ४०,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध होगी जो बाद के कुछ वर्षों तक मांग पूर्ति करेगी।

रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*८९२. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में लोक सभा के पटल पर विदेशी मुद्रा से अन्तर्ग्रस्त विभिन्न मदें बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे और बतायंगे कि :

(क) अभी तक उपलब्ध विदेशी मुद्रा निधि कितनी है— इस में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण भी समिलित हो और विभिन्न स्रोतों, रकम और तिथियां अलग अलग बताई गई हों;

(ख) उन विद्युत् बांधों के क्या नाम हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अपनी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत रेलों को बिजली संभरित करेंगे और प्रत्येक बांध द्वारा संभरित अनुमानित एकक कितने हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) माननीय सदस्य से लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण पत्र संख्या १ को देखने की प्रार्थना है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]**

लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र संख्या दो में अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ख) दामोदर घाटी निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार और कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम के मिले जुले तापीय और जल विद्युत ग्रिड पद्धति से पूर्वी और पूर्व-उत्तर रेलवे को विद्युत्शक्ति सम्भरित की जायेगी। मध्य रेलवे के लिये बिजली टाटा, बम्बई राज्य विद्युत् बोर्ड और रेलवे के परस्पर सम्बंधित ग्रिड पद्धति से उपलब्ध होगी। दक्षिण रेलवे के लियें आवश्यक विद्युत् सम्भरण मद्रास सरकार ग्रिड से मिलेगा। चूंकि यह बिजली परस्पर सम्बन्धित ग्रिड पद्दति के माध्यम से संभरित होगी अतः विभिन्न ग्रिड से सम्बन्धित प्रत्येक जल-विद्युत् स्टेशन द्वारा सम्भरित बजली का परिमाण बताना सम्भव नहीं होगा।

डमडम में विमान दुर्घटना की जांच

८९३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) १ सितम्बर १९५७ को डमडम हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फ्रेतर डेकोटा के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच जिसमें चालक वर्ग के चार सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, के बारे में रिपोर्ट क्या सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली में छल-कपट की घटनायें

†*८९४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में क्वार्टरों और फ्लैटों में टेलीफोन चैक करने की आड़ में नागरिकों के साथ बरती जाने वाली छल-कपट की घटनाओं में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन[२२]

†*८९५. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के बारे में २९ अगस्त १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्रों के सीमांकन के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सुझाव के अनुसार बाढ़ क्षेत्रों के सीमांकन के लिये विधि अधिनियमन के प्रस्ताव का भारत सरकार ने परीक्षण किया है । कानूनी स्थिति के अनसार उस कार्य के लिये नया विधान आवश्यक नहीं है । राज्य सरकारों को तदनुसार जानकारी दी जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश का वन विभाग

†*८९६. **श्री य० सिं० परमार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश का वन विभाग सीमावर्ती खम्भे रोप रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कभी कभी ये खम्भ भुस्वामियों के खेतों के मध्य अथवा दरवाजे के समीप खड़े किये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२२]Demarcation of Flood Zones.

(ग) क्या यह सच है कि इससे किसानों को अत्यधिक असुविधा उत्पन्न हो गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि किसानों का हल जमीनों पर कई वर्षों से अधिकार है और हिमाचल प्रदेश में संविलीन होने वाले कई भूतपूर्व राज्यों में जंगल अथवा जमीन का समुचित रेकार्ड नहीं था ?

†**कृषि उपमंत्री श्री मो० वें० कृष्णप्पा**) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) कुछ स्थितियों में खेती तथा चराई के अभिप्राय से किसानों द्वारा सरकारी जमीन पर अनुचित अधिकार कर लिया गया है । स्थिति के अनुसार इन विषयों पर विचार किया जा रहा है । जिन भूतपूर्व राज्यों में अनिधारित जंगलों और बेकार जमीनों का समुचित रेकार्ड नहीं रखा गया था वहां अब नियमित ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों के रिकार्ड लिखे जा रहे हैं ।

अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन

†*८९७. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारत के वृहद् पत्तनों में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड की नियुक्ति के बारे में अखिल भारतीय गोदी का तथा पत्तन कर्मचारी फेडरेशन की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). फेडरेशन की मांगों में पत्तनों और गोदी श्रमिकों के वेतन स्तर पर पुनर्विचार के लिये किसी उपयुक्त माध्यम की स्थापना सम्मिलित थी । सरकार केवल इन्हीं कर्मचारियों के वेतन-स्तर पर पुनर्विचार की मांग का औचित्य अनुभव नहीं कर सकी । १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वेतन स्तर की विषमताओं और विभेदों की आवश्यकता सरकार ने स्वीकार कर ली है इस कार्य के लिये एक विशेष कार्य अधिकारी[२३] की नियुक्ति की गई थी । उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसे पत्तन अधिकारियों के विचारार्थ भेजा गया है ।

पत्तनों में तलकर्षण[२४]

†८९८. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ सितम्बर १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तलकर्षण की व्यवस्था के अभाव में रत्नगिरि जिले के अनेक पत्तन बेकार रहेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[२३]Officer on Special Duty.

[२४]Dredging operations.

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना म रत्नगिरि जिले की नदियों से मिट्टी निकालने का कोई कार्यक्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) छोटे छोटे पत्तनों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । बम्बई सरकार ने रिपोर्ट दी है कि यह कहना सही नहीं है कि तलकर्षण क प्रबन्ध के अभाव में रत्नागिरि जिले के पत्तन कार्य योग्य नहीं रहेंगे। सही स्थिति यह है कि नदियों में जिनके किनारे अधिकांश पत्तन स्थित हैं नौवहन सीमित रहता है क्योंकि नदी मुख पर रेत एकत्र होने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है और परिणामस्वरुप पत्तनों का प्रयोग करने वाली नौकाओं को अवरोध पार करने के लिये ज्वार की प्रतीक्षा करना पड़ता है और उन्हें आन्तरिक क्षेत्रों में पहुंचने में अधिक समय लगता है ।

(ख) जी हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ

†*८९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ की सदस्यता से भारत को क्या क्या लाभ हैं ; और

(ख) क्या उपरोक्त सदस्यता के लिये भारत को अंशदान देना पड़ता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हमारी अन्तर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के संचालन में परस्पर सुविधाएं और इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग की समुन्नति ही इसके मुख्य लाभ हैं ।

(ख) जी हां ।

मैसूर राज्य में क्यासानूर वन रोग[२५]

†*४४२. **श्री वोडयार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के सोराब पतालुक में क्यासानूर वनीय रोग का नवीन प्रकोप आरम्भ हो गया है ; और

(ख) इस रोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या निरोधात्मक उपाय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) रोग का नवीन प्रकोप नहीं है ।

लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]**

स्टेशन मास्टर

†१२११. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कितने स्टेशन मास्टर हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२५]Kyasanur Forest Disease.

(ख) असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से पदोन्नति पर स्टेशन मास्टर को कितना बेसिक वेतन मिलता है ;

(ग) क्या यह सच है कि १०० रुपये वेतन मिलने के पश्चात् असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से पदोन्नति पर स्टेशन मास्टर को नये वेतन स्तर का लाभ नहीं मिलता है ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार उनके लाभ के लिये नये वेतन स्तर पर विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ७,३४० ।

(ख) पदोन्नति पर निम्नतम बेसिक वेतन १०० रुपये है । वेतन का वास्तविक निर्धारण इस बात पर निर्भर है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को ८०–१७० रुपये के वेतन-क्रम में उस समय कितना वेतन मिलता है ।

(ग) स्टेशन मास्टर की पदोन्नति के समय १०० रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को होने वाला सत्वर लाभ १ रुपये से लेकर ६ रुपये तक है । यह असिस्टेंट मास्टर की स्थिति में उसके वेतन पर केवल श्रेवलम्बित है ।

(घ) जी नहीं ।

इम्फाल की गैर सरकारी सार्थों को बिजली का सम्भरण

†१२१२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल की कितनी गैर सरकारी सार्थों को बिजली सम्भरित की गई है ;

(ख) क्या डीजल संयन्त्र की स्थापना के पश्चात् उपरोक्त किसी फर्म के सम्बन्ध में सप्लाई रोक दी गई थी ;

(ग) अब कितने सार्थों ने बिजली के संयन्त्र के लिये आवेदन दिये हैं ; और

(घ) इम्फाल में नवीन संयन्त्र की स्थापना के पश्चात् कितने नवीन कनैक्शन दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ३०

(ख) जी नहीं ।

(ग) ३३

(घ) ३०

इम्फाल में बिजली का सम्भरण

†१२१३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ म अभी तक विद्युत् शक्ति और बिजली के कनैक्शन के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं और कितने अभी निलम्बित हैं ; और

(ग) क्या इन नये कनैक्शनों के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर के नगरों और गांवों में बिजली लगाना

†१२१४. **श्री ले० अचौ सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मनीपुर के कितने नगरों और गांवों में बिजली लगाई गई है ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में 'बाजार' में बिजली लगाने के लिये का चिन्ग गांव को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि थोबल तहसील हेडक्वार्टर्स में नवीन विद्युत कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाने का कार्य मनीपुर में केवल इम्फाल तक ही सीमित रखा गया था ।

(ख) मनीपुर के किसी गांव में बिजली लगाने के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

†१२१५. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (१) पठानकोट-डलहौजी (२) पठानकोट-कुलु (३) कालका-शिमला सड़कों का बड़ा भाग हिमाचल प्रदेश में से गुजरता है और इनका थोड़ा सा भाग ही पंजाब में है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक सड़क का कितना कितना भाग प्रत्येक राज्य में है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश शासन अपने प्रदेश में पड़ने वाले भाग को अपने नियंत्रण म करना चाहता है ; और

(घ) हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले भाग के संधारण पर क्या व्यय आता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

सड़क का नाम	हिमाचल प्रदेश में मील	पंजाब में मील
पठानकोट-डलहौजी (४५ मील)	१४	३१
पठानकोट-कुलु (१७३ मील)	७८	९५
कालका-शिमला (५५ मील)	२१	३४

(ग) जी नहीं।

(घ)

सड़क का नाम	लगभग वार्षिक संचार व्यय
	रुपये
पठानकोट-डलहौजी रोड	२९,९००
पठानकोट-कुलु रोड	१,५०,७००
कालका-शिमला रोड	५१,८००

यात्रियों को सुविधायें

१२१६. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत न होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां छत डलवाने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) यह सच है कि प्लेटफार्म पर छत न होने की वजह से कुछ असुविधा होती है ।

(ख) १९५७-५८ के निर्माण कार्यक्रम में पूरे प्लेटफार्म पर छत डालने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन पैसे की कमी और जरूरी कामों के लिये इस्पात और सीमेंट को बचाये रखने की जरूरत को देखते हुए, रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति[२६] ने इस काम की मंजूरी नहीं दी। अब यह फैसला किया गया है कि स्टेशन की इमारत के सामने प्लेटफार्म पर १३० फीट लम्बी छत डाली जाय ।

इस काम के लिये २५,५९० रुपये की अनुमानित लागत की मंजूरी दी गयी है ।

ग्वालियर रेलवे स्टेशन

१२१७. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के ग्वालियार रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

[२६]Railway users' Amenities Committee.

(ख) क्या सरकार के सम्मुख ग्वालियर स्टेशन पर बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन के दोनों स्टेशनों का एकीकरण करने का सुझाव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क), (ख) और (ग). माननीय सदस्य क मतलब शायद ग्वालियर यार्ड की पुनर्निर्माण योजना से है, जिसे २०,८०,००० रुपये की लागत पर १९५७-५८ के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ग्वालियर में मीटर लाइन का कोई स्टेशन नहीं है। वहां बड़ी लाइन के अलावा, ३ फर्लांग की दूरी पर एक छोटी लाइन का स्टेशन है। यार्ड के ढांचे को बदलने का एक कारण यह भी है कि बड़ी और छोटी लाइनों का एक ही स्टेशन हो जाय, ताकि रेल के इस्तेमाल करने वालों को सुविधा हो और परिचालन की जरूरत पूरी हो सके। इस पुनर्निर्माण योजना में खासकर नीचे लिखे काम शामिल हैं ;

१. मौजूदा माल गोदाम के प्लेटफार्म की जगह डाउन यात्री प्लेटफार्म बनाना।

२. ६ छंटाई लाइन[२७] एक शंटिंग नेक और गाड़ी लेने और छोड़ने के लिये ३ लाइनों की व्यवस्था।

३. नयी जगह पर माल गोदाम बनाने, क्योंकि मौजूदा माल गोदाम के प्लेटफार्म की जगह यात्री प्लेटफार्म बनाया जा रहा है।

४. बड़ी लाइन के पास छोटी लाइन के यात्रियों के लिये सुविधा के काम।

यात्रियों को सुविधायें

१२१८ श्री वाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में निम्नलिखित लाइनों पर यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं ;

(१) लखनऊ–गोंडा–गोरखपुर लाइन, पूर्वोत्तर रेलवे पर ; और

(२) गोंडा–बलरामपुर–गोरखपुर ब्रांच लाइन, पूर्वोत्तर रेलवे पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**.

यात्रियों को सुविधायें

†**१२१९. श्री वाजपेयी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में निम्नलिखित लाइनों पर यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं ;—

(१) ग्वालियर–भिंड

(२) ग्वालियर–शिवपुरी ; और

(३) ग्वालियर–शिवपुर-कलन ब्रांच लाइन (छोटी लाइन) पश्चिम रेलवे पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७].Sorting lines.

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय गोदाम

†१२२०. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १९५७ में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्नों की क्या स्थिति थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : अक्तूबर, १९५७ के अन्त में उक्त गोदामों में खाद्यान्नों की यह स्थिति थी :

	टन
१. विशाखापटनम्	७,६१७
२. हैदराबाद	५४,७८७
३. काकिनाड	२,७००

भ्रष्टाचार निरोधक संगठन

१२२१. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ने १९५६–५७ के दौरान में क्या काम किया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५६–५७ में भ्रष्टाचार तथा एतत्संबंधी अनियमितताओं के १३० मामले पकड़े गये। इस अवधि में ५९ कर्मचारियों को दंड दिया गया। दंड का विवरण इस प्रकार है :—

नौकरी से बरखास्त करना	१
स्थान से हटाना	५
निचले पद में भेजना	६
वेतन वृद्धि रोकना	२२
अन्य दंड	२५

राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि

†१२२२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी प्रत्यय संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के स्वरूप में उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि कार्य) निधि से कितनी राशि दी गई है;

(ख) उक्त निधि में से उड़ीसा के सहकारी राज्य बैंक को माध्यमिक ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(ग) उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा सहकारी राज्य बैंक ने अक्तूबर, १९५७ तक केन्द्र द्वारा स्वीकृत राशि में से कितना धन लिया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ४६·६५ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९·६७ लाख रुपये ।

(ग) १९५६-५७ में राज्य सरकार को ६·२८ लाख रुपये के ऋण और २·९४ लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी जिसमें से राज्य सरकार ने ऋण की सारी राशि निकाल ली थी और वित्तीय सहायता में से उसने २·९३ लाख रुपये की राशि निकाली है ।

चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को १३·९० लाख रुपये दिये हैं जिसमें ९·१५ लाख रुपये ऋण के रूप में थे और ४·७५ लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में । राज्य सरकार ने इस राशि में से अभी कोई धन नहीं निकाला है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सहकारी बैंकों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है ।

वनस्पति

१२२३. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी के निर्माण के लिये कितने प्रतिशत बिनौले के तेल का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) १९५५ की तुलना में १९५६ में इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १९५५ में ७.४ प्रतिशत और १९५६ में १९.३ प्रतिशत ।

(ख) ११.९ प्रतिशत ।

त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण

१२२४. **श्री चांडक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा शासन ने बाढ़ों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): त्रिपुरा प्रदेश में मूल्यवान् संपत्ति की बाढ़ से रक्षा के लिये निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और उन पर कार्य या तो आरम्भ हो गया है या होने जा रहा है ।

योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)
(१) होरा नदी की बाढ़ से अगरतल्ला नगर की रक्षा ।	१३,९३,०००
(२) गुमती नदी की बाढ़ से रक्षा के लिये दुर्गापुर तथा सोनापुर के वर्तमान तटबन्धों की विशेष मरम्मत ।	५३,७७०
(३) गुमती नदी द्वारा कटाव (इरोजन) रोकने के लिये सोनापुर नगर के पास कटावस्थल पर दोहरी क्षेपिकाएं (डबल ग्रौइन्स)	

†मूल अंग्रेजी में

	और तोड़े हुये पत्थरों तथा घनी झाड़ियों आदि की रोक बनाना	२८,७३२
(४)	अगरतल्ला नगर के समीप होरा नदी पर स्पर तथा क्षेपिकाएं बनाना।	४,८५०
(५)	खोवाई नदी की बाढ़ से खोवाई नगर की रक्षा।	४८,३२२
(६)	दुर्गापुर में गुमती पर दौहरी क्षेपिका (ग्रौइन) वाले और एक अनुदैर्ध्य क्षेपिका (लौंगियटयूडिनल ग्रौइन) से जुड़े हुये स्परों को बनाना।	११,८२०
(७)	उदयपुर नगर के समीप गुमती नदी पर अस्थाई लम्बे स्परों को बनाना।	६,९२२
(८)	मोगरा मार्ग के विस्तार पर जौयनगर के पास टूटे हुये हिस्सों का भरान, तटबन्ध के ढाल पर टूटे हुये पत्थर बिछाना और क्षेपिकाओं की मरम्मत करना।	१६,९००
(९)	रंगामातिया गांव की गुमती की बाढ़ से रक्षा।	४,२००
(१०)	ककराबन गांव की गुमती नदी के कटाव से रक्षा।	५,२००
(११)	मानू नदी की बाढ़ से काला शहर नगर की रक्षा।	१,३१,९००
(१२)	उदयपुर नगर की गुमती के कटाव से रक्षा।	५,७१५
(१३)	खोवाई नदी के कटाव से तेलीमुरा गांव की रक्षा।	१२,८४०
(१४)	सब्रूम नगर की रक्षा के लिये स्परों को बनाना।	५,०००
(१५)	ढलाई नदी के कटाव से कोलाई बाजार की रक्षा।	३,१००
(१६)	गुमती की बाढ़ से सोनामुरा नगर की रक्षा।	५८,८००
	कुल जोड़	१७,३१,०७१

क्रम संख्या (३) से (८) और (१४) पर दी गई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और क्रम संख्या (१) वाली योजना पूरी होने वाली है।

भोजन यान[२७]

†१२२५. **श्री बीरेन राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारतीय रेल गाड़ियों में भोजन यानों की रसोई और वहां मिलने वाला खाना अस्वच्छ रहता है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यात्रियों को भोजन के लिये आर्डर देने से पहले भोजन की कोई मुद्रित मूल्य अथवा भोजन-सूची नहीं मिलती; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७] Restaurant Cars.

(ग) क्या लम्बी दूरी वाले रेलवे यात्रियों तथा विदेशी पर्यटकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं, इसके विपरीत भारतीय रेलों में भोजन-यानों की रसोइयों तथा वहां मिलने वाले भोजन की सामान्य हालत काफी संतोषजनक होती है।

(ख) और (ग). कुछ रेलों में बैरों को छपी हुई अथवा हाथ से लिखी हुई भोजनसूची दी जाती हैं जिन्हें वे मांगने पर यात्रियों को दिखाते हैं तथा कुछ रेलों में बैरे यात्रियों को भोजन की वस्तुओं तथा कीमतों के विषय में जबानी बता देते हैं।

अब सभी रेलों को यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे अपने बैरों को छपी हुई भोजन-सूची देने की प्रथा का पालन करें।

तारों का भेजना

†१२२६. **श्री आसर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रत्नागिरी जिले (बम्बई राज्य) में चिप्लन तारघर में तारों की बहुत भरमार होने के कारण तार एक दिन बाद भेजे जाते हैं; और**

(ख) **यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?**

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**:(क) जी नहीं; केवल कभी कभी जब लाइनें रुकी होती हैं तब अवश्य देर हो जाती है। यह देर प्रायः ४ घंटे से अधिक नहीं होती।

(ख) चिप्पलन संयुक्त कार्यालय से तार के परियात के दबाव को कम करने के लिये बम्बई से चिप्लन तक एक अतिरिक्त लाइन खोली गयी है।

रेलवे में वाणिज्यिक लिपिक (कर्माशियल क्लर्क)

†१२२७. **श्री आसर: क्या रेलवे** मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे काउन्टरों पर काम करने वाले वाणिज्य-लिपिक (कर्माशियल क्लर्कों) ने गलती से जो खोटे सिक्के ले लिये या कम रुपया लिया, उसके कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि वसूल की गयी है; और

(ख) जैसे स्टेट बैंक तथा अन्य औद्योगिक संस्थाओं में काउन्टरों पर काम करने वाले क्लर्कों को ऐसी आकस्मिक कमी की पूर्ती के लिये कुछ राशि दी जाती है इस प्रकार का कोई एलाउन्स रेलवे कमर्शल क्लर्कों को क्यों नहीं दिया जाता है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) २,१३,८५७ रुपये १० आने १ पाई वसूल किये गये।

(ख) इस प्रकार का एलाउन्स देना उपयुक्त नहीं समझा जाता है और न स्टेट बैंक में ही ऐसा एलाउन्स दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

करजात[28] में पानी की सप्लाई

†१२२९. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करजात ग्राम पंचायत का सप्लाई किये जाने वाले पानी की दर क्यों बढ़ाई गई है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके पड़ौस के ही गांव डांही नाली ग्राम पंचायत में पम्प द्वारा ६ आने प्रति हजार गैलन की दर से पानी दिया जा रहा है;

(ग) क्या करजात ग्राम पंचायत की ओर से पानी की सप्लाई की दर घटाने के लिये कोई शिष्टमण्डल मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) करजात ग्राम पंचायत को दिये जा रहे पानी की दर सभी रेलों पर पानी को जमा करने तथा श्रम के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण सभी रेलों पर पानी सप्लाई की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ाई गई है। यह निर्णय सभी बाहर वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिये लागू होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई शिष्टमंडल तो नहीं मिला। किन्तु करजात ग्राम पंचायत के सरपंच की तरफ से अवश्य यह प्रार्थना की गयी थी कि पानी का मूल्य कुछ कम किया जाये। उन्हें बता दिया गया है कि पानी की दर कम करना सम्भव नहीं है।

(घ) वास्तव में पानी की दरों को कम करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस समय सभी रेलों पर १ रुपया प्रति हजार गैलन का दाम लिया जाता है। यह सभी रेलों पर आने वाले व्यय का औसत है। इसमें किसी प्रकार का लाभ शामिल नहीं है। दाम कम करने से रेलवे को हानि होने की संभावना है।

ग्वार

१२३०. **श्री आसर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वार ग्रेन, ग्वार गम आदि के पोषक तत्वों की परीक्षा करने के लिये भारतीय पशुचिकित्सा गवेषणा संस्था, इज्जतनगर में जो परीक्षण किये गये हैं, उनका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : ग्वार गम, ग्वार बीनस और ग्वार मील के कुछ नमूनों पर भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान शाला, इज्जतनगर में पोषक तत्वों को जानने के लिए परीक्षण किये गये। इन प्रयोगों के नतीजों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८**]। इससे मालूम हो जायेगा कि ग्वार मील में बाकी दोनों वस्तुओं की निस्बत अधिक प्रोटीन होता है।

---

†मूल अंग्रजी में

[28]. Karjat.

उड़ीसा में बुरला (हीराकुड) में मैडिकल कालेज

†१२३१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर जिले में बुरला (हीराकुड) में दूसरा मैडिकल कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना की है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्कल विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से बुरला (हीराकुड) में उक्त मेडिकल कालेज खोलने की सिफारिश की है; और

(ग) क्या भारत सरकार इस कालेज के लिये राज्य-सरकार को कुछ सहायता देने का विचार रखती है जिस की कि राज्य में बड़ी आवश्यकता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा सम्बलपुर में एक दूसरा मैडिकल कालेज बनाने के लिये प्रार्थना की गई है ।

(ख) जी हां, उत्कल विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट ने सम्बलपुर में यह मैडिकल कालेज बनाने की सिफारिश की है ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

खाद्यान्नों के बीज

†१२३२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में अब तक बम्बई राज्य को विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के बीजों की कितनी मात्रा दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: १९५७ में अभी तक बम्बई राज्य को किसी प्रकार के खाद्यान्न के बीज नहीं दिये गये हैं। केवल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने राज्य में अपने 'सब-स्टेशनों' को स्वयं बीज उत्पन्न करने तथा राज्य के किसानों में बांटने के लिये १३७ मन परिशोधित नई पूसा गेहूं अवश्य भेजी है ।

कुएं

†१२३३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५७–५८ में अब तक बम्बई राज्य को कुएं खोदने तथा कुओं की मरम्मत के लिये कितनी राशि दी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: राज्य सरकार को इस कार्य के लिये २४.९७ लाख रुपये का ऋण तथा ८.४३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ।

गेहूं के बीज

†१२३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) पंजाब राज्य को गेहूं तथा अन्य अनाज के बीज की कितनी मात्रा भेजी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: १९५७ में अभी तक पंजाब राज्य को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी गयी ६५५ मन २५ सेर नई पूसा गेहूं को छोड़ कर कोई गेहूं तथा अन्य अनाज के बीज नहीं भेजे गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय फार्म युवक विनिमय कार्यक्रम

†१२३५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय फार्म युवक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने युवकों को, जो कि अब विभिन्न राज्यों में सेवानियुक्त कर दिये गये हैं, अमेरीका में ट्रेनिंग दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : दस।

विदेशों से खरीदा गया सामान[29]

†१२३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में परिवहन विभाग के लिये कुल कितने मूल्य का सामान विदेशों से खरीदा गया;

(ख) इस अवधि में देश में से कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया है;

(ग) विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान को कम करने के लिये क्या कोई तात्कालिक तथा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). सूचना संकलित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए प्रत्येक सामान को यथा सम्भव विदेशों से कम खरीदने के प्रश्न पर पूर्णरूपेण विचार किया गया है और जब तक अत्यन्त आवश्यक नहीं होता तब तक कोई भी सामान विदेशों से नहीं खरीदा जाता है। भविष्य की दृष्टि से भी इस समय बाहर से मंगाये जा रहे सामान के बारे में देशी उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाये जाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

समुद्र को तेल से दूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

†१२३७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने समुद्र को तेल से दूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को, जिस का प्रारूप १२ मई, १९५६ को लन्दन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तैयार किया गया था, स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[29]Stores purchased from abroad.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जी नहीं। अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चय नहीं किया है।

डी० टी० एस० बसों के किराये का पुनरीक्षण

†१२३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० टी० एस० ने अब तक ३ वर्ष से १२ वर्ष की आयु के बच्चों के किराये के बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस में इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार मंडल ने हाल ही में बसों के किरायों में सामान्य कमी करने का निश्चय किया है। अनुमानतः इस से उस की वार्षिक आय लगभग ६ लाख रुपये कम हो जायेगी। यह नये किराये १ जनवरी, १९५८ से चालू होंगे। इसलिये जब तक प्राधिकार मंडल इस बात का निश्चय नहीं कर लेता कि किरायों का वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब तक वह किरायों में और किसी किस्म की छूट नहीं दे सकता। इसलिये उस ने बच्चों के लिये आधा किराया लेने के प्रश्न को अभी ६ महीने के लिये स्थगित कर दिया है।

भाखड़ा-नंगल में विदेशी पर्यटक

†१२३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ के दौरान में कितने विदेशी पर्यटक भाखड़ा नगल देखने गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ४५२ विदेशी पर्यटक।

रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†१२४०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री तिम्मय्या :

क्या **रेलवे** मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने के विभिन्न मार्गों पर पुनर्विचार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उस के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति ने कुछ रेलवे कार्मिक संघों के प्रतिवेदनों को इस आधार पर ठुकरा दिया है कि उन्हें मान्यता नहीं प्राप्त है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १. श्री जी० डी० तापसे—चेयरमैन ।

२. श्री बी० वी० माथुर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे—सदस्य

३. श्री वी० कंनिधम, सीनियर डिप्यटी डायरेक्टर जनरल, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफस—सदस्य

४. श्री ए० पी० शर्मा, वाइस प्रेसीडेंट, नेशनल फैडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन—सदस्य

५. मिस मनीबेन कारा, प्रैसीडेंट, पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ—सदस्य

६. श्री एस० एस० जागोटा, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स—सदस्य

७. श्री जे० एन० राय, डिप्यटी जनरल मैनेजर, पूर्व रेलवे—सदस्य

८. श्री बी० एम० दातार, डायरेक्टर, लेबर एंड एम्पलायमेंट, प्लानिंग कमीशन—सदस्य

(ख) समिति ने मान्यता प्राप्त रेलवे कार्मिक संघों, व्यक्तियों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को अपनी प्रश्नावलि भेजी तथा उन के साथ इन्टरव्यू किये किन्तु उस ने अमान्यता प्राप्त रेलवे कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ उन की व्यक्तिगत हैसियत से ही बात चीत की है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के अतिरिक्त व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की भी सुनवाई हुई है । इस से ज्यादा और कुछ करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

उर्वरक

†१२४१. डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेडा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एमोनियम सलफेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो आयात की मात्रा किस सीमा तक घटाई जायेगी; और

(ग) इस के स्थान पर अन्य किस प्रकार के उर्वरक आयात किये जायेंगे तथा किन किन देशों से मंगाये जायेंगे ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) : एमोनियम सलफेट इस समय देश में सब से अधिक लोकप्रिय नाइट्रोजन का उर्वरक है और इस समय एक यही उर्वरक देश में बनाया जा रहा है । सिंदरी कारखाने की विस्तार योजना के अन्तर्गत अब उसमें यूरिया, एमोनियम सलफेट, नाइट्रेट तथा कैल्शियम, एमोनियम नाइट्रेट बनाने का निश्चय किया गया है । इन उर्वरकों को अपने कारखानों में बनाने से पहले इनका प्रचार करने के हेतु हम उनका विदेशों से आयात कर र हैं । इसके फलस्वरूप एमोनियम सलफेट का निर्यात कम हो गया है । दूसरे विदेशी विनिमय की कमी के कारण एमोनियम सलफेट का आयात और भी कम करना पड़ा है । १९५८-५९

†मूल अंग्रेजी में

में ३ लाख टन के निर्यात के स्थान में हम केवल १ लाख टन एमोनियम सलफेट का आयात करेंगे ।

(ग) यूरिमा, एमोनियम सलफेट नाइट्रेट तथा केलशियम एमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जायेगा । ये किन देशों से आयात, किये जायेंगे उनके नाम १९५८–५९ के क्रम संविदाओं के पूर्ण हो जाने के बाद ही बताय जा सकते हैं ।

केरल में लाल वर्षा

†१२४२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हासदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाल पानी के नमूने का विश्लेषण किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, उस रिपोर्ट का विवरण ;

(ग) क्या यह भी सच है कि १ सितम्बर, १९५७ को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला की तामलुक नगरपालिका के कुछ भागों में पीली वर्षा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस क्या पीले पानी की रसायनिक रचना का तथा उसके रंग का विश्लेषण किया जा चुका है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९**] ।

(ग) एक पत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार के अतिरिक्त सरकार के पास इस सम्बन्ध में अन्य कोई सूचना नहीं है । तामुलक में अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी कोई वेधशाला नहीं है । पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि इस समाचार की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

१२४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन बिकास सम्बन्धित जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा था उनमें से प्रत्येक के लिये १९५७–५८ म कितनी कितनी धन राशि नियत की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त पर्यटन के विकास के लिये और किस प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) केन्द्र द्वारा स्वीकृत सहायता पूंजी निम्न प्रकार है :—

(१)	पर्यटन कार्यालय (टूरिस्ट ब्यूरो) . .	३५,००० रुपये
(२)	हिमालय स्थित तीर्थ-मार्गों पर बने बल्लियों के प्रवास-गृह	१,००,००० रुपये
(३)	आगरा, अयोध्या और लखनऊ स्थित कम आमदनी वाले लोगों के लिये विश्राम-गृह	कुछ नहीं, क्योंकि अयोध्या और लखनऊ के कम आमदनी वाले विश्राम-गृह की व्यवस्था को स्वीकृत पर्यटन योजना में शामिल नहीं किया गया है और आगरा में कम आमदनी वाले लोगों के लिये राज्य सरकारों से पूछे गये विस्तृत विवरण और प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से कोई दूसरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी राज्य सरकार को ओखला के पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था के लिये ३० हजार रुपये का अनुदान दे दिया गया है ।

खाद्य

†१२४४. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री ब० स० मूर्त्ति :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में खरीदा गया खाद्यान्न अभी तक किन किन राज्यों को भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : केरल, मद्रास, पश्चिम बंगाल और बम्बई ।

रेलवे स्टेशनों पर चोरियां

१२४५. श्री आसर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुसावल और नासिक के बीच के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के माल असबाब की चोरियों की घटनायें बढ़ती जा रही हैं और रेलवे मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों की जांच की है और यह पता लगाया है कि उनके लिये कौन उत्तरदायी है;

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि कई रेलवे स्टेशनों पर गुण्डों के गिरोह हैं और वहां के चौकीदार और पुलिस उनसे मिली हुई है;

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई बड़ी कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) मध्य रेलवे में भुसावल और नासिक के बीच के स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की चोरी की घटनाओं में कोई खास बढ़ती नहीं हुई है। लेकिन चोरी के मामलों की जब तब रिपोर्ट मिलती रहती है ।

(ख) रेलवे पुलिस ने ऐसे मामलों को दर्ज करके उनकी जांच की । बहुत से अपराधी पकड़े गये और उन्हें सजा दिलायी गयी । पुलिस की जांच के दौरान में यह भी पता चला कि ये चोरियां किसी हद तक यात्रियों की लापरवाही के कारण भी हुई ।

(ग) गुंडों का कोई संगठित गिरोह नहीं है और न इस बात का सन्देह करने का कोई कारण है कि रेलवे सुरक्षा दल या रेलवे पुलिस इन गुंडों से मिली हुई है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

डा० हानसेन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में नियुक्ति

†**१२४६. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्नल हार्बर इंजीनियरिंग विशेषज्ञ डा० हानसेन ने, जिनकी कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में नियुक्ति की गई थी, कोचीन बन्दरगाह में जलमार्गों में मिट्टी तथा रेत के भर जाने को रोकने के लिये कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या डा० हानसेन केरल ने वेमबानत में नामीरमुक्कम बांध के बनाने के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके क्या सुझाव हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). जी हां । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि या तो मात्तनचेरी जलमार्ग को ठीक किया जाये या रेल रोड पुल के नीचे से एरनाकुलम चेनल बनाई जाय ।

(ख) तथा (घ). जी हां । उनकी राय है कि थानरमुकम बांध से कोचीन के बन्दरगाह पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना, द्वारा पहले किये गये प्रयोग भिन्न स्थितियों तथा ज्वारभाटे की भिन्न सीमाओं एवं कालों में फिर से दोहराये जायें ।

बम्बई के केन्द्रीय तार घर में पुश बटन तार मशीन

†१२४७. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के केन्द्रीय तार घर में लगाई गई पुश बटन तार भेजने की मशीन ठीक रूप से काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मशीन की मरम्मत करना संभव है; और

(ग) इसकी मरम्मत पर कितना रुपया व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) बम्बई के केन्द्रीय तार घर में बने अंशत: स्वचालित टेप रिले सिस्टम (पुश बटन सिस्टम) लगाया गया था । वह वहां पर जून १९५७ से कार्य कर रहा है । उसके कार्य का निरीक्षण हो रहा है ।

(ख) इस मशीन द्वारा अधिक तारें भेजी जा सकें इस दृष्टि से इसके नमूने में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर के अनुसार, इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

कुन्नूर में स्टेशन खोलना

†१२४८. **श्री नारायण स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरियाकुलम् तालुक के मदुरा-बोडिनायकनूर रेलवे पर कुन्नुर में एक स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में कोई याचिका प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) मदुरा-बोडिनायकनूर ब्रान्च रेलवे पर वल्लानरी रोड और तेनी रेलवे स्टेशनों के बीच कुन्नूर म एक स्टेशन खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की गई थी किन्तु इस मांग का पर्याप्त समर्थन

---

†मूल अंग्रेजी में

या तो वित्तीय कारणों से या वहां से यात्रियों के संभाव्य आवागमन के प्रसंग म, नहीं हो सका। इस लिये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

नरज और टिकरपाड़ा परियोजनायें[10]

†१२४९. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य की सरकार ने नरज और टिकरपाड़ा परियोजनाओं के बारे में इस बीच कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये प्रविधिक कर्मचारी

†१२५०. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री नदी घाटी परियोजनाओं के लिये प्रविधिक कर्मचारियों के बारे में २९ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कार्यान्विय सम्बन्धी आवश्यक आदेश इस बीच जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये गये हैं उनमें से प्रत्येक की अब क्या स्थिति है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मई १९५६ में सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे परियोजना के स्थान में कामदिलाऊ दफ्तरों की स्थापना के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दें।

(ख) दामोदर घाटी और हिराकुड परियोजनाओं में परियोजना कामदिलाऊ दफ्तर कार्य कर रहे हैं। भाखड़ा-नंगल और तुंगभद्रा परियोजनाओं को छोड़ शेष सभी परियोजनाओं के स्थान में काम दिलाऊ दफ्तर की स्थापना पर राज्य सरकारें सहमत हो गईं किन्तु ये दफ्तर अब तक खुले नहीं हैं।

रायगढ़[11] **में रेलवे स्कूल**

†१२५१. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था करने की कार्यवाही कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[10] Naraj and Tikarapade 1:' '. ,

[11] Rayagada.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) तथा (ख). जी हां। स्कूल के भवन के विस्तार के लिये गत मास रुपया मंजूर कर दिया गया है।

खाद्यान्नों का आयात

†१२५२. {**डा० राम सुभग सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ के आरम्भ से अब तक कुल कितनी राशि के खाद्यान्नों का आयात किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : ३१ अक्तूबर, १९५७ तक सरकार ने भाड़े सहित १४३ करोड़ के खाद्यान्नों का आयात किया है।

आवास के लिये बस्तियों का विकास

१२५३. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि दिल्ली राज्य में मकान बनाने के लिये गैर-सरकारी बस्तियां बसाने वालों को भूमि को विकसित करने और प्लाटों को बेचने के लिये प्रोत्साहित किया जाये ;

(ख) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) इन गैर-सरकारी बस्तियां बसाने वालों ने विभाजन के पश्चात् कितनी और कौन कौन सी बस्तियां बसाई हैं और प्रत्येक बस्ती का स्वामी कौन है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नीति विषयक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन की समस्या

†१२५४. **श्री य० सिं० परमार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की तहसील प्रेमद की काफी आलू की फसल साराहन तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों से मंडियों में इस कारण न लाई जा सकी क्योंकि परिवहन की सुविधायें न थीं;

(ख) क्या यह सच है कि परिवहन विभाग तब तक ट्रक नहीं देता जब तक उत्पादक खाली ट्रकों का किराया नाहन से साराहन तक न दें ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी ट्रक उस रास्ते पर नहीं चला सकता ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हम कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीग्राफ तार की चोरी

†१२५५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन की तारें काटने के कितने मामले दर्ज हुए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अगस्त से अक्तूबर के तीन महीनों में तांबे की तारों की चोरी के ११५३ कैस दर्ज हुए हैं ।

सेमरिया घाट दुर्घटना[१२]

†१२५६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ सितम्बर, १९५५ को हुए सेमरिया घाट की दुर्घटना के कितने दावे अभी तक न्यायालयों में पड़े हैं और कितनी रकम के दावे ह;

(ख) निकाली गयी चीनी के परिणामस्वरूप क्या कुछ राशि वसूल कर ली गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भेजने वालों को दी गयी थी ;

(घ) यदि नहीं तो क्यों नहीं ;

(ङ) उस सम्बन्ध में रेलवे ने कितना व्यय किया है और मुकदमें बाजी में और कितने धन के लग जाने की आशा है ; और

(च) क्या पक्षों को समझौते की कोई शर्तें पेश की गयीं थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ९ दावे हैं जो लगभग १.१ लाख की रकम के दावे हैं ।

(ख) ९,८०० रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चूंकि निकाली गयी चीनी विभिन्न प्रेषणों में विभक्त न की जा सकी इस लिये प्रेषकों तथा प्राप्त करने वालों को कोई राशि नहीं दी गई है ।

(ङ) अब तक रेलवे ने २१९ रुपये १६ नये पैसे व्यय किये हैं और भावी व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(च) जी, नहीं ।

रत्नागिरि, बम्बई राज्य में आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र

१२५७. **श्री आसार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि बम्बई राज्य के रत्नागिरि जिले में औषधीय जड़ी-बूटियां बहुतायत से होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां कोई आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]Semaria Ghat Accident

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) रत्नागिरि जिले में कोई आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप

†१२५८. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप में छत वाले स्थान के अभाव के कारण गत दो वर्षों से माल के डिब्बों पर शब्दों आदि का अंकन खुले स्थान में किया जाता है जहां धूप और वर्षा का कोई रोक नहीं है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये शैड बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) वर्कशाप में प्रति महीने कितने माल डिब्बे बनाये जाते हैं और कितने खुले में रहते हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) माल के डिब्बों पर शब्दों का अंकन वैसे तो खुले स्थान में ही किया जाता है किन्तु तेज धूप और वर्षा में नहीं किया जाता। यह बात कई वर्षों से चली आई है अभी दो वर्षों से नहीं। निकम्मे मौसम में यह काम शैडों के भीतर किया जाता है और उसे देर तक कर लिया जाता है।

(ख) इस काम के लिये अतिरिक्त शैड बनाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) चार पहियों वाले २७० माल डिब्बे प्रति मास बनाये जाते हैं और लगभग १५ या २० व्यक्ति इन पर शब्दांकन के लिये १ या दो घंटे नित्य खुले स्थान में काम करते हैं।

चीरा[11]

†१२५९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने दीमापुर (आसाम) में चीरा की नीलामी की;

(ख) यदि हां, तो इस के आसाम में बेचने के क्या कारण थे इसे मनीपुर में क्यों नहीं बेचा गया; और

(ग) १ जनवरी से अक्तूबर १९५७ तक कितने चीरे का विक्रय किया गया तथा प्रति मन पर क्या लाभ रहा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :(क) हां, श्रीमान्।

(ख) मनीपुर में आवश्यकता से अधिक चीरा है। अभी तक केवल ७५० मन का निर्यात किया गया है और १ रुपया प्रति मन के लाभ पर उसे बेचा गया है।

आंध्र प्रदेश से चावल की प्राप्ति

†१२६०. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में लिये गये चावल के सम्बन्ध में चावल मिलों या किसानों को भुगतान किये जाने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Chira.

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारियों की सेवा वृद्धि

†१२६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को उत्तर रेलवे में सेवा वृद्धि दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आयु-सीमा के बढ़ाने के स्थान पर उन व्यक्तियों को ही सेवा-वृद्धि देने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे विस्तार से अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां। उत्तर रेलवे में केवल एक ही व्यक्ति को सेवा वृद्धि दी गई है ।

(ख) यह सेवा वृद्धि सेवा के लिये देखी गयी आवश्यकता के आधार पर ही दी गयी है। चूंकि यह ही एक मामला था इसलिये आयु-सीमा बढ़ाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर के फलस्वरूप यह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता।

मकई तथा धान के डण्ठलों में भोज्य तत्व[34]

†१२६२. **श्री झूलन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकई तथा धान के डंठलों के भोज्य तत्वों के बारे में कोई गवेषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि जिस तरह से वह चारा पशुओं को खिलाया जाता है उस से पशुओं को हानि होती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) धान के चारे के सम्बन्ध में तो गवेषणा की गई है किन्तु मकई के बारे में नहीं ।

(ख) तथा (ग). पशुओं को इसे प्रयोग कराने के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०**]

फीरोजपुर-दिल्ली के बीच गाड़ी

†१२६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर से दिल्ली तक और फीरोजपुर से पटियाला अम्बाला तक दिन के समय तेज एक्सप्रैस गाड़ियां चलाने की योजना है; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[34]Food Value

(ख) द्वितीय योजना में यात्री गाड़ियों तथा इंजनों की सीमित व्यवस्था होने के कारण यही आवश्यक समझा गया है कि उन्हें अधिमान्यता के आधार पर प्रयुक्त किया जाये अर्थात् जिधर आवश्यकता अधिक हो वहां ही अधिक प्रयोग किया जाये ।

रेल के सवारी-डिब्बे

†१२६४. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५६ में मध्य रेलवे के पास कितने कार्य योग्य सवारी-डिब्बे थे;

(ख) फरवरी, १९५७ में मध्य रेलवे के पास कितने कार्य योग्य सवारी-डिब्बे थे;

(ग) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५७ के अन्त में डिब्बों की कमी हो गयी; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) तथा (ख). मध्य रेलवे के पास सवारी-डिब्बों की संख्या यह थी :—

जनवरी, १९५६	२३५३
फरवरी, १९५७	२२९४

(ग) कमी नहीं है किन्तु धारण में ही कमी की गई है ।

(घ) धारण में कमी इसलिये हुई कि कुछ डिब्बे हस्तांरित कर दिये गये तथा कुछ डिब्बे अन्य रेलवे में वैज्ञानिक ढ़ंग से रखे जाने के लिये भेजे गये जैसे दिल्ली—मद्रास जनता के रेक कुछ डिब्बे दक्षिण रेलवे के संधारण में दिये गये ।

सुवर्ण रेखा नदी पर जमसोला पुल

†१२६५. **श्री सुबोध हांसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई रोड (सड़क नं० ६) को एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिलाने के लिये सुवर्ण रेखा नदी पर जमसोला पुल के निर्माण में किस कारण देरी हुई; और

(ख) इस के कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) पुल के बनाये जाने वाले स्थान पर पहले पहल जो खुदाई हुई उस से पता लगा कि कम गहराई पर ही चट्टानें हैं इस कारण इस आधार पर नदी के प्रवाह क्षेत्र में खुली नींव वाले स्तम्भ बनाने का तरीका अपनाया गया। किन्तु जब वास्तविक कार्य आरंम्भ किया गया तो पता लगा कि नींव के लिये मजबूत चट्टानें कम गहराई पर नहीं हैं और इस कारण यह तरीका उपयुक्त न रहेगा। इसलिये कुछ स्तम्भों की नींवों के पुराने तरीकों को बदलना पड़ा अर्थात् खुली नींव के स्थान पर गहरी नींव बनाई गयी। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि उस स्थान पर

---

†मूल अंग्रेजी में

विशिष्ट नींव स्थिति से कारण खोदने की वाति-प्रणाली को ही अपनाया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये एक विशेष सयन्त्र मौके पर लाया जा रहा है इन सब बातों के कारण निर्माण में देरी हो गयी।

(ख) १९५९ के मध्य तक।

टेलीफोन आपरेटर

१२६६. { श्री खादीवाला :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन चालकों की बदलियां बहुत जल्दी जल्दी होती हैं;

(ख) उन टेलीफोन चालकों की, जो किसी विशेष एक्सचेन्ज से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बदलियां करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या टेलीफोन चालकों की जल्दी जल्दी बदली करने की नीति का टेलीफोन विभाग की कार्य कुशलता तथा उस के सुचारु रूप से कार्य करने पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

अहमदाबाद स्टेशन यार्ड को नवीन ढंग से बनाना

†१२६७. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जून, १९५७ के बम्बई गजट में अधिसूचना द्वारा अहमदाबाद में माधो भाई मिल्स के अहाते में रहने वाले किरायेदारों को सूचनायें दी गयी थीं कि अहमदाबाद यार्ड के पुनर्निर्माण के लिये उन स्थानों को अर्जित किया जायेगा;

(ख) क्या माधो भाई मिल्स कालोनी के किरायेदारों की संस्था ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे हैं कि इस काम के लिये दूसरी जमीनें ले ली जाये और उन की फैक्टरी बन्द न होने दी जाये अन्यथा वे बेकार हो जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो उन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या सरकार यार्ड की इस योजना को उस समय तक स्थगित नहीं करेगी जब तक वहां की बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन की व्यापक योजनायें पूरी नहीं हो जातीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४ के अधीन सूचना दी गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). रेलवे प्रशासन को कहा गया है कि वह राज्य सरकार से सलाह करके मामले पर दोबारा विचार करे ताकि यह संभव हो सके कि क्या कोई अन्य स्थान प्राप्त हो सकता है या इसी स्थान पर कम भमि लेकर गुजारा चल सकता है । अहमदाबाद के प्रस्तावित नवीन ढंग से बनाने की योजना अविलम्बनीय बात है और इस योजना के ब्यौरे पर विचार हो रहा है ।

जम्मू में केन्द्रीय यंत्र सज्जित फार्म

†१२६८. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में जम्मू स्थित केन्द्रीय यंत्र सज्जित फार्म में कितनी लाभ या हानि हुई ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० बें० कृष्णप्पा) : १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में फार्म क्रमशः १.१८ लाख तथा २.५० लाख के घंटे में चला है। उपर्युक्त आंकड़े, स्थायी हैं अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई से जून के महीनों तक के हैं ।

नगर निरीक्षकों की परीक्षायें

†१२६९. {श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में १४ जुलाई १९५७ को हुए नगर निरीक्षकों के इमतिहान के नतीजे के बारे में डाक व तार कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) शिकायतों की जांच की गयी थी और उससे पता चला कि वे बे-बुनियाद थे । तदनुसार शिकायत करने वालों को उत्तर दे दिया गया था ।

ट्रेन दुर्घटना

१२७०. {श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ नवम्बर, १९५७ को रानाघाट-बानपुर लाइन के बगूला स्टेशन पर रेल दुर्घटना में ४ व्यक्ति घायल हुए थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आसर श्री रघुनाथ सिंह]

(ख) क्या यह सच है कि स्यालदा शाखा पर ७ दिन के अन्दर यह तीसरी दुर्घटना हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शाखा पर बार बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १४-११-१९५७ को सुबह लगभग ७ बजकर ५५ मिनट पर जब एस ३९१ अप सवारी गाड़ी पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में रानाघाट-बानपुर सेक्शन के बगूला स्टेशन में दाखिल हो रही थी, उसके इंजन के साथ वाले ५ डिब्बे पटरी से उतर गये । ३ आदमियों को (न कि ४ को जैसा कि सवाल में कहा गया है) चोट आयी । इनमें से एक को सख्त चोट लगी ।

(ख) जी, नहीं ; सवाल में बतायी गयी अवधि में सियालदह डिवीजन में केवल यही एक दुर्घटना हुई । सवाल में जिन दूसरी दो घटनाओं का जिक्र किया गया है वे शायद ये हैं :—

(१) १०-११-१९५७ को बरानगर रोड स्टेशन के सेमी आटोमेटिक सिगनल के पास ३३० डाउन सवारी गाड़ी और एस-१९६ डाउन लोकल सवारी गाड़ी के पिछले सिरे एक दूसरे से टकरा गये; और

(२) १२-११-१९५७ को सी० सी० लिंक केबिन के बाहरी सिगनल के पास एस–११५ अप लोकल सवारी गाड़ी और ७ अप माल गाड़ी के पिछले सिरे एक दूसरे से टकरा गये ।

ये दुर्घटनायें पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन की कलकत्ता कार्ड लाइन पर हुईं ।

(ग) तथा (घ). ऊपर तो जो तीन दुर्घटनायें बतायी गई हैं उनकी जांच सरकार के रेलवे निरीक्षक, कलकत्ता ने की है। उनकी आखिरी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(ङ) तथा (च). इस दौरान में नीचे दी गयी कार्रवाइयां की गयी है :—

(१) बगूला जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय—

जब इंजन शेड से बाहर जाये और शेड में आये, तो उसके हर एक पुर्जे की पूरी जांच की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कलकत्ता फार्ड जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय—

यह व्यवस्था की गयी है कि आटोमेटिक सेक्शन पर काम करने वाले हर एक ड्राइवर के पास सक्षमता का नया प्रमाण पत्र हो, जिसमें यह बताया गया हो कि वह आटोमेटिक सेक्शन पर काम के नियमों को जानता है । जो ड्राइवर इस सेक्शन पर काम करना नहीं जानते, उनके साथ कंडक्टर ड्राइवर चलें जो उस सेक्शन के काम को अच्छी तरह जानते हों ।

इस सेक्शन की देखभाल के लिए सुपरवाइजर रखे गये हैं जो ड्राइवरों को आगाह करते रहते हैं कि वे नियमों का ठीक ठीक पालन करें ।

खतरे की हालत में ड्राइवरों को आटोमेटिक सिगनलों को पार करने की आज्ञा देने से सम्बन्धित नियमों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है । अब ये सिगनल "ठहरो और रुको" समझे जाते हैं ।

डींगराघाट पर पुल

†१२७१. **श्री मोहम्मद ताहिर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्निया जिले की गंगा दार्जिलिंग रोड को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डींगराघाट में पुल के निर्माण की योजना को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरंभ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) जो टेंडरों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा तब पुल का निर्माण शुरू हो जायगा ।

उदयपुर में 'ट्रेनर' वायुयान का विवश अवतरण[३५]

†१२७२. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत उड्डयन क्लब 'इंदौर के एक ट्रेनर' वायुयान को १७ नवम्बर, १९५७ को उदयपुर के हवाई अड्डे पर विवश होकर उतरना पड़ा था

(ख) क्या इस घटना की जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[३५]Forced landing.

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) नहीं श्रीमान् । इससे विवश होकर नहीं उतरना पड़ा था किन्तु उतरते समय उस वायुयान का मुंह नीचे को हो गया तथा उसे क्षति पहुंची ।

(ख) तथा (ग). दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

कोंकन के तट पर चक्रवात

†१२७३. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० से १२ नवम्बर, १९५७ तक बम्बई से वेंनगुर्ला तक कोंकन तट पर महान चक्रवात चले ; और

(ख) यदि हां, तो कोंकन तट पर कुल कितनी हानि हुई ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) हां, श्रीमान् । १० तथा १२ नवम्बर, १९५७ के बीच कनारा-कोंकन तट से कोई ३००/४०० मील की दूरी पर पूर्वी मध्य अरब सागर में बड़े चक्रवात चले और जब तक ये तट के समीप आये तो इनका प्रकोप बहुत कम हो गया था।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा हुआ है और उसे उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उदयपुर में हवाई अड्डा

†१२७४. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा उदयपुर के बीच नियमित सेवा कब से आरंभ की जायेगी?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस मामले पर भारतीय एयरलाइन्स निगम विचार कर रहा है ।

उड़ीसा में गन्ने की फसल

†१२७५. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गन्ने की फसल में कीड़ा लग जाने के कारण इस वर्ष उड़ीसा में गन्ने की फसल को बहुत हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी हां, सरकार को पता है कि उड़ीसा के कुछ भागों में लालीरोग तथा पीतिमा रोग के कारण गन्ने की फसल को बहुत नुकसान हुआ है।

(ख) इन रोगो पर रोक थाम करने के लिए राज्य सरकार ने निम्न लिखित उपाय किये हैं :—

(१) लाली रोग को रोकने के लिए बंकी में एक गन्ना विकास केन्द्र खोला गया है जिसके कर्मचारी कृषकों को इस रोक को नष्ट करने का उपाय बता रहे हैं। आतगढ़ में एक और केन्द्र खोलने का मामला विचाराधीन है।

(२) विभिन्न प्रकार के गन्नों पर पीतिमा रोग का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जांच की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र इस पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

रेलवे कर्मचारी संघ का एकता सम्मेलन

†१२७६. श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५७ में उन्होंने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ का एक एकता सम्मेलन आयोजित किया था ; और

(ख) यदि हाँ, ता इस सम्मेलन का क्या फल निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). जी हां, १९ और २० नवम्बर को मंत्री महोदय ने दोनों दलों की एक और बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने निश्चय किया कि मार्च, १९५६ में उन्होंने जो एकता करार किया था उसे वे ३१ जुलाई, १९५८ तक कार्यान्वित करेंगे।

बुस्ता[३६] में डाकघर भवन

†१२७७. **श्री का० च० जेना** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जिला बालासोर में बुस्ता नामक स्थान पर डाकघर भवन बनाने के लिए कोई राशि स्वीकृत की जा चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी राशि स्वीकृत की गयी है और किस तारीख को ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). ३१-१०-५५ को इस भवन के निर्माण के लिए शासकीय स्वीकृति दे दी गयी है और ३१७९० रु० की राशि स्वीकृत कर दी गयी है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[३६] Busta

(ग) अब निर्माण शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस काम के लिए ठेकेदारों को नहीं लगा पाये। समझौते द्वारा इस काम को कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

ऊन विस्तार केन्द्र[17]

१२७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों में किन-किन स्थानों पर ३९६ भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र स्थापित करने का विचार है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये येपरिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१**]।

जम्मू और काश्मीर में पर्यटन

†१२७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में जम्मू और काश्मीर में पर्यटन का विकास करने के लिए वहां की सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है उनकी मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण, जिसमें दो भाग है—एक में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पहले से ही सम्मिलित योजनाओं का उल्लेख है और दूसरे में उन योजनाओं का उल्लेख है जिन्हें राज्य सरकार ने योजना आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा है—सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९२**] भाग २ में जिन योजनाओं का उल्लेख हैं उन्हें योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

गैर-विभागीय[18] टेलीफोन आपरेटर

†१२८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकिल में कुछ गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटरों को भी नौकरी दी गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आपरेटरों की संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां।

(ख) २९।

गुरूहरसहाय में टेलीफोन एक्सचेंज

†१२८१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजपुर जिले में गुरुहरसहाय नामक स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंन्ज स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज को कब स्थापित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[17]Wool extension centers.

[18]Non-Departmental.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). वहां टेलीफोन सम्पर्कों की इतनी मांग नहीं है कि एक टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा सके।

फीरोजपुर की ट्रंक टेलीफोन लाइन

†१२८२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीरोजपुर की ट्रंक टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है और काम नहीं देती; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) फीरोजपुर से सम्बन्धित सभी ट्रंक टेलीफोन सरकिट ९९% कुशलता से काम कर रहे हैं पर दिल्ली से सम्बद्ध सरकिट की कार्यकुशलता केवल ८८% है।

(ख) दिल्ली वाले सरकिट की कार्य कुशलता में कमी इसलिए है कि यह सरकिट लुधियाना और अम्बाला होकर बनाया गया है और दिल्ली और अम्बाला के बीच अतिरिक्त लाइनें बहुत कम हैं। अब यह त्रुटि ठीक कर दी गयी है।

पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†१२८३. **श्री घोषाल** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की संख्या कितनी है; और

(ख) १९५६ में उनमें कितना सार्वजनिक सहयोग मिला ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** :

(क)

घनत्वेत्तर कार्य खण्ड[१९]	१२
सामुदायिक विकास खण्ड	१६
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	९४

(ख) नकद, अन्य प्रकार से तथा मजदूरी के रूप में लगभग ३६ लाख रुपये।

डाकघर बचत लेखा

†१२८४. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५७ तक ऐसे कितने मामले हुये जिनमें कुछ लेखाओं को 'मृत लेखा' घोषित कर दिया गया क्यों कि जिनके नाम वे लेखे थे उन्होंने डाक घर बचत लेखा की पासबुक खो दी थी और उनकी राशी उन्हें वापस नहीं की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पासबुक के खो जाने के कारण किसी भी लेखा का 'मृत लेखा' नहीं घोषित किया जाता। पासबुक की दूसरी प्रति भी ली जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१९] Post intensive Blocks.

यात्री सुविधायें

†१२८५. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे के इलाहाबाद कटिहार सेक्शन पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में इस सेक्शन पर और बलिया–शाहगंज सेक्शन पर किन–किन यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इलाहबाद सिटी-कटिहार सेक्शन पर इतना यातायात नहीं होता कि कोई अतिरिक्त गाड़ी चालू करने की आवश्यकता हो ।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अवधि में जिन यात्री सुविधाओं का प्रबन्ध करना था उनका उल्लेख एक विवरण में दिया गया है। जो सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३**]. पर रेलवे प्रयोक्ता समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद और आवश्यक धन तथा सामान की उपलब्धता पर ही इन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

गाड़ियों में भीड़-भाड़

†१२८६. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलिया और छपरा जंकशन के बीच की लाइन की गाड़ियों में होने वाली भीड़-भाड़ को हटाने के लिये क्या कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है और उसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) छपरा-बलिया सेक्शन की गाड़ियों पर अत्याधिक भीड़ नहीं होती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अधिक अन्न उपजाओ योजनायें

†१२८७ { **श्री घोषाल** :
श्री त्री० कु० चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के द्वारा पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों का कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ ; और

(ख) उन योजनाओं पर कितना धन व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). वर्ष १९५६–५७ में पश्चिमी बंगाल में अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के द्वारा कितना अधिक उत्पादन हुआ और उस पर कितनी राशि व्यय की गयी इस की पूरी जानकारी पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी हमारे पास नहीं भेजी है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस के अनुसार २४९८० टन का अतिरिक्त उत्पाद हुआ है और ८२.१५ लाख रु० की राशि व्यय हुई है। (दीर्घकालीन ऋण में ११.५६ लाख रु०, अल्पकालीन ऋण में ६२.७६ लाख रु० और अनुदान में ७.८३ लाख रुपये)

पश्चिमी बंगाल में उचित मूल्य वाली दूकानें

†१२८८. { श्री घोषाल :
श्री त्रि० कु० चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५७ से सितम्बर, १९५७ तक पश्चिमी बंगाल में उचित मूल्य दूकानों द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्न बांटा गया ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): अप्रैल से सितम्बर, १९५७ तक पश्चिमी बंगाल में बांटे गये गेहूं और चावल की मात्रा नीचे दी जाती है :—

चावल	६६,९०० टन
गेहूं	२७५,४०० टन

गन्ना

१२८९. श्री मोहन स्वरूप : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५७ में बिहार में कितनी चीनी मिलें चालू हो गयी हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में इस मास में पेरे गये गन्ने से कितनी चीनी की रिक्वरी हुई है;

(ग) कितनी चीनी मिलें गन्ने का मूल्य १ रुपये ७ आने प्रति मन के हिसाब से चुका रही हैं और कितनी इस से अधिक और कितनी इस से कम; और

(घ) यदि मूल्य में कोई भिन्नता है तो उस के क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १९ चीनी मिलें।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में नवम्बर, १९५७ में चीनी की रिक्वरी क्रमशः ८.३ प्रतिशत और ९·२ प्रतिशत अनुमान की जाती है।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार की सभी चीनी मिलें गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट डिलीवरी पर १-७-० प्रति मन और बाहर रेल केन्द्र पर १-५-०- प्रति मन के हिसाब से चुका रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बरेली-मेरठ राष्ट्रीय राजपथ

१२९०. श्री मोहन स्वरूप : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली-मेरठ राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने के कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कितनी लम्बी राष्ट्रीय राजपथ की सड़कों को चौड़ा किया जायेगा; और

(ग) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) मेरठ-बरेली सड़क का केवल गढ़-मुक्तेश्वर-बरेली भाग ही राष्ट्रीय राजपथ संख्या २४ पर पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस भाग में पांच मील लम्बे भाग को चौड़ा करने का निश्चय किया गया है। यह काम पहले ही शुरू किया जा चुका है और पूरा होने ही वाला है।

(ख) तथा (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार में जिन राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने का इरादा है उन की लम्बाई क्रमशः ५४१ और ५१.५ मील है। इन पर जो खर्चा किया जाने का इरादा है वह क्रमशः २६३.०० लाख और ३५.७० लाख रुपये है।

जंजीर खींच कर गाड़ी रोकना और बिना टिकट सफर

†१२९१. श्री गणपति राम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहबाद और मेजा रोड और मंडल रोड व करचना स्टेशनों के बीच जंजीर खींच कर गाड़ी रोकने की घटनायें अक्सर होती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मेजा रोड-इलाहबाद सवारी गाड़ियों पर, अधिक तर यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इस गाड़ी में गुण्डे लोग और भाले लेकर चलने वाले लोग बिना टिकट सफर करते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि गाड़ी में चलने वाला टी० टी० और गार्ड बिना टिकट यात्रा पर आपत्ति करते हैं तो उन को मारा पीटा जाता और कभी कभी जान से भी मार डाला जाता है;

(ङ) बिना टिकट यात्रा और इस प्रकार की अराजकता को रोकने के लिये सरकार क्या कार्य-वाही करना चाहती है; और

(च) क्या यह भी सच है किये गुण्डे पहले दर्जे के डिब्बों में सफर करते हैं और बहुधा पहले दर्जे के यात्रियों को मारते पीटते हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जीजंर खींच कर गाड़ी रोकने की घटनायें उपरोक्त सैक्शनों पर हुई हैं पर यह घटनायें नैनी—इलाहबाद सेक्शन पर गाड़ी संख्या १—एम० ए० पर ही अधिक हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक बार ऐसी दुर्घटना हुई थी गाड़ी में चलने वाले रेलवे कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा करने वालों ने पीटा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) नैनीइलाहबाद सेक्शन पर संख्या १—एम० ए० गाड़ी पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के उपाये जारी रखे जायेंगे। कुछ समय तक वहां पर बिना वैकुअम के गाड़ी चलाई गई थी। यदि पहले की सी स्थिति फिर पैदा हो गई तो फिर बिना वैकुअम के गाड़ियां चलाना पड़ेगा।

(ङ) ऊपर (घ) भाग में बतायी गयी घटना के अतिरिक्त अन्य किसी घटना का समाचार नहीं मिला है।

दिल्ली में डिप्थीरिया रोग

†१२९२. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक डिप्थीरिया रोग के कितने मामले दिल्ली में हुए;

(ख) टीका लगाने के कितने केन्द्र दिल्ली में खोले गये;

(ग) क्या अब तक इस रोग से हुई किसी मृत्यु की सूचना मिली है; और

(घ) क्या डिप्थीरिया का टीका भारत में बनता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १ जनवरी से २३ नवम्बर, १९५७ तक १०८० मामलों की खबर मिली थी।

(ख) नई दिल्ली और दिल्ली के स्कूलों तथा प्रसूति तथा शिशु कल्याण के ३४ केन्द्रों में १० वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीके लगाये जाते हैं। जिस बस्ती में डिप्थीरिया फैल जाता है उस म घरों पर भी टीके लगाये जाते हैं।

(ग) उपरोक्त अवधि में इस रोग से ९८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(घ) जी हां।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) ३१ मार्च, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम १९५० के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी।

(२) ३१ अक्तूबर, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५७ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम १९५० के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-४२१/५७]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) मैं, डा० पं० शा० देशमुख की ओर से, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ३० अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५०४ में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश बीज आलू (नियंत्रण) आदेश, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-४२२/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) मोटर गाड़ियां अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन नियम १९३३ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ मार्च, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ५३७।

(२) मोटर गाड़ियां (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ मार्च, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ५३८।

(३) मोटर गाड़ियां (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३० अक्तूबर, १९५६ को एस० आर० ओ० संख्या २५१०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४२३/५७].

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं वर्ष १९५७–५८ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं, श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से सभा को सूचित करना चाहता हूं कि ९ दिसम्बर, १९५७ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का यह क्रम रहेगा :—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक।

(२) आज की कार्य सूची का बचा हुआ कोई कार्य।

(३) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक।

(४) सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक।

(५) वर्ष १९५७–५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें।

(६) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक।

(७) भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक।

(८) दंड विधि संशोधन विधेयक।

(९) डफरिन की कांउटेस निधि विधेयक; और

(१०) भारतीय रक्षित बल (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : माननीय सदस्य जानते हैं कि आसाम के नाहर कटिया, हुग्रजिन और मोरन क्षेत्रों में पाये गये तेल-निक्षेपों से तेल निकालने के लिये एक रुपया समवाय बनाने के सम्बन्ध में बरमा आयल कम्पनी/आसाम आयल कम्पनी के साथ वार्ता चल रही थी। यह वार्ता मई, १९५७ में स्थगित कर दी गई थी और १८ नवम्बर, १९५७ को उसे पुनः आरम्भ किया गया था । अब भारत सरकार और बरमा आयल कम्पनी/आसाम आयल कम्पनी के बीच एक करार सम्पन्न हो चुका है और उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा । इस कार्यान्वित आने वाले करार की मुख्य बातें यह हैं :

(१) रुपया समवाय आयल निकालने का कार्य करेगी और वही दो अवस्थाओं में निर्माण का प्रबन्ध करेगी और बरौनी तक बिना साफ किये हुए तेल के परिवहन के लिये पाइपलाइन ले जायेगी या ऐसी ही अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध करेगी । पहली अवस्था में पाइपलाइन या अन्य सम्बन्धित सुविधाओं को भारत सरकार तथा बरमा आयल कम्पनी द्वारा अनुमोदित मध्य के किसी स्थान तक ले जायेगा, और दूसरी अवस्था में उस पाइपलाइन या अन्य संबंधित सुविधाओं को उस मध्य के स्थान से बरौनी तक विस्तारित करने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। दोनों अवस्थाओं के आरम्भ होने का काल भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(२) रुपया समवाय द्वारा निकाला हुआ तेल भारत सरकार द्वारा प्रणीत तथा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली दो परिष्करिणयों को ही बेचा जायेगा । इनमें से प्रत्येक परिष्करिणी द्वारा बिना साफ किये हुए तेल का जो प्रदत्त मूल्य अदा किया जायेगा वह या तो कलकत्ता में अदा किया जाने वाले उस सबसे कम प्रदत्त मूल्य के बराबर होगा जिस पर कि वह परिष्करिणी किसी अन्य वैकल्पिक संस्था से तेल हासिल कर सकती है, या फिर वह मूल्य समवाय द्वारा उस तेल में लगाई गई लागत और उचित वाणिज्यिक लाभ के बराबर होगा । इन दोनों में से जो भी कम होगा, उसे प्रदत्त मूल्य मान लिया जायेगा । इस मूल्य का निर्धारण समवाय द्वारा, लागतों की परीक्षा के बाद भारत सरकार से अनुमोदित कराने के बाद, किया जायेगा । प्रति छः महीने के काल के बाद, इस मूल्य का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

बरमा आयल कम्पनी ने इस रुपया समवाय को एक करोड़ पौंड का एक ऋण देने का वचन दिया है । इस ऋण से संबंधित करार की शर्तें बरमा आयल कम्पनी और भारत सरकार के बीच तय की जायेंगी । यह ऋण प्रथम अवस्था में पाइपलाइन और अन्य संबंधित सुविधाओं के निर्माण के दौरान में पड़ने वाली विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने के लिये होगा । चूंकि बरमा आयल कम्पनी ने इसका पक्का वायदा कर दिया है, इसलिये अब प्रस्ताव यह है कि तेल क्षेत्रों और बरौनी के मध्य में भी, बरौनी की परिष्करिणी के अतिरिक्त, एक और परिष्करिणी बनाई जाये । भारत सरकार ने तेल क्षेत्रों से परिष्करिणीयों तक की पाइपलाइनों के सर्वेक्षण और परिष्करिणी परियोजनाओं के अध्ययन के लिये सलाहकार नियुक्त भी कर दिये हैं । परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदनों के मिलने और उनकी परीक्षा करने के बाद ही, सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इन दो परिष्करिणियों के आकार, उनकी वास्तविक स्थिति और उत्पादन के ढंग के बारे में निर्माण किया जायेगा । इन दो में से पहली परिष्करिणी तो आसाम में कहीं रहेगी और सम्भव है कि लगभग तीन वर्षों में हमें उससे परिष्कृत तेल मिलने लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के लिए निर्वाचन

भारत की क्षयरोग सन्था की केन्द्रीय समिति

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की क्षयरोग सन्था के नियमों तथा विनियमों के खण्ड ३ (७) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारत की क्षयरोग सन्था की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्यों को चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत की क्षयरोग सन्था के नियमों तथा विनियमों के खण्ड ३(७) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारत की क्षयरोग सन्था की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्यों को चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दंण्ड विधि संशोधन विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ संघ उत्पादन-शुल्कों के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक ६–१२–५७ में प्रकाशित।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ संघ उत्पादन-शुल्कों के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक‡ को पुरःस्थापित करता हूं ।

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के शुद्ध आगम को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के शुद्ध आगम को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक‡ को पुरःस्थापित करता हूं ।

डफरिन की काउंटेस निधि विधेयक,* १९५७

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डफरिन की काउंटेस निधि नामक निधि को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि डफरिन की काउंटेस निधि नामक निधि को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री करमरकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ६-१२-५७ में प्रकाशित ।

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो ५ दिसम्बर, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक के लिये ८ की बजाय १० घंटे दिये जायें।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि थे, और कार्य मंत्रणा समिति की यह सिफारिश सर्वसम्मति से की गई थी। उसके विरुद्ध जाना अच्छा दृष्टान्त नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे एक घंटा समय और दे दूंगा। क्या मैं मान लूं कि सदस्य अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं?

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो ५ दिसम्बर, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर और आगे चर्चा जारी रखेगी। इसके लिए कुल ३ घंटे का समय रखा गया था, अब २ घण्टे १३ मिनट शेष हैं।

श्री सिंहासन सिंह अपना भाषण जारी करें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कह रहा था कि यह जो पुराने अधिनियम का नवीनीकरण किया जा रहा है यह एक तरह से उसका आमूल परिवर्तन हो रहा है। पुराने अधिनियम में ट्राइबनुल (न्यायाधिकरण) को मुकर्रर करने के लिए यह जरूरी था कि जो व्यक्ति नियुक्त किया जाये वह या तो उस समय हाईकोर्ट का जज (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश) हो या हाईकोर्ट का जज रहा हो। पुराने अधिनियम में यह था। किन्तु जो हम अब रखने जा रहे हैं वह यह है कि एक जज हाईकोर्ट का रहेगा और दो ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो रोजगार के कारोबार में या कामर्स (वाणिज्य) के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले हों। अब नियम यह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस तरह से जहां दो तीन जजेज होते थे, वहां पर अब दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका जूडिशियल (न्यायपालिका का) अनुभव कुछ नहीं होगा बल्कि वे तिजारत के मामले में और कारोबार के मामले में जानकार होंगे । पहले ऐक्ट (अधिनियम) में सेक्शन ३५ में असेसर्स (निर्धारकों) के बारे में यह नियम था कि ट्रेडर (व्यापारी) भी रहेगा, एग्रीकल्चर (कृषि) वाला भी रहेगा और कॉमर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और रेलवे का भी रहेगा । लेकिन अब इस नियम में केवल कॉमर्स और रेलवे के कारोबार के जानने वाले रहेंगे, एग्रीकल्चर इत्यादि के कोई नहीं रहेंगे । तो मेरा विरोध यह है कि ये जो दो आदमी नये रखे जा रहे हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मुल्क के ख्याल से और रेलवे के भी ख्याल से शायद बाधक होंगे, क्योंकि जो फैसला होगा वह फैसला अधिक मत संख्या की ओर से होगा । तीन आदमियों में से जो दो आदमी एक तरफ फैसला करेंगे, वही अन्तिम फैसला होगा । उसकी कोई अपील नहीं है । यहां पर एक तरफ इंटरेस्ट (हित) वणिक समाज का है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेलवे और नेशन का है क्योंकि इसमें किराया आदि बढ़ाने की बात हो सकती है । स्वभावतः अपने-अपने इंटरेस्ट के विचार से क्लैश (टकराव) होगा और इसमें एक मत होने की सम्भावना नहीं है । और, जहां एक ही वर्ग के दो व्यक्ति हैं उनकी प्रभुता होगी और जो वह फैसला करेंगे वही फैसला होगा । यह जो ट्राइबुनल बनने जा रहा है इसमें हाईकोर्ट का जज बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति होगा, वह तो एक तरह से सुनता हुआ बैठा रहेगा । दो आदमी जो कि कॉमर्स के प्रतिनिधि होंगे जैसा वह चाहेंगे वैसा वह फैसला कर लेंगे और उस फैसले की कोई अपील नहीं है । तो मेरी राय में ऐसा परिवर्तन करने से रेलवे और नेशन के हितों की बहुत हानि होने की सम्भावना है । जो पुराना अधिनियम था उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं मालूम होती कि हम उसमें इस प्रकार का परिवर्तन करें जैसा कि हम करने जा रहे हैं । इस परिवर्तन से क्या लाभ देश का या रेलवे का होगा यह बताया जाना चाहिए था । अगर इससे देश का कुछ लाभ हो, तब तो इसे मानने की बात भी हो सकती है । लेकिन महज परिवर्तन करने के लिए ही परिवर्तन न किया जाय । पहले जो लोग असेसर की हैसियत से बैठते थे, वे ही अब निर्णायक की हैसियत से बैठेंगे । पहले ये लोग केवल राय दे सकते थे और उस राय को मानना या न मानना जज के अधिकार में था । अब उनकी राय को मानने या न मानने का सवाल ही नहीं रह गया है । अब तो उनकी राय की प्रभुता होगी, जिधर वे चाहेंगे ले जायेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या लाभ देखकर इस विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है । जब नये कानून से देश का हित न बढ़ता हो और पुराने कानून से भी देश का अहित न होता हो, तो मेरे ख्याल में पुराने कानून में तबदीली नहीं होनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि हम कोई न कोई अधिनियम तबदीली के लिए लाते ही रहें । जैसे कि कल ही हमने कोल बियरिंग एरियाज (कोयले वाले क्षेत्रों) के बारे में अधिनियम पास किया । उसके अन्दर यह मसला था कि गवर्नमेंट उन खर्चों पर भी सूद देगी जैसे कि सलामी और नजराने पर भी जो कि कोल बियरिंग एरिया का लाइसेंस होल्डर (अनुज्ञप्तिधारी) खर्च कर चुका है । पहले कानून में केवल यह था कि जब से उसने लाइसेंस लिया है तब से बाद के सारे खर्चे पर सूद दिया जायेगा । लेकिन उसको बदल दिया गया और कहा गया कि जब से काम शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई तब से जो भी खर्चा हुआ है सब पर सूद दिया जाये । केवल सूद के परिवर्तन के लिए वह कानून लाया गया और पास किया गया । केवल इसीलिए वह परिवर्तन किया गया कि व्यवसायी वर्ग का लाभ किस तरह से हो । अगर उसी के लाभ के लिए बैठ कर हम कानून को बदला करें तब तो यह परिवर्तन ठीक हो सकता है । लेकिन अगर मुल्क के लाभ का ध्यान है तो

[श्री सिंहासन सिंह]

मेरे खयाल में जो नियम पहले था वही रहना चाहिए । उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देश के हित में नहीं होगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव बैठासीन हुए]

दूसरी बात यह है कि पुराने नियम में यह था कि अगर एक जज ने फैसला दे दिया और किसी को उससे संतोष नहीं है तो वह उसकी फुल बैंच के सामने अपील कर सकता था और वह बैंच अपील की सुनवाई कर सकती थी । लेकिन अब यह सब निकाल दिया गया है । अब एक बारगी फैसला किया जायेगा जो कि अन्तिम होगा और यह फैसला करने वाले तीन जजों में दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका खुद का स्वार्थ है और वह फैसला उनके ही हित में होगा । इस नियम में यह भी नहीं है कि ये दो व्यक्ति जोकि कॉमर्स के जानकार हों इनका ताल्लुक किसी चालू व्यवसाय से न हो । चालू व्यवसाय के व्यक्ति भी इसके अन्दर आ सकते हैं । मसलन हमारे यहां बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जैसे टाटा या बिड़ला । इनके प्रतिनिधि भी इसमें आ सकते हैं और बैठ सकते हैं । और उनका व्यवसाय चालू है । हम जब कभी जज मुकर्रर करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कम से कम ऐसा व्यक्ति निर्णायक न हो जो कि किसी व्यवसाय से सम्बन्ध रखता है । लेकिन इस विधेयक में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि वे दो आदमी जो कॉमर्स की जानकारी वाले होंगे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि किसी चालू व्यवसाय से सम्बन्ध न रखते हों ।

दूसरे इसके अन्दर यह भी हो सकता है कि रेलवे के जानकार आदमी रख लिये जायें, रेलवे के रिटायर्ड (निवृत्त) आदमी जो कि कमर्शियल डिपार्टमेंट का काम करते थे वे रख लिये जा सकते हैं । इसके अन्दर ऐसा लूपहोल (त्रुटि) है कि इन लोगों को रखा जा सकता है । ऐसा हो सकता है कि इसमें रिटायर्ड आदमियों का ही समूह हो जाये । गवर्नमेंट की यह जो धारणा चल रही है कि रिटायर्ड व्यक्तियों को स्थान दिया जाये इसके प्रति मेरा कुछ तात्विक विरोध है । मैं समझता हूं कि रिटायर्ड आदमियों को सक्रिय काम में लगाना देश के हित में नहीं हो रहा है । यह चीज नौजवानों और बहुत से आदमियों के हित में हानिकारक सिद्ध हो रही है । इसके अलावा जो आदमी रिटायर होने के बाद फिर काम में आता है, उसको कोई प्रमोशन (पदोन्नति) आदि की आशा नहीं रहती । आदमी की ईमानदारी और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उसको प्रमोशन का ख्याल हो, उसको इस बात का डर हो कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो मेरा प्रमोशन रुक सकता है । लेकिन रिटायर्ड आदमी को यह डर नहीं हो सकता क्योंकि वह समझता है कि अगर आप नाराज होंगे तो हटा देंगे । रिटायर्ड आदमियों के जरिये यह काम चलाने का फैसला मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है और इससे लाभ के बजाय हानि की ही सम्भावना अधिक है ।

हमने देखा है कि बहुत से कामों में रिटायर्ड आदमियों को आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्य अधिकारी) बना कर रख लिया जाता है । इस कारण काम में एफीशेंसी (कार्यक्षमता) बढ़ने के बजाय घटती जा रही है । हर जगह शिकायत आ रही है कि काम में ढिलायी है और उसका कारण यही है कि जिस आदमी को अलग बैठना चाहिए वह सक्रिय काम में लगा दिया जाता है । नीचे वाले कहते हैं कि जब तक ये नहीं हटते हमको मौका नहीं मिल सकता, इसलिए काम में ढिलाई हो रही है ।

मुझे डर लगता है कि इस तरह से कहीं वहां पर रिटायर्ड आदमियों का समूह ही न बैठ जाए । मुझे यह कहते हुए शर्म लगती है कि पहले रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कम एपायंट (नियुक्त) हुआ करते थे, लेकिन जब से हम लोग आए हैं, अनेकों रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को एपायंट किया जा चुका है । कुछ समय पहले मुझे एक सवाल के जवाब में बताया गया एक हाई कोर्ट जज को, जो कि १९३६ में रिटायर हुआ था, १९४७ में—ग्यारह बरस के बाद—री-एपायंट किया गया । जब वह रिटायर हुआ था, तो उसकी उम्र साठ बरस की थी और जब उस को री-एपांयट किया गया, तो उस की उम्र ७१ बरस की थी । एक आध बरस के बाद वे मर गए । इस बात का मैं विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट जज रिटायर्ड नहीं होना चाहिए । सिर्फ हाई कोर्ट जज ही चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफाइड (अर्हता-प्राप्त) होना चाहिए ।

मूल एक्ट की इस धारा में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है—एक बिल्कुल दूसरा रूप दिया जा रहा है, जिससे मुझे खतरा है कि यह बात रेलवेज के हित में न होगी, बल्कि इससे उसका अहित होगा । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

ट्राइब्यूनल के फैसलों में परिवर्तन कराने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही चारा है । अगर फैसला होने के एक साल बाद गवर्नमेंट यह समझे कि अब वाकयात या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह ट्राइब्यूनल के सामने जा कर उसको पुनर्विचार के लिए कह सकती है और अगर ट्राइब्यूनल उचित समझे, तो वह अपने फैसले में परिवर्तन कर सकता है या उसको रद्द कर सकता है । मगर उसको उसी व्यक्ति के पास जाना होगा, जिसके प्रति हमें यह आस्था नहीं हो रही है कि वह ठीक फैसला करेगा या नहीं । इस तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे और पुरानी व्यवस्था ही रहने दे और इसको इन्ट्रोड्यूस न करे, तो कोई हानि नहीं है बल्कि कुछ लाभ ही होगा । जब तक हमको यह न बताया जाय कि पुराने ट्राइब्यूनल से क्या खराबियां हुईं, क्या रुकावटें पेश आईं और उसमें परिवर्तन करना क्यों जरूरी है, तब तक हम इस नई धारा का समर्थन नहीं कर सकते हैं ।

जो असेसर्ज को निकाला जा रहा है, वह जरूरी था । जब उनकी राय की कोई वुक़अत (क्षमता) न हो उनको रखना न रखना बराबर हो और खर्चा हो रहा हो, तो उनको निकाल देना ही उचित था । जब सेशन्ज कोर्ट्स (सत्र न्यायालयों) से उनको निकाल दिया गया है, तो यहां से भी उनको निकाल देना चाहिए था ।

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव्ज (सहकारी संस्थाओं) के माल के लिये भी इस बिल में सुविधा देने की व्यवस्था की जाय ।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : इस विधेयक की विशेष चीज़ यही है कि रेलवे दर न्यायाधिकरण को वस्तु भाड़ा ढांचा जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया जाये । वर्तमान रेलवे दर न्यायाधिकरण की उत्पत्ति हमारे अनुभवों से ही हुई है । पहले जब कि रेलें गैर-सरकारी अधिकार में थीं सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखती थी । अब चूंकि सरकार रेलवे पर अधिकार कर चुकी है इसलिये वस्तु-भाड़ों और किरायों की दरों को विनियमित करना भी अत्यावश्यक हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री घोषाल]

इसका सुझाव सब से पहले १९२० में ऑकवर्थ समिति ने रखा था। बाद में वैजवुड समिति ने फिर १९३७ में रेलवे दर न्यायाधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया था। लेकिन, इसकी स्थापना १९४९ में ही हो सकी थी।

इसकी स्थापना की सिफारिश बार-बार इसलिये की जाती थी कि वस्तु-भाड़ों, किरायों या माल के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों के निष्पक्ष निर्णय के लिये एक न्यायिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मैं श्री भरूचा की इस बात का समर्थन करता हूं कि निर्धारक पद्धति को हटा दिया जाये, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि रेलवे दर न्यायाधिकरण की शक्तियों में कोई कमी की जाये। रेलवे के कार्यपालक अधिकारियों को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान नहीं की जानी चाहियें। रेलवे दर न्यायाधिकरण के निर्णयों से कभी कभी रेलवे की कार्यक्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

तालिका व्यवस्था की विलम्बकारी प्रक्रिया को हटा कर तो ठीक ही किया गया है, लेकिन रेलवे दर न्यायाधिकरण को सलाहकारों का एक मंच बना देना भी गलत होगा।

सरकार इसमें भी वकीलों का हस्तक्षेप नहीं चाहती। मैं यह तो नहीं कहता कि वकील सदा सत्य के ही पक्षधर होते हैं, लेकिन यह अवश्य कह सकता हूं कि जिन क्षेत्रों में भी वकीलों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, उनमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है।

प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई है कि एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की जाये। ऐसी समितियां वास्तविक कठिनाइयां दूर करने में असमर्थ रहती हैं। समिति की एक सिफारिश यह भी है कि रेलवे दर न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों में वकीलों को भाग न लेने देने के लिये उसे एक अनौपचारिक ब्यूरो बनाना चाहिये। इससे निर्णयों में विलम्ब होगा।

मेरा अनुरोध है कि रेलवे के कार्यपालक अधिकारियों को इतनी अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री नलदुर्कर** (उस्मानाबाद) : मैंने इस विधेयक को इस पर राय जानने के हेतु परिचालित करने का संशोधन रखा है।

निस्संदेह ही यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसका प्रभाव व्यापारिक तथा वाणिज्यिक जनता पर पड़ेगा।

दरों के वर्गीकरण का प्रश्न वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाओं और उपभोक्ताओं तथा रेलवे यात्रियों के हितों से बड़ा सम्बन्ध रखता है।

इसी सम्बन्ध में, भारत सरकार ने १२ अप्रैल, १८८७ को एक संकल्प पारित किया था। उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था कि रेलवे प्रशासन को जनता से अनुचित लाभ न उठाने दिया जाये।

१९२० में ऑकवर्थ समिति की स्थापना भी इसीलिये की गई थी कि वह रेलवे दरों और किरायों की परीक्षा करके बताये कि अनुचित वरीयता को किस प्रकार दूर किया जाये, और रेलवे तथा व्यापारियों के बीच उठने वाले विवादों को संतोषप्रद रूप में किस तरह निबटाया जाये

†मल अंग्रेजी में

१९२६ में रेलवे दर सलाहकार समिति की स्थापना अनुचित वरीयताओं और दरों की जांच के लिये की गई थी। और अन्त में १९४९ में, स्वतंत्र होने के बाद, इसी दृष्टि से रेलवे अधिनियम का संशोधन किया गया था। उस समय इसी सरकार ने जनता के हितों पर विचार किया था।

और, अब वही सरकार इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतिगामी विधान बना रही है ! रेलवे वस्तु-भाड़ा ढांचाजांच समिति ने इस पर विचार किया था। उसने भी रेलवे दर न्यायाधिकरण के कृत्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत करने की और रेलवे दरों पर नियंत्रण के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकार स्थापित करने की आवश्यकता समझी थी।

दरों सम्बन्धी नीति या माल के वर्गीकरण की नीति का नियंत्रण करने के लिये एक ऐसी ही संस्था की आवश्यकता है जो प्रशासकीय प्रभाव से मुक्त हो। मैं रेलवे वस्तु-भाड़ा ढांचा जांच समिति की इस बात से सहमत नहीं हूं कि न्यायाधिकरण की शक्तियों में कमी की जाये। यह लोकतांत्रिकता के प्रतिकूल होगा।

इस समिति के दो सदस्यों ने विमति टिप्पणियां भी संलग्न की हैं। उसका प्रतिवेदन सर्व-सम्मत नहीं है।

लोकतांत्रिकता के इस काल में, प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिये एक उच्चतम न्यायाधिकरण की आवश्यकता रहती है। इसलिये, इस न्यायाधिकरण को सर्वाधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये। उसके निर्णय रेलवे प्रशासन के लिय बाध्य होने चाहियें।

खण्ड १४(३) की व्यवस्था न्यायाधिकरण के सभापति, इतने बड़े न्यायाधीश के लिये अपमानजनक है। रेलवे दर न्यायाधिकरण को व्यापक शक्तियां दी जानी चाहिये।

खण्ड १८ के द्वारा विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार भी छीन लिया गया है। यह सर्वथा अनुचित है, और इससे जनता में बड़ा असंतोष होगा।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

यह एक मूलभूत अधिकार है और इसको छीनने से अन्याय होगा। क्या सभा ऐसा विधान पारित करने के लिये सक्षम है ?

मैं तो समझता हूं कि यह सभा एक मूल अधिकार को इस प्रकार वापिस ले लेने का विधान बनाने के लिये सक्षम नहीं है। इसकी बड़ी कटु आलोचना की जायेगी, और न्यायालयों में सभा की ऐसी क्षमता को चुनौतियां दी जायेंगी। हमें विचाराधीन मामलों के संतोषप्रद निबटारे के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये।

मेरा माननीय मंत्री से यही अनुरोध है।

इसीलिये मैंने संशोधन रखा है कि इस संशोधन विधेयक पर राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : माननीय मंत्री ने हमें यह नहीं बताया है कि कुछ सिफारिशों को अविलम्ब ही कार्यान्वित क्यों किया जा रहा है और कुछ सिफारिशों को केवल आंशिक रूप से ही क्यों माना जा रहा है। हमें उन सिफारिशों के अध्ययन के लिये पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

एक अच्छी बात यह है कि रेलवे मंत्रालय ने कम से कम इस बार तो अपनी नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें कुछ मान ली हैं।

मुझे इसके अध्ययन के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल सका है। मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक की सभी व्यवस्थायें निर्विवाद हैं।

इसकी कुछ व्यवस्थायें तो अवश्य ही निर्विवाद हैं, लेकिन कुछ अवश्य ही विवाद-ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिये, न्यायाधिकरण की स्थापना को तो सभी ठीक मानते हैं, लेकिन जैसा न्यायाधिकरण इस विधेयक द्वारा स्थापित किया जा रहा है, उससे छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि के हितों की रक्षा नहीं की जा सकेगी। श्री भरूचा ने बताया ही था कि इस न्यायाधिकरण की शक्तियां बड़ी सीमित रखी जा रही हैं।

न्यायाधिकरण को तीन काम सौंपे गये हैं : रेलवे अधिनियम की धारा २८ के अन्तर्गत आने वाले मामलों के निर्णय, उल्लिखित स्टेशनों के बीच उचित दरों का निर्णय और अनुचित वस्तु-भाड़ों के सम्बन्ध में निर्णय करना।

ऐसे महत्वपूर्ण कृत्यों का भार सौंपने के बाद भी, इस न्यायाधिकरण को कार्यवाही रोकने का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करना इसलिये आवश्यक होता है कि निर्णय में विलम्ब लग ही जाता है और उस समय तक दोनों पक्षों को कार्यवाही रोकने का आदेश दिया ही जाना चाहिये। इस न्यायाधिकरण को भी यह शक्ति दी जानी चाहिये।

खण्ड ३ में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के नाम भेजे जाने वाले किसी भी माल को एक आदेश द्वारा वरीयता दे सकेगी।

मुझे इस व्यापक शक्ति से आशंका होती है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि किस प्रकार के माल को वरीयता दी जायेगी।

मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से ऐसी शक्ति की आवश्यकता तो समझती हूं, लेकिन तब सरकार को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि इसका प्रयोग विकास सम्बन्धी माल को वरीयता देने के लिये ही किया जायेगा।

इसके अध्ययन के लिये पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण, हम इसके साथ पूरा न्याय नहीं कर सकते।

उदाहरण के लिये, मूल अधिनियम के खण्ड ११ की धारा ४२ को लीजिये। इस सम्बन्ध में, समिति की एक सिफारिश तो मानी जा रही है कि किसी भी वस्तु को वर्गीकृत करने और दरों को परिवर्तित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में ही निहित रहनी चाहिये। लेकिन, समिति की दूसरी सिफारिश यह भी तो है कि सरकार को अपने ऐसे आदेश संसद् के सामने पेश करने चाहिये, और संसद् तथा देश के विभिन्न हितों के लोगों को उन पर चर्चा और विचार करने के अवसर देने चाहिये।

यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि सरकार को ऐसी व्यापक शक्ति देनी आवश्यक है, तो उसके सम्बन्ध में विचार करने का अधिकार भी जनता और संसद् को देना उतना ही महत्वपूर्ण है। संसद् द्वारा उन पर चर्चा होना आवश्यक है।

खण्डवार विचार के समय, मैं इसके सम्बन्ध में अधिक ब्यौरे से कहूंगी ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसमें रेलवे भाड़ा व्यवस्था समिति की रेलवे दर अधिकरण के गठन तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है । लेकिन अन्य सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई हैं ।

समिति ने एक यह लाभदायक सिफारिश की है कि यातायात में खो जाने वाले सामान का दायित्व रेलवे को अपने ऊपर लेना चाहिये । अब भाड़ा बढ़ गया है इसलिये सरकार को माल प्रेषकों को यह लाभ अवश्य प्रदान करना चाहिये । अधिकरण को निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिये । केवल सरकार को ही यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ मामलों में अधिकरण की सलाह ले सकती है, यह अधिकार प्रेषक को प्रदान नहीं किया गया है ।

श्री नौशीर भरूचा को यह आशंका है कि अधिकरण के समक्ष वकीलों को पैरवी करने की अनुमति नहीं होगी । यह आशंका गलत है । अधिकरण एक दीवानी न्यायालय की तरह है और वहां वकील पैरवी कर सकते हैं ।

सरकार को यह अधिकार देने से कि परिवर्तित परिस्थितियों में वह निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये कह सकती है दूसरे पक्ष को कोई आघात नहीं होगा, क्योंकि यह कार्य दूसरे पक्ष को बता कर ही किया जायेगा ।

मैं श्री नलदुर्गकर की इस बात से सहमत हूं कि नये अधिनियम के बनने से विलम्बित मामलों में उन पक्षों को मिलने वाले लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये जिनके मामले इस समय न्यायालय में विलम्बित हैं क्योंकि वहां सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा ६ लागू हो जाती है । मैं सभा से इस विधेयक के समर्थन की सिफारिश करता हूं ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विधेयक में इतनी दिलचस्पी दिखाई है और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । विधेयक के कुछ उपबन्धों को, यथा असेसरों को हटा देने का उपबन्ध, सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ है । मैं इस समय इस विषय को विस्तार से नहीं लूंगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण विधेयक की कई धाराओं की आलोचना भी हुई है । उन पर कुछ कहने के पूर्व मैं संशोधक विधेयक के क्षेत्र के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ बताऊंगा । क्योंकि इससे माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कई आपत्तियों का निराकरण हो जायेगा ।

इस विधेयक के दो महत्वपूर्ण पहलू दर अधिकरण का गठन व उसका क्षेत्राधिकार है । मैं पहले क्षेत्राधिकार के आधारभूत प्रश्न को लेता हूं ।

रेलवे दर निर्धारण के दो बुनियादी पहलू हैं । पहिला वह जो कुल रेलवे राजस्व के औचित्य से सम्बन्ध रखता है, दूसरा जो विभिन्न वस्तुओं की दरों की सापेक्षता से सम्बन्ध रखता है जिससे व्यापारियों को अनुचित पूर्ववर्तिता या अनुचित पक्षपात की शिकायत का मौका मिलता है ।

माल परिवहन के सम्बन्ध में रेलवे दरों को दो विभागों में बांटा जा सकता है । श्रेणी दर तथा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दरें । प्रत्येक श्रेणी के लिये कुछ दरें होती हैं जो कि दूरी के अनुसार बढ़ती जाती हैं । माल के परिवहन से रेलों को उपयुक्त आय प्राप्त करवाने के विचार से दरों का क्रम बुनियादी महत्व रखता है क्योंकि दरों का क्रम घटाने से रेलों की आय में गड़बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

पैदा हो सकती है। इसी प्रकार यदि किसी महत्वपूर्ण वस्तु को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो रेलवे को होने वाली आय में इससे आघात पहुंचता है।

संसद् ने १९४९ में भी जब रेलवे दर अधिकरण के गठन से सम्बन्धित अध्याय ५ पारित किया गया था, इस स्थिति का समर्थन किया था। उनका आशय यह था कि माल से होने वाली आय के विषय को संसद् के नियंत्रण में रखा जाये। इसलिये उन्होंने धारा ४२(२) के अधीन यह उपबन्ध किया था कि श्रेणी दरों, अनुसूचित दरों, चुंगी तथा अन्य करों को बढ़ाने और घटाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही होगा।

वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि जिन वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं हुआ है उनके वर्गीकरण का अधिकार भी केन्द्रीय सरकार को ही होगा। केवल अधिकरण को ही यह अधिकार होगा कि वह किसी वस्तु को ऊंची श्रेणी में रख सकता है। लेकिन अधिकरण इस शक्ति को केन्द्रीय सरकार के आवेदन पर ही प्रयुक्त कर सकता है। अधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही किसी वस्तु को निम्न श्रेणी में रख सकते हैं।

रेलवे भाड़ा व्यवस्था जांच समिति के सदस्यों में इस सभा के भी तीन सदस्य शामिल थे। इस सभा के प्रमुख सदस्यों का भी यही मत है कि विकासशील अर्थ व्यवस्था तथा वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वर्गीकरण में परिवर्तन करना चाहिये। श्री भरूचा यह समझते हैं कि समिति ने अधिकरण की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया है। ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है राष्ट्र के हित में किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं प्रतिवेदन के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है :

"हमने इस मामले पर पर्याप्त विचार किया है कि रेलवे दर अधिकरण को भाड़ा दर के स्तरों के सम्बन्ध में अधिदेशात्मक शक्ति देना लोक हित के विरुद्ध होगा। यह उचित नहीं है कि रेलवे की आय, जो कि कुल सरकारी आय का एक बड़ा भाग होती है, वह एक स्वतंत्र संविहित संस्था के हस्तक्षेप से कम की जाय। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य की गति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यदि भाड़ा दर में परिवर्तन करने के सरकार के निर्णयों पर रेलवे दर अधिकरण की सहमति मांगी जाय या वह उसे आपत्ति करने का अधिकार हो, तो इससे बहुत बाधा पैदा होगी। रेलें सीधी सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं इसलिये यदि किसी वस्तु के वर्गीकरण के स्तर में वृद्धि की जाय तो उससे संसद् के नियंत्रण का अधिकार भंग होता है। साथ ही रेलवे दर अधिकरण की प्रक्रिया विलम्बकारी और खर्चीली है। प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर भी भाड़ा दरों से सम्बन्धित नीति, जिसका बहुत व्यापक वित्तीय प्रभाव होता है, में परिवर्तन का तत्काल निश्चय नहीं किया जा सकता है। एक अनुभवी व्यापारी सही मार्ग अपना कर उसे क्रियान्वित कर सकता है। लेकिन उसे एक अदालत में अपने कार्य के औचित्य के सम्बन्ध में विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। इस विलम्ब के परिणाम बहुत भयावह होंगे। प्रगति के मार्ग में ऐसी स्थिति बहुत बाधक होगी।

१९४८ में रेलवे दर अधिकरण के निर्माण के समय हमने ब्रिटेन की प्रणाली का अनुकरण किया था। लेकिन हमें क्रियाशील स्थिति का सामना करना है और अगले कई वर्षों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति में औद्योगीकरण की गति में वृद्धि के लिये सरकार को भाड़ा दरों में परिवर्तन करने की पूरी स्वतंत्रता और छूट होनी चाहिये।"

समिति ने अग्रेतर यह कहा है कि :

"उक्त तीन वर्गों के अधीन आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में अधिकरण की अधिदेशात्मक शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने से अधिनियम की धारा ४१(ङ) के अधीन आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में अधिकरण आदेश जारी नहीं कर सकती है। हमने यह सिफारिश की है कि अधिकरण को कई अन्य बातों के सम्बन्ध में परामर्श का अधिकार दिया जाय। इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें अधिकरण को अधिदेशात्मक शक्तियां नहीं हैं।

अधिकरण को वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में अधिदेशात्मक शक्तियां नहीं दी जायेंगी लेकिन उनकी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा तथा सरकार उन के पास कुछ मामले सलाह के लिये भेजेगी तथा अधिकांश मामलों में उनकी सलाह स्वीकार कर ली जायेगी। यह स्थिति इस बुनियादी धारणा के फलस्वरूप बनी है कि रेलवे को कुल आय प्राप्त करना संसद् के नियंत्रण में सरकार के अधीन है।"

कुछ अन्य मामलों में अधिकरण की अधिदेशात्मक शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दो विशेष स्थानों के बीच ली जाने वाली विशेष दर से व्यापार तथा उद्योग का घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि दरें उपयुक्त हों तथा उसमें पक्षपात तथा पूर्ववर्तिता न हो। इन पहलुओं पर रेलवे दर अधिकरण की पूर्ण अधिदेशात्मक शक्तियां रहेंगी। तथा इनके सम्बन्ध में विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा है कि वर्गीकरण को शक्ति ले लेने से बहुत से मामले रेलवे दर अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जायेंगे। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि रेलवे दर अधिकरण के समक्ष जो २५ मामले थे उनमें से २२ अब भी अधिकरण की संशोधित अधिदेशात्मक शक्तियों के अन्तर्गत आयेंगे। अन्य तीन मामले परामर्श क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयेंगे।

अब मैं माननीय सदस्यों की कुछ भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि जब इसमें न्यायिक अनुभव के तीन न्यायाधीश थे तो वे पृथक पृथक बैठ कर मुकदमों का फैसला कर सकते थे, इस प्रकार मामलों का निबटारा अधिक शीघ्रता से होगा। १९४९ से १९५७ के बीच ८ वर्षों की अवधि में इस अधिकरण में केवल २५ मामले आये। ये मामले इतने अधिक नहीं थे कि प्रत्येक न्यायाधीश को पृथक पृथक बैठने की आवश्यकता होती।

कुछ सदस्यों को यह भी आशंका है कि अधिकरण के समक्ष वकील को पैरवी करने की इजाजत न देने से जनता तथा वाणिज्यिक हितों पर आघात हो सकता है। यह एक भ्रांति है जिसे जगन्नाथ राव ने बड़ी कुशलतापूर्वक दूर कर दिया है। अधिकरण के तीनों सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। केवल सभापति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अन्य सदस्य अनुभवी वकील थे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के अधिकारी थे। अधिकरण के पुनर्गठन में यह अधिदेशात्मक है कि सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अन्य दो व्यक्ति वाणिज्यिक मामलों के अनुभवी हों या देश की आर्थिक स्थिति के विशेषज्ञ हों।

कुछ सदस्यों को यह भी भ्रांति है कि अन्य दो सदस्य अपना मत उसके विरोध में दे कर सभापति को असमर्थ कर देंगे। वस्तुतः उनमें व्यापारी व्यक्ति नहीं रहेंगे। उन में से एक ज्येष्ठ तथा अनुभवी रेलवे अधिकारी होगा जो वाणिज्यिक बातों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ होगा। तथा दूसरा व्यक्ति देश का कोई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होगा। हम ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखेंगे जो व्यापारियों के हित का समर्थन कर सभापति की शक्तियों को दबा दें। हम सदैव इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सभी बातों से देश का हित हो।

[श्री शाहनवाज खां]

श्री सामन्त ने वाणिज्यिक तथा आर्थिक विषयों के विशेषज्ञों के अलावा कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को रखने को भी कहा है । वस्तुतः वाणिज्यिक और आर्थिक शब्दों के अन्दर ही कृषकों का हित भी शामिल है । माननीय सदस्य को विश्वास रखना चाहिये कि कृषकों का हित भी हमारे समक्ष है ।

श्री सामन्त ने पृष्ठ ३ खण्ड १० के इस उपबन्ध का भी जिक्र किया है कि रेलवे प्रशासन किसी मामले को अधिकरण के सम्मुख इस आधार पर रख सकता है कि तब से स्थिति में परिवर्तन हो गया है । लेकिन गैर सरकारी पक्ष ऐसा नहीं कर सकता है । वस्तुतः अधिनियम की धारा ४१ के अधीन एक उपबन्ध मौजूद है क्योंकि किसी भी समय रेलवे प्रशासन के विरुद्ध अधिकरण में शिकायत की जा सकती है ।

वर्तमान संविधि, परिवर्तित स्थिति में भी रेलवे प्रशासन को मामले का पुनर्विचार करने के लिये अधिकरण में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता । इसी से जिस उपबन्ध का श्री सामन्त ने जिक्र किया है उसे विधेयक में शामिल करना पड़ा ।

अधिकरण के समक्ष इस समय केवल चार विलम्बित मामले हैं तथा नया अधिकरण बनने के पूर्व इन मामलों पर पूर्ण निश्चय हो जायेगा ।

श्री सिंहासन सिंह ने यह सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों के माल के परिवहन को पूर्ववर्तिता मिलनी चाहिये । सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । हमने पहले भी सहकारी समितियों के माल के परिवहन को पूर्ववर्तिता दी है । वर्तमान विधेयक भी सहायक समितियों के माल को पूर्ववर्तिता देगा ।

सीमित समय के अन्दर मैं सभी सदस्यों की आपत्तियों का उत्तर नहीं दे सकता हूं । मैंने केवल बुनियादी प्रश्नों को लिया है । वस्तुतः इन सभी विषयों पर पर्याप्त विचार किया जा चुका है मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधेयक को सभा की पूर्ण सहमति प्राप्त होगी । मैं सभा से इसकी स्वीकृति की सिफारिश करता हूं ।

†**सभापति महोदय :** मैं श्री नलदुर्गकर के संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नलदुर्गकर :** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ : (धारा २७ का संशोधन)

†**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे । खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ : (धारा २७-क का संशोधन)

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** मैं संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करती हूं । मेरे संशोधन का आशय यह है कि विकास कार्यों के लिये आवश्यक पदार्थों को विशेष सुविधायें प्रदान की जायें।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री शाहनवाज खां :** यह संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ और ५

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ और ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ६: (धारा ३४ का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : भाड़ा व्यवस्था जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि सभापति की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् उसे उपयुक्त मामले में उसी पद में पुर्नि-युक्ति का अधिकार होगा लेकिन सरकार ने उसकी सिफारिश स्वीकार नहीं की है इसका क्या कारण है ?

उप खंड ७ के अनुसार यदि अधिकरण के एक या दो सदस्य भी अनुपस्थित होंगे तो भी अधि-करण का निर्णय मान्य होगा यह बात गलत है । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज़ खां :** पहिले प्रश्न के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि यद्यपि हमने समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं तथापि विशेष मामलों में सदस्य की पदावधि बढ़ाई जा सकती है। हमने पदावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में स्वीकृति इस कारण नहीं दी कि न्यायालय के सदस्य पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकें। क्योंकि यदि ऐसा उपबन्ध रहता तो उससे कुछ सदस्यों को वहां जमें रहने की प्रेरणा मिलती। वस्तुतः इस अधिकरण में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति प्रौढ़ होंगे जिनके लिये पांच वर्ष की अवधि पर्याप्त होगी।

जहां तक केवल एक व्यक्ति के द्वारा अधिकरण के बनने का प्रश्न है पहिले अधिकरण में एक असेसर रहता था। यह पद्धति समाप्त कर दी गई है। अब दो सदस्य सभापति के आर्थिक तथा वाणिज्यिक विषयों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। तथा मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि केवल एक ही सदस्य के अधिकरण में रहने के अवसर बहुत कम आयेंगे।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७ और ८

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ और ८ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ९ : (धारा ४१ का संशोधन)

†**सभापति महोदय :** में समझती हूं कि संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** अधिकरण की शक्तियों का क्षेत्र बहुत संकुचित कर दिया गया है। उस संकुचित क्षेत्र के भोतर भी अधिकरण पर यह प्रतिबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम या अधिकतम दरों के अन्दर ही अपना निर्णय वह घोषित कर सकती है। अधिकरण सरकार द्वारा विहित दर की सीमाओं को अनुचित नहीं बता सकती है।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मैं पहिले ही बता चुका हूं कि पुनर्गठित अधिकरण में विशेषज्ञ होंगे जो पूर्ण जानकार होंगे।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

मूल अंग्रेजी में

खंड ११ : (धारा ४२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री घोषाल :** मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का आशय उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतें अधिकरण के समक्ष रखने के लिये सहूलियतें देना है। किसी वस्तु का पुनवर्गीकरण करना या उसकी श्रेणी में परिवर्तन करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होना चाहिये लेकिन इसमें अधिकरण की सहमति होनी चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा :** वर्गीकरण और श्रेणीवद्ध करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इससे असंतुष्ट हो तो उसके पास क्या उपचार है। प्रस्तुत विधेयक में इसका कोई उपचार नहीं है।

यदि अधिकरण यह निश्चय करे कि कोई विशेष दर अनुचित है इसलिये हटा दी जानी चाहिये तो सरकार यह कह सकती है कि पुनर्वर्गीकरण है जिसका अधिकरण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त दोनों स्थितियों का सरकार के पास क्या उपचार है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** मैं संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करती हूं। हम चाहते हैं कि इस धारा के अधीन जो भी आदेश दिया जाय उसे तीन महीनो के अन्दर सभा-पटल पर रख दिया जाय। समिति ने यह सिफारिश की है कि वस्तुओं के पुनर्वर्गीकरण का अधिकार सरकार के पास रहे जिससे समय की आवश्यकता के अनुसार वे उसमें परिवर्तित कर सकें। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को इस परिवर्तन से तत्काल अवगत किया जाय। मैं आशा करती हूं कि उपमंत्री महोदय जनता के हितों का ध्यान रखेंगे।

†**सभापति महोदय :** उक्त दोनों संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री शाहनवाज खां :** श्रेणीबद्धता अथवा पुनः श्रेणियों में विभाजन करने और दरों को घटाने या बढ़ाने के निर्णयों को प्रशुल्क के सामान्य साधनों द्वारा सामान्य जनता को बता दिया जाता है। सभा पटल पर ऐसे निर्णयों को रखने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० और २४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १२ और १३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १४ : (धारा ४५ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना : न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार की सीमा)

†**श्री नलदुर्गकर :** मैं अपने संशोधन संख्या ५, ६, ७ तथा ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २२ में, "Scales of charges" ("किराये की दरें") के पश्चात् "levied" ("आरोपित") शब्द रखा जाये।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं अपना संशोधन संख्या २६, प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री घोषाल** : मैं अपने संशोधन संख्या ११ से १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : अब ये संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री नलदुर्गकर** : इस खण्ड के अनुसार जो भी मामला न्यायाधिकरण को भेजा जायेगा, उस पर जो कुछ भी निर्णय होगा उसे सरकार को करना पड़ेगा : इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि जो भी निर्णय न्यायाधिकरण दे वह सभी क्रियान्वित हों ।

†**श्री घोषाल** : मैं अपने संशोधनों से यह चाहता हूं कि जो भी शिकायत केन्द्रीय सरकार से की जाये, उसे दर न्यायाधिकरण को भेज देना चाहिये और यह न्यायाधिकरण जो भी निर्णय दे उसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये । उप-खण्ड (३) पर अन्तिम दो संशोधन उप-खण्ड (२) के कारण रखे गये हैं क्योंकि यदि सरकार को दर न्यायाधिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार होंगे तो इन उपखण्डों की कोई उपयोगिता नहीं होगी ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं संशोधन संख्या २६ इसलिये प्रस्तुत कर रही हूं कि हमारी सरकार तथा मंत्रालयों का यह उद्देश्य हो गया है कि जब भी किसी काम के लिये उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं मामले पर विचार किया जा रहा है । इसलिये मैं यह चाहती हूं कि जब सरकार न्यायाधिकरण स्थापित करने के अधिकारों की व्यवस्था कर रही है तो यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे भी उपबन्ध बनाये जायें जिससे न्यायाधिकरण के प्रतिवेदनों का पूरा उपयोग किया जा सके । मैं आशा करती हूं कि माननीय उपमंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्री शाहनवाज खां** : संशोधन संख्या २५ 'आरोपित' शब्द को रखने के लिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह शब्द भूल से छूट गया था ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि पृष्ठ ४, पंक्ति २२ में, "Scales of charges" ("किराये की दरें") के पश्चात् "levied" ("आरोपित") शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री नलदुर्गकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन उप-खण्ड (२) तथा उप-खण्ड (३) के सम्बन्ध में हैं । वे न्यायाधिकरण के मूल क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण करना चाहते हैं । मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**श्री नलदुर्गकर** : मैं अपने संशोधन संख्या ५, ६, ७, तथा ८ वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ५, ६, ७ और ८ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

सभापति महोदय द्वारा अन्य संशोधन संख्या ११, १२, १३, १४, १५, १६ और २६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५—(धारा ४६ का संशोधन)

श्री घोषाल : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५, पंक्ति २ तथा ३ के स्थान पर निम्न रखा जाये :—

'(a) in clause (ii), after the words "or reduce" the words "or cancel after due notice in the manner prescribed by the Central Government" shall be inserted' ['(क) खण्ड (२) में "अथवा कम" शब्दों के पश्चात् "अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार समुचित पूर्वसूचना के पश्चात् रद्द कर सकेगा" शब्द रखे जायें']

संशोधन संख्या १७, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति २ तथा ३ के स्थान पर निम्न रखा जाये :—

'(a) in clause (ii), after the words "or reduce" the words "or cancel after due notice in the manner prescribed by the Central Government" shall be inserted' ['(क) खण्ड (२) में "अथवा कम" शब्दों के पश्चात् "अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार समुचित पूर्वसूचना के पश्चात् रद्द कर सकेगा" शब्द रखे जायें ।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७—(धारा ४६ग का संशोधन)

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ५, पंक्ति ११ में 'small' ("छोटा सामान") के स्थान पर 'smalls' ("छोटे सामान") शब्द रखे जायें ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति ११ में 'small' ("छोटा सामान") के स्थान पर 'smalls' ("छोटे सामान") शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

संशोधन संख्या १९, २० और २१ सभापति द्वारा नियम विरुद्ध घोषित किये गये ।

खंड १८—(लम्बित कार्यवाहियों का निबटाया जाना)

†**श्री नलदुर्गकर** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो लम्बित मामले हों जैसे कि इस समय ४ मामले हैं उनको निबटाने के अधिकार भी नियुक्त होने वाले इस न्यायाधिकरण को दिये जाने चाहियें ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं नया न्यायाधिकरण लम्बित चारों मामलों का फैसला करेगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक को अधिनियम बनाया जा रहा है परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या कार्यवाही की जायेगी जिससे बनने वाला न्यायाधिकरण वर्तमान न्यायाधिकरण से शीघ्र काम करेगा । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने बताया था कि इस न्यायाधिकरण का व्यय कम होगा तो यह किस प्रकार कम होगा क्योंकि न्यायाधिकरण के तीनों सदस्यों का वेतन पहले के समान ही है केवल एसेसरों को ही हटाया गया है । क्या सरकार शीघ्र निबटा कर व्यय कम करेगी ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : श्रीमान् , हम इस विधेयक के द्वारा एक ऐसा न्यायाधिकरण बनाने जा रहे हैं जिसको वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है । इससे यह होगा कि न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्णय दिये जाने पर भी सरकार वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण का सहारा लेकर, उस निर्णय को अस्वीकार कर सकती हैं । विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के संशोधन को भी माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री ने अस्वीकार कर दिया इसलिये मेरी मंत्री महोदय से अपील है कि वह कम से कम हमें आश्वासन दे दें कि विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड १४ पर हमारे इस संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया है जो उप-धारा में दिये गये मामलों को न्यायाधिकरण को सौंपने के सरकार को अधिकार के सम्बन्ध में था। मेरी उनसे प्रार्थना है कि कम से कम माननीय मंत्री इस बारे में भी हमें आश्वासन दे दें कि किसी व्यवसाय द्वारा की गई शिकायतों का मामला भी न्यायाधिकरण को सौंप दिया जायेगा। बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में भी इसी प्रकार को शक्तियों को सरकार को दिया गया है और उनका हमें बड़ा कटु अनुभव है। इसीलिये हम चाहते हैं कि उपभोक्ता को भी अधिकार होना चाहिये कि वह न्यायाधिकरण में जा कर शिकायत कर सके। इसलिये हम आश्वासन चाहते हैं जिससे न्याय हो सके। अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह न्यायाधिकरण ऐसा बनाया जा रहा है जो स्वतन्त्रता से अपने निर्णय नहीं दे सकेगा।

†**श्री शाहनवाज खां :** मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मेरे माननीय मित्र श्री सामन्त जानना चाहते हैं कि मामलों को तय करने में शीघ्रता किस प्रकार होगी। मैं समझता हूं कि वह यह जानते हैं कि एसेसरों के कारण बहुत देर हुआ करती थी। इसलिये एसेसरों को हटा देने से मामलों को शीघ्रता से निबटाया जा सकेगा। न्यायाधिकरण में तीन सदस्यों में से एक अर्थात् सभापति, न्यायिक प्राधिकारी होगा तथा दो विशेषज्ञ होंगे। मैं समझता हूं कि वह निर्णय शीघ्र दे सकेंगे ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मजूरी भुगतान अधिनियम, जिसमें वर्तमान विधेयक के द्वारा संशोधन किये जा रहे हैं १९३६ में अधिनियमित किया गया था। यह एक प्रयोगात्मक विधान था और इसके कार्यसंचालन से पता लगा कि कुछ मामलों में अधिनियम का संशोधन आवश्यक है। संशोधन का प्रस्ताव बहुत समय से विचाराधीन था। इस प्रस्ताव पर १९४० तथा १९४२ के श्रम मंत्री सम्मेलन में मालिकों और मजदूरों के साथ चर्चा हुई थी और १९४४ में विधान सभा में इसे पुरः-स्थापित किया गया था और जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया गया था। परन्तु १९४७ में विधान सभा के भंग हो जाने पर, विधेयक व्यपगत हो गया। बाद में इस पर लोगों ने जो विचार प्रकट किये, उनके आधार पर इस प्रस्ताव की पुनः जांच की गई ।

उस समय से अधिनियम के संशोधन का प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है। संशोधन के महत्व तथा आवश्यकता के आधार पर इसको अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ। विधेयक में इस समय जो संशोधन किया गये हैं, मैं समझता हूं कि उनसे अधिनियम के प्रशासन पर अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

असर पड़ेगा और इससे श्रमिकों के कुछ ऐसा वर्ग भी इन श्रेणियों में आ जायेंगे जिनको अभी इस अधिनियम से लाभ नहीं है ।

मैं संक्षेप में इन संशोधनों की व्याप्ति के सम्बन्ध में बताऊंगा । १९३६ में वर्तमान मजूरी सीमा २०० रुपये निर्धारित की गई थी । मंहगाई भत्ता आदि लागू किये जाने से मजूरी का रूप बदल गया है । मजदूरों की मजूरी, विशेषतया निम्न आय वर्ग की, बढ़ गई है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नहीं है । कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम तथा कर्मचारी राज्यबीमा अधिनियम उन लोगों पर लागू है जिनकी मासिक मजदूरी ४०० रुपये से अधिक है ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री शायद काफी समय लेंगे । वह अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे । और अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे ।

समान पारिश्रमिक विधेयक

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्त्री मजदूरों को समान काम के लिये समान वेतन देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"स्त्री मजदूरों को समान काम के लिये समान वेतन देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक

†**सभापति महोदय :** सभा में अब श्री अ० कु० गोपालन द्वारा २२ नवम्बर, १९५७ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी । इसके लिये २½ घंटे निर्धारित किये गये थे जिसमें से १ घंटा तथा ५० मिनट समाप्त हो चुके हैं और ४० मिनट शेष हैं । श्री त्रि० कु० चौधरी अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं बीड़ी बनाने वालों की घरखाता पद्धति के तथा पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के औरंगाबाद में बीड़ी बनाने वालों की दशा के सम्बन्ध में बता रहा था । सब से पहली बात यह थी कि बीड़ी बनाने वालों को न्यूनतम मजूरी के अधीन लाना चाहिये । रेगे समिति ने घरखाता पद्धति को समाप्त कर देने के बारे में सिफारिश की है परन्तु यह अभी समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से घर में बीड़ी बनाने वाले बेरोजगार के

---

†मूल अंग्रेजी में

हो जायेंगे। मैं श्री तंगामणि के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री विधेयक पर विचार करते समय इस संशोधन का ध्यान रखेंगे ।

मैं माननीय मंत्री तथा सभा के सदस्यों के ध्यान इस उद्योग की एक अजीब बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और वह यह है कि श्रम वर्ष पुस्तक में दिया है कि इस उद्योग में ६९,७३८ व्यक्ति लगे हैं जब कि इनकी संख्या पांच लाख से अधिक है । बंगाल के बारे में बताया गया है कि इस उद्योग में २९५ व्यक्ति लगे हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि यह उद्योग कारखाना विधियों के अधीन नहीं आता है। और जो कुछ आंकड़े बताये गये हैं वह भी पंजीबद्ध नहीं हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि कम आंकड़े इसीलिये बताये जाते हैं जिससे यह लोग न्यूनतम मजूरी विधान के अधीन न आ सकें ।

कहीं भी न्यूनतम मजूरी १० आने से कम नहीं है। कहीं-कहीं पर १ रुपया १४ आने से लेकर २ रुपये २ आने तक है परन्तु बीड़ी बनाने वालों को बहुत कम मजूरी दी जाती है। सभी दल प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको अधिक मजूरी मिले। इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार करें और न्यूनतम मजूरी अधिनियम बीड़ी बनाने वालों पर भी लागू करने वाला विधान प्रस्तुत करे ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : श्री केशब ने बताया था कि यह विधान अनावश्यक है और उसके लिये यह तर्क प्रस्तुत किया था कि देश में श्रमिकों को लाभार्थ बहुत से विधान, जैसे कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम आदि हैं इसलिये यह विधान बेकार है। । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि नागपुर न्यायाधिकरण, बम्बई औद्योगिक अधिनियम आदि ने यह निर्णय दिया था कि यह सभी अधिनियम इस उद्योग पर लागू नहीं होते हैं। केवल कारखाना अधिनियम के अधीन ये लोग आते हैं परन्तु इसमें भी इसको कुटीर उद्योग में ले लिया जाता है। इसीलिये हमारा सुझाव है कि एक अलग अधिनियम इन मजदूरों के लिये बनाया जाये ।

केरल में बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मालाबार में भी ऐसा ही किया गया तो क्या यह उचित है कि केरल को इस के लिये दण्ड दिया जाये कि यह उद्योग निवारक राज्यों, मद्रास, तथा मैसूर में न्यूनतम मजूरी निर्धारण से फैला है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इस विधेयक को स्वीकार न करना चाहती हो तो ऐसा विशद् विधेयक प्रस्तुत करे जिससे बीड़ी मजदूरों को भी लाभार्थ विधानों के लाभ मिल सके ।

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, यह जो बिल हाउस के सामने आया है मैं समझता हूं कि इस बिल से मजदूरों की पूरी जो समस्यायें हैं वह पूर्ण रूप से हल होंगी, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है ।

बीड़ी के उद्योग, और उसके नेचर को यदि आप ध्यान में रखें तो पायेंगे कि इस बिल में फैक्टरी की जो व्याख्या की गई है उसके वे मजदूर जो घरखाते में बीड़ी बनाते हैं उनके लिये वह कोई खास उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती है और मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे उनको कोई मदद भी नहीं पहुंच सकती है ।

इस बिल को यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहला जो चेप्टर है उसमें डेफ्नीशंस आती हैं परन्तु आखिर के चेप्टर में जिसमें पैनल्टीज के सम्बन्ध में बात कही गई है उसको यदि छोड़

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

दिया जाय तो बाकी ऐसी बातें इसमें हैं जो कि दूसरे जो मजदूरों के लिये कानून बनाये गये हैं जैसे पेमेंट ग्राफ वेजेज ऐक्ट, मैटरनीटी बेनिफिट ऐक्ट, वर्कमेन कम्पेंसेशन ऐक्ट, और फैक्टरीज् एक्ट, उनमें सब में यह बात आ गई है और मेरा ऐसा ख्याल है कि वे जरूरी बातें हैं परन्तु इस हाउस में जैसा कि श्री केशव ने कहा था कि यह जो दूसरे कानून मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये बने हुए हैं उनको यदि पूरी तौर पर मजदूरों के हितार्थ लागू किया जाता है, तो इस नये कानून के बनाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भंडारा हिन्दुस्तान में बीड़ी बनाने का सब से बड़ा क्षेत्र है और वहां पर १ लाख से अधिक मजदूर बीड़ी बनाते हैं । बीड़ी यूनियनों में मैं ने काफ़ी काम किया है और कर भी रहा हूं और इस से उनकी जो समस्यायें हैं उन समस्याओं को मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूं । कम से कम भंडारा जिले के बाबत में कह सकता हूं कि उनकी एक महत्वपूर्ण समस्या मिनिमम वेजेज की है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । उनको मिनिमम वेजेज ठीक ढंग से जैसे मिलनी चाहियें, नहीं मिलती हैं । देखा यह गया है कि यदि वेजेज बढ़ा दी जाती हैं तो लोग कारखाने वहां से उठा कर दूसरी तरफ ले जाते हैं । एक सवाल तो यह बीड़ी मजदूरों के लिये मिनिमम वेजेज का है ।

दूसरा सवाल जो बीड़ी मजदूरों का है और जिसकी कि ओर हाउस में इस विषय पर चर्चा करते हुए किसी भी माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिलाया, वह बीड़ी छांट का सवाल है । बीड़ियों को खराब बीड़ी कह कर उनको छांट दिया जाता है । इस तरह बीड़ी छांट का जो परिणाम होता है वह केवल १०, २० परसेंट हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत दफे १०० परसेंट बीड़ी भी छांट दी जाती हैं । कंट्रेक्टर के पास मजदूर जब बीड़ी बना कर देते हैं तो वह बीड़ी की छांट कर लेता है । परन्तु उसके बाद भी जब कंट्रेक्टर उसको टोंकने में भर कर एम्पलायर के पास भेजता है तो अक्सर वह एम्पलायर भी उन में से बीड़ियों को दुबारा छांट कर देता है और कभी कभी तो पूरा टोंकना का टोंकना बीड़ी का छांट कर देता है । रेगे कमेटी ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी यह राय प्रकट की है :—

> "कारखाना मालिकों का यह कथन कि खराब काम को रोकने के लिये बीड़ी की अस्वीकृति आवश्यक है । अन्यथा इससे ट्रेड मार्क खराब होता है । सी० पी० बीड़ी उद्योग समवाय ने यह कहा है कि ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है जिससे कारखाने के मालिकों के इस कथन को माना जा सके ।"

यह जो बीड़ी छांट का कारण बता कर काफी मात्रा में बीड़ी रिजैक्ट करदी जाती है, मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और इतनी देर तक उस पर चर्चा हुई, उसके दौरान यह जो २० प्रतिशत या २५ प्रतिशत मजदूरों की वेजेज का हर रोज नुक्सान होता है, उसको रोकने और कम करने के हेतु इस बिल में किसी भी प्रकार का कोई प्राविजन नहीं किया गया है और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जो बिल का वर्तमान रूप है उसी रूप में हाउस इस बिल को पास कर के बीड़ी मजदूरों के लिये कोई खास उपयोगी इसको नहीं बना रहा है और यह कोई खास उपयोगी उनके लिये सिद्ध होने वाला नहीं है ।

मैं चाहूंगा कि सरकार नागपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह जो मान लिया है कि बीड़ी मजदूर फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत वर्कमेन हैं, उसको लेकर यदि कोई ठोस और डेफिनिट कदम उठाती है जिससे कि इन सब बीड़ी मजदूरों को वर्कमेन कहा जाये और फैक्टरी की व्याख्या केवल वहीं तक के लिये [illegible] रहे जहां पर कि मजदूर बीड़ी बनाते हैं बल्कि अलग-अलग जगहों पर जहां

कि मजदूर बीड़ी बना कर जिस स्थान पर भेजते हैं और जहां पर कि वह बीड़ी इकट्ठा की जाती है भले ही वहां पर बीड़ी न बनाई जाती हो परन्तु जहां पर बीड़ी के फाइनेल डिस्पोजल के उद्देश्य से उसको इकट्ठा किया जाता हो, उस जगह को भी यदि फैक्टरी की व्याख्या के अन्तर्गत एनक्लूड कर लिया जाये तो मजदूरों को लाभ पहुंच सकता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि इस बात को शासन ध्यान में रक्खे और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई एक नोटिफिकेशन जारी करे या कदम उठाये तो इस प्रकार के बिल की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी और बाकी जो मजदूरों के हितों की दृष्टि से अनेक कानून बनाये गये हैं उन कानूनों का लाभ भी मजदूरों को पहुंच सकता है।

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विधेयक के उद्देश्य बड़े सराहनीय हैं। परन्तु इस पर विचार करते हुए, हमें इसकी जांच करना आवश्यक है कि क्या एक अलग विधान की वास्तव में कोई आवश्यकता है। अन्तिम वक्ता ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा उसकी प्रशासनिक कठिनाइयों का जिक्र किया। मेरे विचार से क्योंकि इसको अब राज्य सरकारें लागू करती हैं इसलिये इसके प्रशासन से सम्बन्धित मामलों की शिकायतें केरल सरकार से ही करनी चाहिये और संभवतया वही इन शिकायतों को दूर कर सके। यह सच है कि जब एक ही उद्योग के लिये एक राज्य में न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जाती है और निकटवर्ती राज्य में न्यूनतम मजूरी निर्धारित न हो तो कुछ कठिनाई होती है।

छटनी अथवा बीड़ियों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में मेरे भंडारा के मित्र ने बताया कि यह कठिनाई किसी भी अधिनियम से दूर नहीं होती है। बीड़ियों की अस्वीकृति की कितनी प्रतिशतता होती है। इसके लिये मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों में बातचीत होनी चाहिये। यूनियन को इन मामलों पर ध्यान देनी चाहिये।

विचाराधीन विधेयक के उपबन्धों पर बड़ी सावधानी से जांच की जा रही है और मैं समझता हूं कि इनमें से बहुत से उपबन्ध उन विभिन्न अधिनियमों में हैं जो बीड़ी मजदूरों पर अभी भी लागू हैं। इसलिये कोई नई बात इसमें नहीं कही गई है और मेरा निवेदन है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इन विधेयकों को पारित करने अथवा संविधि पुस्तक में रखने से मजदूरों की कठिनाइयां दूर नहीं होंगी। उनकी सेवा अन्य तरीकों से की जा सकती है।

रेगे समिति के प्रतिवेदन की ओर निदश किया गया परन्तु इसके प्रकाशित होने के पश्चात् कारखाना अधिनियम तथा नया न्यूनतम मजूरी अधिनियम संविधि पुस्तक में रखे जा चुके हैं। कारखाना अधिनियम की व्याप्ति का क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया गया है। इसको बिजली से चलने वाली मशीनों जिनमें दस अथवा अधिक व्यक्ति काम करते हों, तथा उन मशीनों पर जो बिजली से न चलती हों, उनमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, पर लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से बहुत सी तम्बाकू की वस्तुएं बनाने वाली संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन लाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा ८५ के द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह इस अधिनियम के दो अथवा उससे अधिक उपबन्धों को, किसी कारखाने के कर्मचारियों की संख्या पर ध्यान न रख कर, लागू कर सकते हैं। हमारे आदेश पर आंध्र, आसाम, बम्बई, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तथा त्रिपुरा राज्य सरकरों ने ऐसी अधिसूचनायें जारी कर दी हैं जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम के कुछ उपबन्ध बीड़ी निर्माता संस्थाओं पर लागू होंगे। इस प्रकार बीड़ी कारखानों में काम करने वाले कुछ मजदूरों को, कारखाना अधिनियम की सुरक्षा, स्वास्थ्य, तथा कल्याण के अन्दर आ जाते हैं। वह मजदूर प्रतिकर अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, (बीड़ी उद्योग की स्त्री) मजदूरों के लिये आदि के लाभ के भी अधिकारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मेरे विचार से नागपुर, बम्बई तथा मद्रास न्यायाधिकरणों ने निर्णय दिया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम बीड़ी उद्योग पर लागू नहीं है।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य ऐसे काम की ओर निर्देश कर रहे हैं जो मालिकों के कारखानों में नहीं किया जाता है अपितु मजदूर बीड़ी बनाने का सामान अपने घर ले जाते हैं। यह ठीक ही है कि यह अधिनियम, बीड़ी मजदूरों पर लागू होने चाहिये इसलिये हम निश्चित रूप से इन कठिनाईयों को दूर करेंगे ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिजली से चलने वाली मशीनों को ऐसे कारखाने जिनमें बीस अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हों, पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम भी लागू है। कुछ वक्ताओं ने चौदह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को इस उद्योग में नियुक्त किये जाने के बारे में बताया। उसी प्रकार ऐसे बीड़ी बनाने वाले कारखानों, जिन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं है, पर बच्चों की नियुक्ति अधिनियम १९३८ के अधीन बच्चों को नौकर रखने का निषेध है। यदि बच्चे नौकर रखे जाते रहे हैं तो यह विधान उपबन्धों की कमी के कारण नहीं अपितु इन नियंत्रणों को लागू करने में कठिनाई के कारण नौकर रखे जाते हैं।

अक्तूबर, १९५२ में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि बीड़ी कारखानों में काम करने वाले कम वय के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाये। उन के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों से पता लगता है कि बीड़ी बनाने के उद्योग में कारखाना अधिनियम के विपरीत बहुत बच्चे नौकर हैं और अधिक घंटे तक काम करने तथा गन्दगी के वातावरण में अस्वास्थ्यकर दशा के कारण, बच्चों का स्वास्थ्य बड़ा खराब है। बीड़ी उद्योग में, कम बच्चे नौकर हों, इसके लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अप्रैल १९५४ से निम्न निदेशानुसार कार्यवाही करें :

(१) जहां बच्चों को नौकर रखा जाता हो परन्तु कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता ऐसे बीड़ी कारखानों में अधिनियम के अत्यावश्यक उपबन्धों को लागू करें तथा अधिनियम को धारा ८५ का पूरी तरह तथा प्रभावोत्पादक रूप में प्रयोग करें ;

(२) कारखाना निदेशालय की शक्ति बढ़ायें और बच्चों को काम पर लगाने सम्बन्धी उपबन्धों को कठोरता से लागू करें ;

(३) बच्चों तथा स्त्रियों के संरक्षण की जिम्मेदारी अधिक समझने के लिये निदेशालयों को सावधान करें।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अधिकांश राज्य सरकार, कारखाना अधिनियम की धारा ८५ के अधीन कार्यवाही कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावोत्पादक रूप में लागू करने के लिये कारखाना निदेशालय की शक्ति भी समय समय पर बढ़ाई है।

१९५४ के प्रारम्भ में हमें यह भी बताया गया था कि मालिक इस प्रकार के तरीके व्यवहार में ला रहे हैं जिससे उन पर कारखाना अधिनियम लागू न हो इस प्रकार बीड़ी बनाने की सामग्री कितने ही घंटों में वितरित कर दी जाती है जिससे कारखाना अधिनियम अच्छी तरह लागू न किया जा सके। स्थिति की जांच के लिये तथा मजदूरों को अधिकतम विधि संरक्षण देने के लिये ऐसा राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि वह सभी बीड़ी बनाने वाले केन्द्रों में वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त करे और जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में सरकार को प्रतिवेदन भेजे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी बीच में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि जहां भी बीड़ी बनाने का काम किया जाता है उन सभी स्थानों पर धारा ८५ लागू करने के सभी संभावित प्रयत्न करें। हमारे सुझाव पर चार राज्य सरकारों, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, उड़ीसा तथा राजस्थान ने इसकी जांच के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। अन्य राज्य सरकारों ने इन पदाधिकारियों को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा क्यों कि उनका विचार था कि कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ८५ तथा अन्य अधिनियमों के अधीन कार्यवाही पर्याप्त थी।

राजस्थान, केरल तथा मद्रास राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विशेष पदाधिकारियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। राजस्थान के पदाधिकारी ने सिफारिस की है कि बीड़ी मज़दूरों के काम के घंटे नियमित कर देने चाहिएं तथा प्रसूति लाभ अधिनियम के उपबन्ध बीड़ी के स्त्री मज़दूरों पर लागू कर देने चाहिएं। जहां बीड़ी बनाई जाती हैं वहां तम्बाकू और पत्तों का घरों में संभरण केवल पंजीबद्ध बीड़ी कारखानों को छोड़ कर नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार प्रतिवेदन की सिफारिसों पर कार्यवाही कर रही है।

केरल सरकार ने हमें बताया है कि वह विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्यवाही कर रही है। मज़दूरों की दशा की जांच करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर भी वह सरकार विचार कर रही है।

मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त किये गए विशेष पदाधिकारी ने सिफारिस की है कि बीड़ी उद्योग में काम के घंटे, छुट्टियां तथा मजूरी आदि का विनियमन करने के लिए अलग विधान अधिनियमित किया जाये। मद्रास सरकार ने हमें बताया है कि विधान बनाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

न्यूनतम मजूरी निर्धारण के बारे में निर्देश किया गया। जैसा कि बताया गया है न्यूनतम मजूरी अधिनियम, तम्बाकू के मजदूरों जिसमें बीड़ी बनाने का उद्योग भी आ जाता है, पर भी लागू है। आन्ध्र, बिहार, मध्य-प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने बीड़ी मज़दूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी है।

जो कुछ मैंने कहा है उस से स्पष्ट हो जाता है कि बीड़ी कारखाने में लगे मजदूरों को वह सभी संरक्षण, लाभ आदि प्राप्त हैं जो दूसरे मज़दूरों को प्राप्त हैं। उन्हें बच्चों को रोजगार अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, आद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मज़दूर प्रतिकर अधिनियम आदि सभी के लाभ प्राप्त हैं। विजली से चलने वाले जिन कारखानों में २० या २० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उन के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। जिन कारखानों में ५० से अधिक व्यक्ति होंगे वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आयेंगे। यह बात ठीक है कि इस उद्योग की विशेष स्थिति के कारण उपरोक्त अधिनियमों के इन उपबन्धों का पूरी तरह लागू किया जाना कठिन है। परन्तु राज्य सरकारें यह पूरा प्रयत्न कर रही हैं कि श्रमिकों को इन अधिनियमों का पूरा लाभ प्राप्त हो। माननीय सदस्य यह बात तो स्वीकार करेंगे ही कि केवल विधान से सारा आवश्यक सरंक्षण प्राप्त नहीं हो जाता। श्रमिकों को अपना संगठन करके समुचित ढंग से कार्मिक संघ बनाना चाहिए। इस प्रकार ही वे अपना प्रभाव डाल सकेंगे। ये संघ इस बात का पूरा ध्यान रख सकते हैं कि स्वीकृत अधिनियमों को समुचित तौर पर कार्यान्वित किया जाता है कि नहीं।

[श्री आबिद अली]

इस लिए जिन कारणों की मैंने व्याख्या की है उन्हें देखते हुये बीड़ी कर्मचारियों के लिए अलग से अखिल भारतीय विधान का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। मैं श्री गोपालन को उसे वापिस लेने की प्रार्थना करूंगा, अन्यथा सदन से प्रार्थना है कि वह इसे रद्द कर दे।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मुझे खेद है कि श्रम उप मंत्री अभी यह भी बात नहीं समझ सके कि हम क्यों इस विधान पर जोर दे रहे हैं। इस विधेयक पर जितने सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं वे सभी इस बात पर एक मत हैं कि बीड़ी कर्मचारियों की काफी कठिनाइयां हैं और उन्हें सुधारा जाना चाहिए, और उन्हें भी अन्य मजदूरों की तरह कानून का लाभ प्राप्त होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार भी एक विधेयक प्रस्तुत कर रही है जिससे स्पष्ट है कि इस मामले में कानून की आवश्यकता है।

उपमंत्री महोदय का कहना है कि अखिल भारतीय स्तर पर किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। वह राज्य सरकारों को कहेंगे कि सिगार और बीड़ी मजदूरों के संरक्षण के लिए कोई विधान बनाये। उनका कहना है कि इस विधेयक के खन्डों में जिस संरक्षण की व्यवस्था है वह कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों में विद्यमान है। परन्तु श्री मेनन ने मद्रास उच्च न्यायलय का एक निर्णय प्रस्तुत किया है कि जहां तक बीड़ी मजदूरों का सम्बन्ध है, उन में मालिक और मजदूर के सम्बन्ध नहीं हैं. यह तो सीधा एक ठेके का प्रश्न हैं। इस लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य अधिनियम इन पर लागू नहीं होंगं। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत तो ५ प्रतिशत बीड़ी मजदूर भी नहीं आते। इसलिए न्यूनतम वेतन का भी इन लोगों के मामले में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। कई स्थानों पर इसे कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है। कारखाना लगाने के स्थान लोगों के घरों में पत्ते इत्यादि भेज कर ठेके पर बीड़ियां बनवा ली जाती हैं। इसीलिए तो मेरा कहना था कि इन लोगों के लिए कानून का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। यही बात रेगे समिति ने भी कही है। मंत्री महोदय ने भी उनकी बुरी हालत को स्वीकार किया है। इस कारण इन १० लाख मजदूरों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। यदि इस विधेयक में कुछ कमी हो तो इसमें कुछ और बातें भी बढ़ाई जा सकती हैं। क्यों कि अदालतों के निर्णयों के अनुसार यह मजदूर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। और वेसे भी वे इस प्रकार विभाजित हैं कि कारखाना अधिनियम से कुछ लाभ नहीं उठा सकते।

इन मजदूरों के लिए कुछ किया ही जाना चाहिए। और मंत्री महोदय ने भी उनकी हालत के सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया है। परन्तु यह बात सिद्ध है कि कारखाना अधिनियम तथा न्यूनतम वेतन उन पर लागू नहीं होंगे। इन हालात में ही हमारा कहना है कि एक अखिल भारतीय विधान की आवश्यकता है।

उपमंत्री महोदय ने विधेयक वापिस लेने की अपील की है। यदि उपमंत्री महोदय यह बताते कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार तुरन्त इस प्रश्न का परीक्षण करेगी और निश्चित रूप में ऐसा कानून बनायेगी जिस से इन सिगार बीड़ी मजदूरों को अन्य मजदूरों जैसी सुविधायें और लाभ प्राप्त होंगे, तो मुझे इस पर कोई आपति न थी। परन्तु ऐसा किया नहीं गया है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने प्रथम बार इन मजदूरों की शक्ति को स्वीकार किया है। और यदि कुछ न किया गया तो ये सिगार और बीड़ी मजदूरां का सरकार

†मूल अंग्रेजी में

को मनाने के लिए अपने आप को संगठित करना ही होगा। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि कोई कार्मिक संघ न हो तो सरकार उनके लिए कोई विधान नहीं बनायेगी? इन गरीबों के लिए शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए।

यदि उपमंत्री महोदय ऐसा कहें कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह कहेगी कि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन मजदूरों को वर्तमान अधिनियमों का संरक्षण प्राप्त हो जाय, तो बात ठीक है। नहीं तो मुझे इस विधेयक पर जोर देना होगा। क्या उपमंत्री महोदय ऐसा करेंगे?

†**श्री आबिद अली** : मैंने तो आगे ही यह अश्वासन दिया है कि जो दोष और कठिनाईयां उच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण आई हैं उनका परीक्षण किया जायेगा और यदि उन से हमारा मतलब हल न हुआ तो हम अधिनियम में संशोधन भी करेंगे। अन्य बातों के सम्बन्ध में निवेदन है कि हमें मद्रास सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई। जैसे कि ही किसी भी राज्य से कोई चीज प्राप्त होगी उस पर तुरन्त विचार किया जायेगा और निर्णय बता दिया जायेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने कहा है कि ऐसे मजदूर हैं जो कि कारखाना अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत नहीं आते, उनका क्या बनेगा?

†**श्री आबिद अली** : उनका भी ध्यान किया जायेगा। यह प्रयत्न किया जायेगा कि कारखाना अधिनियम उन पर लागू हो।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में बीड़ी तथा सिगार बनाने वाले कारखानों में रोजगार तथा कार्य के विनियमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३१ ; विपक्ष में ९५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह बाल विवाह रोक अधिनियम में बड़ा छोटा और महत्वपूर्ण संशोधन है। जब १९२९ में इसे पारित किया गया था तो इसे समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम कहा गया था। परन्तु कठिनाई यह रही कि इस पर ठीक ढंग से अमल नहीं किया गया। संसद् की एक महिला सदस्या ने बाल विवाह पर लिखी पुस्तक में कहा है कि समाज सुधार सम्बन्धी कानूनों की प्रायः उपेक्षा ही की जाती है। सरकार भी इसके प्रति कोई सचेत नहीं रही। इसी विचार से ही श्री हरबिलास शारदा ने लिखा था कि यह अधिनियम मृतप्रायः ही रहा है। इसके बाद इस अधिनियम में तीन बार संशोधन किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

दो बार १९३८ में और एक बार १९४५ में । कुछ उपबन्धों को परिवर्तित किया गया और वह कुछ प्रभावशाली बन गया परन्तु इस पर भी इसका कुछ विशेष प्रभाव न हुआ। न केवल ग्रामों में प्रत्युत् शहरों में भी बाल विवाह होते रहे और हमारी सरकार ने आज तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । और यह ऐसा कानून है जिसको कोई भी तोड़ सकता है । हमारी सरकार ने समाज सुधार के इस अंग की ओर कोई ध्यान न दिया । मैं चाहता हूं कि अब इस सम्बन्ध में गम्भीर पग उठाना चाहिए । और इस अधिनियम में जो परस्पर विरोधी बातें हैं उन्हें दूर किया जाय । मुझे विश्वास है कि इस संशोधन से विधेयक में जान आ जायेगी । इसलिये माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है वह उसे स्वीकार कर लें । इससे यह अधिनियम सामाजिक विधानों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा): चेयरमैन साहब, हमारे लायक दोस्त शर्मा जी ने बतलाया कि इस ऐक्ट का तीन बार संशोधन हो चुका है । मैं समझता हूं कि आज इस ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है । अब समाज में सब लोग इस बात को जान गये हैं कि हमको अब बाल विवाह करने की जरूरत नहीं है । समाज में जैसे जैसे शिक्षा दीक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समाज में बाल विवाह के प्रति अभिरुचि घटती जा रही है । मैं खुद अपना बतलाता हूं । मेरे दो लड़के कालिज में पढ़ते हैं । एक ग्रुजुएट होने जा रहा है । मैंने उन लड़कों की अभी तक शादी नहीं की है । तो समाज में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है और समाज सुधार का काम होता जा रहा है वैसे वैसे समाज में बाल विवाह की प्रवृत्ति कम होती जा रही है । हां कहीं कहीं अभी यह चीज़ है । यह चीज़ भी, जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा दीक्षा बढ़ती जायेगी और समाज सुधार होता जायेगा, दूर होती जायेगी । इसमें कोई घबराने की बात नहीं है । हमारे शर्मा जी चाहते हैं कि यह काम डंडे से किया जाये । वह चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे देनी चाहिए कि वह किसी से पूछे बगैर ही मुकदमा चला सके । आज समाज की स्थिति क्या है । मैं अपने लायक दोस्त से कहता हूं कि अगर उनको यह काम करना है तो वे गांवों में जाकर रचनात्मक काम करें और लोगों को बतलावें तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा वनिस्बत कानून के । यह ऐक्ट शारदा ऐक्ट के नाम से मशहूर है । इसको चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऐक्ट के नाम को कोई नहीं जानता । अब इस ऐक्ट का नाम काम खत्म हो चुका है । इसलिए इस ऐक्ट की अब कोई जरूरत नहीं रही है । हां कहीं कहीं यह चीज़ है तो उसके लिए यह ऐक्ट मौजूद है ।

वह कहते हैं कि इस ऐक्ट में एक जगह सेल्यूटरी प्रावीजन है और दूसरी जगह न्यूगैटरी हो जाता है। वह खुद सेल्फ कंट्रेडिक्टरी बात कहते हैं । इस ऐक्ट में धारा १२ में दिया हुआ है ये दो उपधारायें हैं । उनके बारे में स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्य तथा कारणों का विवरण) में कहा गया है कि जो आदमी लड़के के चार्ज में हो और जो विवाह का काम करे और जिसके ऊपर मुकदमा चलाना है उससे पूछ लिया जाये । पर हमारे लायक दोस्त शर्मा जी का मतलब यह है कि उससे पूछा न जाये । भला यह क्या अन्धाधुन्ध है । यह पांच सौ आदमियों की पार्लियामेंट यह कानून कैसे पास कर सकती है, जो कि सारे देश से चुन कर आयी है, कि उससे बगैर पूछे हुए ही उसे जेलखाने भेज दिया जाये । भला बतलाइये कि दुनिया में कहां कोई कानून इस तरह का अधिकार दे सकता है कि आप हमें फांसी पर लटका दें और हम से पूछना भी जरूरी न समझें और हमको सफाई का भी मौका न दें । लेकिन हमारे दोस्त शर्मा जी चाहते हैं उससे पूछा भी न जाये और उस पर मुकदमा चला दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भला बतलाइये। हम लोग जनता का वोट लेकर यहां आये हैं, इस देश का राज्य चलाना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसा कानून कैसे पास कर सकते हैं कि किसी के बगैर पूछे ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाये। हमारे दोस्त इस उपधारा २ को हटा देना चाहते हैं। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि उनको गांवों का कुछ ज्ञान है या नहीं। मैं आपको बतलाऊं कि गांवों में बहुत से झूठे मुकदमे भी चला दिये जाते हैं। गांवों की हालत यह है कि वहां पर बहुत पार्टी पालिटिक्स चलता है। अगर किसी के भतीजे की शादी होती है और अगर कोई कह दे कि यह लड़का इसके चार्ज में है तो उस पर बिना पूछे मुकदमा चला दिया जायेगा। भला बतलाइये कि यह कहां का न्याय है कि जिसने एक काम नहीं किया उस पर भी मुकदमा चला दिया जाये। हालत यह है कि इस ऐक्ट में जो सैल्यूटरी प्रावीजन है उसी को हमारे मित्र न्यूगैटरी कहते हैं। और उसको हटवाना चाहते हैं। इस ऐक्ट की धारा १२ की उपधारा २ में दिया हुआ कि मुकदमा चलाने से पहले पूछ लेना चाहिए। पूछ लेने के बाद जब यह समझा जाये कि यह बात सही है तो मुकदमा चलाया जाये। लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि इस उपधारा २ को हटा दिया जाये। इसके हटने से तो यह हो जायेगा कि जो जिसके ऊपर चाहे मुकदमा चलवा सकेगा। इस सब-सैक्शन से तो यह फायदा है कि किसी से बगैर पूछे उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाये। इसलिए जो विधेयक हमारे दोस्त ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि इसके पास होने से समाज में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी, न्याय नहीं होगा, किसी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। यह जो बिल मेरे लायक दोस्त ने पेश किया है मैं समझता हूं इस की आवश्यकता नहीं है। अब समाज में दिन दिन सब लोग इस बात को सोचने और समझने लगे हैं कि हमको बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिये अब इस तरह के बिल की जरूरत नहीं है। सब सैक्शन २ जिसको कि वह न्यूगेटरी कहते हैं वही तो सेल्यूटरी है। अगर यह नहीं होगा तो समाज में अन्धाधुंधी फैल जायेगी। रोज लोग कोर्ट में जाकर मुकदमे करेंगे और देश बरबाद हो जायेगा। धनी पर तो कोई मुकदमा नहीं चलायेगा। जैसे कि हम पार्लियामट के मेम्बर हैं। हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। होगा यह कि जो गरीब आदमी हैं, हमारे हरिजन भाई हैं, वे अगर अपने लड़के लड़की का विवाह करेंगे और अगर किसी से उनकी दुश्मनी हुई तो वह जाकर कह देगा कि इससे कानून के विरुद्ध शादी की है और उस बेचारे पर बिना उसको सफाई का मौका दिये हुए मुकदमा चला दिया जायेगा। इससे बड़ी खराबी पैदा होगी। इसी को बचाने के लिए तो यह उपधारा २ रखी गयी है।

मैं समझता हूं कि हमारे लायक दोस्त को गांवों का ज्ञान नहीं है। यह प्रोफेसर हैं, किताब इन्होंने पढ़ी हैं और लेक्चर दिये हैं, यह अलग बात है। लेकिन गांवों में क्या बात होती है उसका इनको ज्ञान नहीं है। हम लोग गांवों में रहते हैं और जानते हैं कि वहां क्या हालत है। यह उपधारा २ तो गरीब आदमी को बचाने के लिए रखी गयी है।

मैं तो समझता हूं कि अब इस कानून की मियाद पूरी हो गयी, इससे जो फायदा होना था वह हो चुका। अब बाल विवाह को रोकना है तो उसके लिए ग्राम पंचायत हैं, कम्युनिटी ब्लाक्स हैं और एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सी और चीजें हैं। अब गांवों में स्कूल कालिज खुल रहे हैं और समाज में शिक्षा बढ़ रही है। आज कोई नहीं चाहता कि अपनी लड़की किसी मूर्ख को दे। सब चाहते हैं कि हम अपनी लड़की पढ़े लिखे आदमी को दें और पढ़ा लिखा आदमी जब तक लड़का ठीक से पढ़ न जाय उसका विवाह करना नहीं चाहता। आज गांवों में यह भावना पैदा हो गयी है और हमको इस भावना को बढ़ाने में ही मदद करनी चाहिए। इसी तरह से हम इस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया का सारा काम कानून से ही नहीं चलता है।

शर्मा जी के विधेयक का मैं विरोध करता हूं क्योंकि वह चाहते हैं कि धारा १२ की उपधारा २ को हटा दिया जाये। मैं तो चाहता हूं कि इसको ऐसा ही रहने दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : बाल विवाह रोक अधिनियम के सम्बन्ध में, जो कि १९२९ में पारित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। हम इससे बाल विवाह को रोक नहीं सके। शहरों में तो यह रोग अधिक नहीं है, परन्तु ग्रामों में बाल विवाह आम तौर पर होते ही रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से ७ और ९ वर्ष के बच्चों के विवाह होते देखे हैं। ठीक कहा गया है कि केवल कानूनों द्वारा बाल विवाह जैसे सामाजिक रोग दूर नहीं किये जा सकते। इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम लोगों में शिक्षा का प्रसार करें। परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि बाल विवाह रोक अधिनियम को सख्त न किया जाये। निषेधाज्ञा से भी काम चल सकता है। परन्तु कई बार इसे व्यक्तिगत शत्रुता के आधार पर भी प्रयोग कर लिया जाता है। इसके लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि इस तरह की कोई शरारत करे तो उसे उल्टी सजा दी जाये। इससे यह लाभ होगा कि खामखां कोई शिकायत नहीं करेगा।

साथ ही बाल विवाह को हस्तक्षेप अपराध बनाया जाना चाहिए। अभी हाल ही का समाचार है कि बीकानेर में एक अवसर पर हजारों बालकों के एक साथ विवाह किये गये, परन्तु किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। इसका कारण प्रथम तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई जनचेतना नहीं। लोग इस ओर अधिक ध्यान नहीं देते। परन्तु यह एक सामाजिक रोग है, और इसे दूर करना परम आवश्यक है। इसलिए इस समस्या की ओर ध्यान देकर इसे हस्तक्षेप अपराध बनाना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देकर उसे बन्द कराने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

चाहे हम कितना आगे बढ़ जायें, हमारे मन कितने भी विकसित हो जायं, डंडे के बिना परन्तु बिना डंडे के काम नहीं चलता। मैं डंडे से समाज सुधार करने के सिद्धान्त के विरुद्ध हूं। इसके लिये तो शिक्षा का प्रचार, महिला संस्थाओं और समाज सुधार संस्थाओं को जागरूक करना होगा। इसके बावजूद सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कानून न तोड़े। निवारक नजरबन्दी से यह अधिक महत्व की चीज है।

गरीबी का प्रश्न प्राय: सामने आता है, परन्तु आने वाली सन्तान के हित में समाज सुधार के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। हमारा समाज और हमारी सारी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित है। मैं संशोधन का समर्थन करती हूं परन्तु मेरा यह भी सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए कि शरारत से शिकायत करने वाले को भी अवश्य सजा दी जाय।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद): सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने इस बिल के सम्बन्ध में जो आशंकाएं प्रकट की हैं, मुझे लगता है कि वे बिल्कुल ही आग्रहहीन हैं।

श्री दीवान चन्द शर्मा इस बिल के द्वारा उपधारा (२) को निकाल देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन का ध्यान उपधारा (३) की तरफ नहीं गया है, जो कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाई है। उपधारा (२) में कहा गया है कि पहले नोटिस देकर इंजंक्शन जारी किया जाय। मेरे विचार में उससे नुकसान होता है, जबकि इस उपधारा के हट जाने से कोई हानि नहीं होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि कि अगर कोई ग़लत इंजंक्शन किसी पार्टीबाज़ी की वजह से, या किसी दूसरे कारण से, जारी हो जाता है, तो अदालत को पहले से ही अधिकार हासिल है कि वह चाहे, तो वह उस इंजंक्शन को रद्द कर सकती है। जिस आदमी को उस गलत इंजंक्शन से नुकसान होने वाला है, वह फ़ौरन उस इंजंक्शन को हटवा सकता है मान लीजिए कि कल कोई शादी होने वाली है और किसी आदमी ने अदालत में जाकर कहा कि एक चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो अदालत फ़ौरन ही सम्बन्धित व्यक्तियों, पंडित नाई या बच्चे के गार्जिन—पर इंजंक्शन लगा देगी। अगर किसी ने ग़लत शिकायत की है और उन व्यक्तियों को यह खतरा है कि हमारी शादी बरबाद होने

†मूल अंग्रेजी में

वाली है, तो वे फ़ौरन अदालत में जाकर कह सकते हैं कि यह शिकायत पार्टीबन्दी के आधार पर की गई है, इस इंजंक्शन को फ़ौरन हटा लीजिए और उपधारा (३) के अधीन अदालत स्वयं या किसी आदमी के कहने पर इंजंक्शन को हटा सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपधारा (२) को हटा देने से किसी नुकसान का डर है, यह कतई नहीं है।

यहां पर यह कहा गया है कि गांवों में चाइल्ड मैरिज नहीं होती हैं। मैं समझता हूं कि न सिर्फ़ गांवों में बल्कि शहरों में भी चाइल्ड मैरिज होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री विभूति मिश्र जैसे लोग ऐसी बात कहते हैं। यह हो सकता है कि पार्लियामेंट के साढ़े सात सौ मेम्बरों के लड़के, लड़कियां चाइल्ड मैरिज में न दिए जायें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ साढ़े सात सौ आदमी नहीं हैं—हिन्दुस्तान में तीस लाख गांव हैं, जहां करोड़ों लोग बसते हैं। यह ऐसे लोगों का मुल्क है, जिनमें से अधिकतर पढ़े लिखे नहीं हैं। इस के अलावा हमारे यहां ऐसी प्रथायें मौजूद हैं कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी शादी तय कर दी जाती है, वचन दे दिया जाता है और साल दो साल के बाद ही शादी कर दी जाती है। इस एक्ट के अधीन अदालत को जो अधिकार प्राप्त हैं, इस उपधारा को हटा देने से उनमें जान आ सकती है। हमारे यहां शारदा एक्ट, चाइल्ड मैरीज रेस्ट्रेन्ट एक्ट आदि पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शादियां होती हैं और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अगर कोई शादी होने लगती है, तो अदालत पहले शो काज़ नोटिस जारी करती है, तहकीकात करती है और फिर इंजंक्शन जारी किया जाता है। उतनी देर में शादी हो जाती है। अगर मुकदमा चलता भी है, तो भी ज्यादा सज़ा नहीं होती है। इसलिये शादी को रोकना बहुत ज़रूरी है। शादी होने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उपधारा (२) हटा देने की अमेंडमेंट बिल्कुल मुनासिब और उचित है। उस के बिना हमारी प्रगति रुक सकती है।

बाल-विवाह होने के बाद अगर कोई लड़की छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है, तो विधवा-विवाह नहीं हो सकता है। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि जब तक वह समझदार न हो जाए, तब तक उस की शादी न हो।

इन कारणों से इस बिल का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इस से समाज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और न ही किसी के साथ अन्याय होने वाला है। जिस प्रकार के न्याय की आशंका की जा रही है, उसका निराकरण करने के लिए पहले ही से एक उपधारा मौजूद है। यह बहुत ही स्वागत करने लायक बिल है और सरकार को इसे मंजूर कर लेना चाहिए। इससे कोई खर्चा नहीं होने वाला है और न ही इससे समाज में कोई आर्थिक या दूसरा परिवर्तन होने वाला है। इससे सरकार पर कोई बोझा नहीं पड़ता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है और इस लिए इस को पास करना चाहिए।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस मामले को रोकने के लिये निषेधाज्ञा ही केवल एक रास्ता है। परन्तु मान लो किसी आपात के समय में नोटिस ही नहीं पहुंच पाता और काम हो जाता है। और साथ ही इसमें सजा तो उसको दी जायेगी जिसके बाल विवाह की व्यवस्था की है। परन्तु इससे विवाह तो भंग नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि शर्मा जी का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि निषेधाज्ञा से ही मामला हल नहीं हो सकता।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : खेद है कि मैं माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने की प्रार्थना कर रहा हूं। परन्तु मैं इस बात के लिये उनका आभारी हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान एक ऐसे दोष की ओर आकृष्ट करवाया है जो कि हमारे सामाजिक जीवन का बड़ा भारी धब्बा रहा है। और यह धब्बा अब भी बना रहना चाहता है। आशा है कि शीघ्र ही इसकी समाप्ति हो जायेगी। यदि मुझे यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

विश्वास हो जाता कि श्री शर्मा जी के इस विधेयक द्वारा सदा के लिए हमारे राष्ट्रीय जीवन की यह सामाजिक व्याधि दूर हो जायेगी, तो मैं पहला व्यक्ति होता जो कि इसका समर्थन करता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदन के दोनों पक्षों का मत इस पर व्यक्त हो गया है। सभी यह चाहते हैं कि यह बुरी सामाजिक प्रथा समाप्त हो जाये। मैंने बड़े ध्यान से उन तमाम घटनाओं को सुना है जो कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताई हैं। मुझे उससे अतीव दुःख हुआ है। तीन तीन साल के बच्चों के हजारों की संख्या में विवाह कर दिये गये। हमें पता है कि इसके क्या परिणाम होते हैं। यदि नाबालिग पति मर जाये तो इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी हजारों बालायें विधवा हो जाती हैं।

इसका वास्तविक कारण यह नहीं कि अदालतों को निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार नहीं। अदालत बिना नोटिस के भी निषेधाज्ञा जारी कर सकती है। असली दोष यह है कि उन क्षेत्रों की आम जनता ऐसे विवाहों के प्रति उदासीन रहती है। और कानून का आश्रय लेना पसन्द नहीं करती। हमारी सार्वजनिक भावना की यह अच्छी कहानी है। सामाजिक दोष केवल कानून से ही दूर नहीं हो सकते। इसके विरुद्ध जनता को विद्रोह करना होता है। इन प्रथाओं के विरुद्ध जनता की सहायता से ही कानून का आश्रय लेने के लिये अदालतों में जाया जा सकता है निस्सन्देह इसे स्थायी रूप से समाप्त करने के लिये हम पूरा साथ देंगे। सम्भवतः केवल यह ही नहीं, अन्य बुरी प्रथायें भी दूरक करने की आवश्यकता है। अवयस्क बालिकाओं को अनैतिक जीवन के लिए मजबूर कर, जबरदस्ती दहेज लेना तथा अन्य विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं जिनके विरुद्ध हमारा हृदय विद्रोह करता है। उन्हें समाप्त किया ही जाना चाहिए। शायद वह समय दूर नहीं जबकि हम बड़ी गम्भीरता से पूछेंगे कि हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन को अपवित्र करने वाली इन बुराइयों को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं।

मेरा विश्वास है कि केवल अदालतों को एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार दे भी दिये जायें, चाहे उनके परिणाम कुछ भी हों, परन्तु समस्या का हल इससे नहीं होगा। इसके लिये लोगों को शिक्षित करना होगा कि यदि वे कहीं बाल विवाह होता देखें तो उसके विरुद्ध विद्रोह करें। तुरन्त ही निकटतम अदालत से निषेधाज्ञा प्राप्त कर विवाह रुकवायें। क्या हम आज तक यह करते रहे हैं? कभी कभी शत्रुता और शरारत के आधार पर ऐसा होता रहा है। यह बात हमें स्वीकार करनी ही होगी कि यह अवस्था वास्तव में बुरी होती है। ग्राम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कि इन हजारों की संख्या में हो रहे विवाहों के विरुद्ध बोले। मैं यह जानता हूं कि राजस्थान में यह प्रायः होता है। कलकत्ते इत्यादि से लोग इन विवाहों में सम्मिलित होने के लिये जाते हैं। उन्हें इन समारोहों का बहुत पहले से पता होता है। परन्तु उनमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता जो कि निकट अदालत में जाकर इन विवाहों को रुकवा दे। मेरे विचार में अधिनियम के अन्तर्गत सजा भी बहुत मामूली सी है। इससे कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मेरा विचार है कि केवल अदालतों को इस मामले में अधिक अधिकार दे देने से ही मामला सुलझ नहीं सकता। मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के सुझाव का स्वागत करता हूं कि इसे हस्तक्षेप अपराध मान लिया जाय और जब भी इसके लिये जरूरत हो पुलिस को सूचित करके मामला हल किया जाय। परन्तु मैंने यह सभी बातें श्री शर्मा को उस समय बताई थीं जब कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना दी थी यह ऐसे मामले हैं जिस पर हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये और तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित करने में बड़ी शांति से काम लेना चाहिये। इस दोष की व्यापकता और इसके प्रति जनता की उदासीनता का भी हमें पूरे तौर पर अध्ययन करना होगा। और फिर यह पता करके कि इस के कारण क्या हैं हमें स्थिति का ठीक ढंग से मुकाबला करना होगा।

शीघ्रता से एक दो मामलों पर विधान बना लेना ठीक नहीं । श्री विभूति मिश्र ने ठीक कहा है कि हम मूल विधेयक में तीन संशोधन तो अब तक कर चुके हैं। किन्तु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे विवाह अवैध घोषित हो सकते हैं । परन्तु यह बात इन विवाहों को रोकने में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी । हमें कानून को थोड़ा सख्त करना ही होगा । और उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये जो कि देश के कानून और आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध इस प्रकार के विवाह करते हैं । यह तो आधारभूत सिद्धान्त है जिस पर हमारे समाज की नीव है । इस प्रकार की बात के लिये समुचित जांच, विचार, योजना और अच्छी विधि की आवश्यकता है । ऐसा न हो कि गैर सरकारी सदस्यों पर यह आरोप लग जाये कि उन्होंने विधान लाने में शीघ्रता की । यह श्रेय आप सरकार के लिये ही रहने दें ।

मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन और इसके द्वारा सारे देश का ध्यान इस बहुत बड़े दोष की ओर आकृष्ट करवाया है । यह दोष अभी तक है और अभी इसके और कुछ देर चलने की आशा है । विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी इस मामले पर लगभग एक सी ही विद्रोह की भावनायें व्यक्त की हैं । मैं इसे पसन्द करूंगा यदि इस प्रकार की बुरी प्रथाओं पर नियमित रूप से विचार किया जाये । इससे देश भर के लोगों को पता चलेगा कि इन बुरी प्रचलित प्रथाओं के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधियों की क्या राय है । मैंने श्री शर्मा को निमन्त्रण दिया है कि वह फिर कभी इस मामले पर चर्चा के लिये तशरीफ लायें । शायद हमें वैश्यावृत्ति, खाद्यान्न में मिलावट इत्यादि करने के सामाजिक दोषों के लिये, जिनको कि लोग कमाई का साधन बनाते हैं, सामाजिक अदालतों की व्यवस्था की जाये । ताकि ऐसा न हो कि कानून में कुछ गुंजाइश रह जाये ।

यह मामले ऐसे हैं जिन पर बड़ी गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये । हम अपने आर्थिक तथा अन्य समस्याओं की उलझनों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ऐसी आवश्यक बातों को भूल ही जाते हैं । परन्तु यह आवश्यक है कि उन्हें कभी कभी सामने लाकर उनकी निन्दा की जानी चाहिये ।

इतनी स्थिति सरकार की ओर से स्पष्ट किये जाने के पश्चात् मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे और विधेयक वापिस ले लेंगे । और इस प्रकार के विधेयक की प्रतीक्षा करेंगे जो तथ्यों के पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा । उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि इन दोषों के लिये कानून का विस्तार किस सीमा तक होना चाहिये । और इसके साथ ही अन्य समाज विरोधी बुराइयां भी उसके अन्तर्गत ले ली जायेंगी जिनको पूरी शक्ति से रोका जाना चाहिये । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य विधेयक वापिस ले लें अन्यथा हमें इसका विरोध करना होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पहले भी और अब भी यही बताया जाता है कि हम विधेयक वापिस ले लें । और सरकार इसी प्रकार का दहेज रोक विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिनमें बाल विवाह रोक सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयत्नों को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : दहेज के सम्बन्ध में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: सदन में यह आश्वासन दिया गया था ।

†**श्री अ० कु० सेन**: मैं नहीं जानता । मैंने इस समस्या की जांच की है, और इसे लागू करने में कई एक जिम्मेदारियां आ जायेंगी इस के सम्बन्ध में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री फीरोज गांधी (राय बरेली) : और इस विधेयक के सम्बन्ध में अवस्था क्या है।

†श्री अ० कु० सेन : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस समस्या को भुलाया नहीं जायेगा और जो भी कदम मुनासिब समझे जायेंगे उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु यह कब होगा, यह मैं नहीं कह सकता। इस रोग के सब अंगों का इलाज तो किया ही जाना है।

†श्री त्रि० ना० सिंह (चन्दौली) : जब भी कभी गैर सरकारी सदस्यों की ओर से कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिसे कि सब पक्षों का समर्थन प्राप्त होता है तो यह कह दिया जाता है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक ला रही है। परन्तु बाद में कुछ भी नहीं होता। हिन्दू संहिता का मामला हमारे सामने है। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिये कि तुरन्त पास किये जाने वाले आवश्यक सामाजिक विधानों के प्रति सरकार का ऐसा व्यवहार क्यों है ?

†पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : १९२९ में यह विधेयक पारित हुआ। उसके बाद इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने कोई पग नहीं उठाया। यदि विधेयक प्रस्तुत हुये तो सरकार ने उनका विरोध किया। अब इस मामले में किस व्यापक विधान की आवश्यकता है। इसमें तो श्री शर्मा केवल धारा १२ में संशोधन करना चाहते हैं। यह भी समझ में नहीं आया कि इसमें जांच की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार में सरकार को इस के पारित करने में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये।

†श्री अ० कु० सेन : खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात नहीं समझी, मेरा कहना था कि यह सिद्ध नहीं हो सका कि किसी भी मामले में अधिकार न होने के आधार पर अदालत ने एक पक्षीय निषेधाज्ञा न दी हो। आज तक विवाह भंग कराने के लिये कोई भी अदालत में नहीं गया। इसमें किसी को सफलता भी नहीं क्योंकि नोटिस आदि में समय लग जाता है। यह अदालतों के पास अधिकार न होने की बात नहीं, बात तो यह है कि लोग अदालतों में जाने से ही संकोच करते हैं। सरकार का सदस्य होने के बावजूद अदालतों द्वारा एक पक्षीय आवेदन पत्र पर निषेधाज्ञा जारी करने का मैं प्रबल विरोधी हूं। इसे लोग, विशेष कर ग्रामों में शरारत करने के लिये भी प्रयोग कर सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या आप इस बुराई का कोई उदाहरण देंगे ?

†श्री अ० कु० सेन : इस बुराई को रोक दिया गया है। सरकार को यह विश्वास हो गया है कि बाल विवाह होते रहने का कारण यह नहीं कि न्यायालय एक पक्षीय आदेश द्वारा उन्हें रोक नहीं सके वरण यह है कि न्यायालय से निषेधादेश प्राप्त करने के लिए लोग उन के पास नहीं पहुंचे। आज ही श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि ऐसे बहुत से विवाहों के विज्ञापन पत्रों में निकलते हैं यद्यपि समयाभाव की बात नहीं होती। जहां लोग न्यायालय में पहुंचे हैं वहां आदेश जारी होने में अधिक देर नहीं लगी। परन्तु लोग न्यायालय के पास जाते ही नहीं। इसका उपचार कुछ और ही है। केवल इस धारा के संशोधन से बाल विवाह नहीं रुक सकता अतः कुछ और साधनों की आवश्यकता है।

अतः हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसका अभिप्रायः किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाकर प्रतिज्ञान दे कर विवाह रोकने का अधिकार मिल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आज मुझे तीन कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। एक तो यह कि मैं एक गैर सरकारी सदस्य हूं दूसरे दुर्भाग्यवश मैं ने एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है और तीसरे वह विधेयक सामाजिक समस्या के उपेक्षित विषय से सम्बन्धित है।

तो भी जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। श्री विभूति मिश्र तो अपनी निजी बातों का ही अधिक बखान करते रहे। इस विधेयक का सम्बन्ध ग्राम और नगर के मुकाबले से नहीं है। जब तक एक व्यापक विधान नहीं बनाया जाता तब तक वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने में क्या हर्ज है ? सभी सदस्यों ने विधेयक का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण किया है और उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। माननीय मंत्री ने मुझे बातचीत में कहा था कि वे ऐसा विधेयक बनाने में मेरी सहायता करेंगे जिसे सरकार मंजूर कर सकेगी। अतः मैं अगले सत्र में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ३५ ; विपक्ष में ७०।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक

†**श्री कोडियान** (क्विलोन——रक्षित——अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समस्त औद्योगिक कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी की एक रूप प्रणाली निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है विभिन्न राज्यों, विभिन्न उद्योगों और विभिन्न कारखानों में राष्ट्रीय तथा त्यौहार सम्बंधी भिन्न भिन्न छुट्टियां दी जाती हैं। कहीं राष्ट्रीय छुट्टियां दी जाती हैं तो कहीं केवल त्यौहार सम्बंधी छुट्टियां दी जाती हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इस सम्बंध में कोई एक रूपता नहीं रखी गई।

अतः न केवल अपने गाढ़े पसीने से देश का निर्माण करने वाले श्रमिकों को अधिक सुविधाएं देने अथवा सामाजिक दृष्टि से ही वरन् इस दृष्टि से भी कि श्रमिकों और नियोजकों के सम्बंध अच्छे हों, इन छुट्टियों में एक रूपता लाना आवश्यक है।

इस विधेयक में १० अखिल भारतीय राष्ट्रीय छुट्टियां अधिसूचित की गई हैं जो कि नव वर्ष दिवस, गण तंत्र दिवस, मई दिवस, महा शिव रात्री आदि है। श्रमिकों के लिए मई दिवस का बहुत अधिक महत्व है क्यों कि उस दिन श्रमिकों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुआ था। परन्तु खेद की बात तो यह है कि यह छुट्टी सरकारी कारखानों में भी नहीं दी जाती। केरल सरकार ने यह छुट्टी घोषित कर दी है जिस पर श्रमिक बहुत प्रसन्न हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

राष्ट्रीय छुट्टियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी छुट्टियां भी हैं जिन का सम्बंध किसी प्रदेश, धर्म या वर्ग के त्यौहारों से है। केरल में एक प्रदेशव्यापी त्यौहार मनाया जाता है जिसे ओलाम का त्यौहार कहते हैं। इस का संबंध महाबली राजा की पौराणिक कथा से है। लोगों की धारणा है कि वह दानी राजा जिस से भगवान विष्णु ने सारी भूमि दान में ले ली थी, प्रति वर्ष अपने प्रदेश और लोगों को देखने आता है। इसी प्रकार तामिल लोगों का पोंगल त्यौहार, उत्तर भारत में होली और बंगाल में काली पूजा के त्यौहार हैं। अतः यह न्याय की मांग है कि जब ऐसे त्यौहारों में सब लोग हर्षोत्सव मना रहे हों तो श्रमिकों को भी उस में भाग लेने का अवसर दिया जाए।

मैं समझता हूं कि सरकार भी इस विधान के महत्व को मानती है और इसी कारण इस सम्बंध में एक समिति भी नियुक्त की है। यदि उस समिति ने कुछ काम किया है तो उसकी सिफारिशें क्या हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकंद पुरम): श्री दो० चं० शर्मा के अत्यंत दोषरहित विधेयक की हालत देख कर ऐसा अनुभव होता है कि अभी माननीय मंत्री कह देंगे कि वे इस विधेयक का भी विरोध करते हैं। परन्तु मैं सरकार को इतना बता देना चाहता हूं कि कतिपय श्रेणियों के श्रमिकों से बहुत अन्याय हो रहा है।

सरकारी उद्योग क्षेत्र में ही जहां कुछ स्थायी श्रमिकों को कतिपय छुट्टियां दी जाती हैं वहां निर्माण कार्य करने वाले लाखों श्रमिकों को न तो छुट्टी दी जाती है और न काम करने दिया जाता है।

उदाहरणतः कोचीन बन्दरगाह के १५०० स्थायी श्रमिकों को कतिपय छुट्टियां दी जाती हैं जब कि वहां के निर्माण कार्य में लगे ५००० श्रमिकों को न तो छुट्टी ही दी जाती है और न ही काम करने दिया जाता है।

निश्चय ही सरकार यह तर्क देगी कि इस गैर सरकारी विधेयक को स्वीकार करने से तो सरकार को इसी वर्ष के आय–व्ययक में अतिरिक्त कम करना पड़ेगा। परन्तु सरकार ने भी तो इस की आवश्यकता अनुभव की थी और एक समिति भी नियुक्त की थी। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे बताएं कि समिति ने क्या सिफारिशें की हैं। छुट्टियों के संबंध में सरकारी उद्योग क्षेत्र में और गैर-सरकारी उद्योग में भी इतनी अधिक असमानता है कि लोग इस से बहुत असंतुष्ट हैं। बहुत से औद्योगिक विवाद भी इस कारण हुए हैं। अतः विधेयक में उपबंध किया गया है कि श्रमिकों को न्यूनतम १५ छुट्टियां दी जाएं जिन में से सात राष्ट्रीय छुट्टियों का उल्लेख किया गया है और शेष आठ विविध विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय त्यौहारों के लिए छोड़ दी गई हैं।

यदि छुट्टियों सम्बंधी असमानता की त्रुटि को दूर न किया गया तो इस से जो औद्योगिक विवाद होंगे उन के फल-स्वरूप छुट्टियों से भी अधिक काम के घंटों की हानि होगी। यदि सरकार विधेयक के आय–व्ययक पर प्रभाव के कारण अथवा इस कारण यह गैर-सरकारी विधेयक है इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो कम से कम इस अन्याय को दूर करने के लिए एक

---

†मूल अंग्रेजी में

संविहित नियम ही बनाना चाहिये । निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों को यदि सवतन छुट्टी नहीं दी जाती तो उन्हें उस दिन काम करने देना चाहिये ताकि वे वेतन से वंचित न रहें।

सरकार-गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की देशभक्ति की बहुत प्रशंसा करती है परन्तु मंत्री की अपील पर और अनेक परिचालन पत्र निकालने पर भी उस क्षेत्र के ९५ प्रतिशत नियोजकों ने मई दिवस की छुट्टी देने से इन्कार कर दिया है। अत: सरकार को यह सबक सीखना चाहिये कि ये लोग बिना किसी कानून के रास्ते पर नहीं आऐंगे । इस लिए सरकार से मेरी अपील है कि यदि वे विधेयक को न स्वीकार करें तो भी श्रमिकों के लिए निश्चित छुट्टियों का कोई उपबंध करें।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : सभापति महोदय, यह जो बिल इस सदन के सामने माननीय सदस्य श्री कोडियान लाये है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं ।

यह ठीक है कि जहां तक इस बिल का मकसद है और जहां तक इसका सम्बन्ध प्राइवेट सैक्टर से है मैं यह जरूर चाहूंगा कि नेशनल जो हमारी चीजें हैं खास कर २६ जनवरी और १५ अगस्त , इन दो दिनों को प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र) के लोगों को बराबर मान्यता देनी चाहिए और जो उन के वहां पर कर्मचारी काम करते हैं उनको बराबर इन दोनों दिनों की वेजज (मजूरी) देनी चाहिये । लेकिन हमारे माननीय सदस्य जो यह युनिफार्म सिस्टम आफ नेशनल फेस्टिवल पेड होलिडेज (राष्ट्रीय तथा त्यौहार सवेतन छुट्टियां) की व्यवस्था चाहते हैं तो मैं अपने उन मित्रों से अदब के साथ कहना चाहूंगा कि यह युनिफार्म सिस्टम (एक रूप प्रणाली) सन् १९५७ में जिस जमाने में हम चल रहे हैं , उसमें शायद यह लागू नहीं कर सकेंगे । उसके बहुत से कारण हैं और बहुत सी दिक्कतें आपके प्राइवेट सैक्टर को और पबलिक सैक्टर (सरकारी उद्योग क्षेत्र) के लोगों की हैं और उन सारी चीजों को अपने सामने रख कर इस चीज को देखना चाहिये कि आया हम उसको कर सकते हैं या नहीं । मैं समझता हूं कि यदि ठंडे दिमाग से हमारे मित्र बैठकर इस पर विचार करेंगे तो जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी तो, फिलहाल नहीं, लेकिन आगे चल कर अनुकूल परिस्थितियों में हम इस पर फिर गौर कर सकते हैं, वे भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे और हम तब उस पर विचार कर सकते हैं और जरूर विचार करेंगे ।

आप यदि गवर्नमेंट आफ इंडिया की हालिडेज को देखेंगे तो आप पायेंगे कि वहां पर शायद कुल २२ या २४ हालिडेज होती हैं । इसके साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंटस की छुट्टियां अलग हैं और हमारी छुट्टियां अलग हैं । यह दोनो छुट्टियां मिला कर बहुत ज्यादा हो जाती हैं । इस लिए मेरी अर्ज है कि इन दोनों छुट्टियों को मिलाने के बाद, जैसा कि उन्होंने बिल में कहा है राष्ट्रीय तथा त्यौहार की हालिडेज के रोज बराबर तन्ख्वाह दी जायें ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

आधे घंटे की चर्चा

खाद्यान्नों पर अग्रिम धन

†**श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व)** : **मैं सभा और देश का ध्यान अनाज की सट्टेबाजी से देश को बचाने में सरकार की असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

अनाज की अत्याधिक सट्टेबाजी के कारण अनाज के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । इस सट्टे-बाजी में बैंकों के अग्रिम धन का प्रयोग किया गया है । इसी कारण गत वर्ष अनाज के लिये अग्रिम धन की राशियां कम करने का आदेश दिया गया था। परन्तु इस आदेश का उल्लंघन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो अग्रिम धन को अनाज की अपेक्षा अन्य शीर्षकों के अधीन दिखा कर और दूसरे व्यापारियों द्वारा अन्य वस्तुओं के लिये अग्रिम धन ले कर उसे अनाज के सट्टे में लगाने से। इसी कारण मैंने १३ नवम्बर, को एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिस का उत्तर देते हुये वित्त मंत्री ने कहा था कि इस समस्या को हल करने में वर्षों लगेंगे। परन्तु १३ अगस्त को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि यह काम शीघ्र ही हो जायेगा। मैं तो समझता था कि १३ अगस्त से १३ नवम्बर, तक कुछ प्रगति होगी परन्तु अब तो वर्षों की बात कह दी गई है । इसके अतिरिक्त वित्त उपमंत्री ने १३ नवम्बर के मुख्य प्रश्न का यह उत्तर दिया था कि ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि उद्योग के लिये लिया गया अग्रिम धन अनाज के सट्टे के लिये प्रयोग किया गया है अतः उसे रोकने की व्यवस्था का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इन परस्पर विरोधपूर्ण बातों से यही प्रतीत होता है कि उपमंत्री का उत्तर ठीक होगा परन्तु हम ऐसी व्यवस्था के लिये वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

इस वर्ष खाद्यान्न की स्थिति बहुत गंभीर है । सामान्य काल में भी मूल्य बढ़ रहे हैं और आशा है कि सट्टे बाजी से मूल्य और भी बढ़ेंगे। सट्टेबाज निठले नहीं बैठेंगे और बैंक भी इस से लाभ उठायेंगे। अतः स्थिति को सुधारने के लिये अग्रिम धन के दुरुपयोग को रोकने की कोई व्यवस्था शीघ्र ही करनी चाहिये ।

सरकार का यह तर्क है कि उन के पास ऐसे दुरुपयोग का प्रमाण नहीं है। वस्तुतः ऐसी बातों के प्रमाण की आवश्कता नहीं होती वरन् मानव स्वभाव के आधार पर आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये। बंगाल के दुर्भिक्ष और अन्नाभाव के अन्य समयों के उदाहरण हमारे सामने हैं और हम जानते हैं कि ऐसे अवसर पर सट्टेबाज कैसे फायदा उठाते हैं। अतः हमें देखना चाहिये कि अग्रिम धन के दुरुपयोग के सभी साधनों को रोकने के लिये हम क्या उपबन्ध बना सकते हैं । यदि इसे रोकने का कोई साधन न हो तो बड़े बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत ही कर देना चाहिये ताकि यह दुरुपयोग न्यूनतम हो अन्यथा सरकार बताये कि वह किस नीति से यह समस्या हल करेगी ।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय मित्र ने इस चर्चा का आधार बता दिया है और वह आधार दो प्रश्न हैं जो उसने अग्रिम धन के बारे में पूछे थे।

उन्होंने मेरे साथी द्वारा पढ़ कर सुनाये लिखित उत्तर और एक अनुपूरक प्रश्न के मौखिक उत्तर में अन्तर बताया है। मैं यह बता कर उन का संदेह दूर करना चाहता हूं कि प्रश्न के लिखित उत्तर मैंने ही तैयार किये थे और उस के लिये मैं ही उत्तरदायी हूं। अतः उन्हें इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिये क्योंकि वे उत्तर मेरे ही हैं।

उन्होंने जो आधार लिया है वह बहुत दुर्बल है और उस से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । यह मांग अच्छी है या बुरी इस का निर्णय तो सभा करेगी परन्तु इस मांग का सम्बन्ध प्रश्नों के उत्तर से मिलाना बहुत चतुरता का काम है और मैं इस चतुराई के प्रदर्शन का श्रेय अपने मित्र को देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंकड़ों के प्रश्न को लेने से पूर्व मैं सभा को यह अनुभव कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हम जानते हैं—मैं तो भली प्रकार नहीं जानता—कि अनाज के लिये वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रयोजनों का प्रयोग प्रायः अनाज सम्बन्धी वित्तीय सहायता के रूप में किया जाता है। मैं तो इस प्रकार का वक्तव्य देने का साहस नहीं कर सकता। यह संभव है कि जो व्यक्ति पटसन, कपास और खली का व्यापार करता है वह कपास के लिये अग्रिम धन ले कर एक प्रयोजन के स्थान पर उस का प्रयोग दूसरे प्रयोजन के लिये कर सकता और माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि जो व्यापारी अनाज के लिये अग्रिम धन ले वह कपास आदि में न लगाये। यह व्यवस्था स्वभावतः ऋण देने वालों बैंकों के द्वारा ही होगी जो अभी बहुत संख्या में गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। रक्षित बैंक इस की जानकारी बैंकों से लेता है और जब वह देखता है कि कोई बैंक अधिक व्यापार कर रहा है और सहयोग नहीं दे रहा तो वह स्थिति को जानने के लिये निरीक्षक भेजता है। परन्तु मेरे लिये सभा में कभी भी यह कहना कि किसी समय हमें ऐसी बातों का पूरा पता लग जायेगा संभवतः गलत बात होगी। इस प्रकार पूर्ण आंकड़े जानने में तो कुछ वर्ष लग जायेंगे। मैं निस्संदेह अपने इस उत्तर को दुहरा सकता हूं। सम्भवतः यह प्रश्न बैंकिंग विधि के संशोधन का हो सम्भवतः बैंकों से कभी कभी और शीघ्र ही जानकारी लेने का ही प्रश्न हो।

होता यह है कि हमें २० अनुसूचित बैंकों से १५ नवम्बर, को कोई जानकारी मिलती है और संभवतः शेष एक मास पुरानी जानकारी के आधार पर औसत निकाल कर हम सारी स्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं। अतः मुझे जब यह जानकारी मिली तो यह १५ दिन पहले की थी और अगले सप्ताह नई जानकारी मिलने तक हमारे पास यही जानकारी रहेगी। अतः मेरे लिये यह कहना कि किसी समय इन अग्रिम धनों का प्रयोग ठीक उन्हीं प्रयोजनों के लिये हुआ है जिन के लिये वे किये गये थे, गलत ही होगा। संभवतः मेरा कोई उत्तराधिकारी इस बात को निश्चित रूप से कह सके, परन्तु मैं इसे असम्भव ही समझता हूं। केवल इतना कहा जा सकता है कि व्यापार का रवैया ऐसा है।

मैं ने उन के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। पहले प्रश्न में मेरे लिये यह जानना बहुत कठिन है कि कोई परिवर्तन किया गया है दूसरे यह कहना कठिन है कि व्यवस्था की गई है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था करने में वर्ष लगेंगे। मैं अपने माननीय मित्र को यह बता सकता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देने पर भी किसी समय निश्चित जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि ये बैंक देश के विभिन्न भागों में हैं। हमें तो कतिपय सामान्य जानकारी के आधार पर ही काम करना पड़ता है जिस से आप कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आप इसे एक प्रकार का नमूना सर्वेक्षण कह सकते हैं।

सभा अनाजों पर अग्रिम धन की स्थिति जानना चाहेगी। गत जून में बैंकों के ५१७ लाख मन अनाज के लिये अग्रिम धन दे रखा था। निदेश और चेतावनियां जारी करने और सामान्य रूप से अग्रिम धन वापस आने के कारण वह राशि १३१ लाख मन रह गई थी जिस में चावल और धान ३६ लाख मन थे जब कि गत वर्ष इसी समय अग्रिम धन का अनाज १६९ लाख मन था जिस में ५१ लाख मन चावल था।

इस वर्ष नवम्बर के तीसरे सप्ताह के अन्त की कुछ और जानकारी मुझे मिली है। ११४ लाख मन अनाज के बदले में पेशगियां दी गई हैं जिस के फलस्वरूप चावल और धान की पेशगियां ३६ लाख से बढ़ कर लगभग ४१ मन हो गई है क्योंकि नई फसल आ रही है। नवम्बर, १९५६ में १६२ लाख मन की पेशगियां दी गई थीं। अतः स्थिति सम्बन्धी तथ्यों से पता लगता है कि

[श्री ति० ति० कृष्णमाचारी]

गत वर्ष की अपेक्षा स्थिति में सुधार ही हुआ है। मैं समझता हूं कि इस स्थिति के श्रेय की अधिकारी सम्बन्धित संस्थायें हैं ।

खाद्यान्न जांच समिति ने इस बात को पहचानते हुये प्रतिवेदन में कहा है कि अनाज के मूल्यों में हाल ही में जो कुछ कमी हुई उस का महत्वपूर्ण कारण जुलाई १९५७ के आरम्भ से भारत रक्षित बैंक द्वारा लागू की गई नीति है। अनाज की तथा अन्य प्रयोजनों की पेशगियों की स्थिति भी तुलनात्मक दृष्टि से संतोषजनक है ।

मेरे पास १५ नवम्बर तक के लिये समाचार देने वाले बैंकों का विवरण है जिसमें पेशगियों की व्याप्ति तथा इन बैंकों द्वारा क्रय किये गये और भुनाये गये बिल दिये गये हैं जिन में २.८६ करोड़ रुपये की कमी हो गई है। २५ अक्तूबर १९५७ को पेशगियां ७०२.६१ करोड़ रुपये की थी जिन में २२.१९ करोड़ रुपये की कमी हो गई और १५ नवम्बर को पेशगियां ६८०.४२ करोड़ की रह गईं। अनाज सहित अन्य वस्तुओं की पेशगियों में भी कमी हुई है ।

मूल्यों में कमी निरंतर हो रही है और यह भारत के रक्षित बैंक के प्रयत्न स्वरूप है। अब भारत का रक्षित बैंक यह समझता है कि कुछ बैंकों अन्य फसलों के लिये अग्रिम धन दे रहे हैं तो वे उन बैंकों को प्रश्नावली भेजते हैं और उन का विचार है कि जो लोग कपास पटसन या खली का व्यापार करते हैं वे खाद्यान्न का व्यापार नहीं करते और इस कारण बहुत बड़े पैमाने पर अन्य फसलों की पेशगियों को अनाज में लगाने की गुंजाइश नहीं होती। वस्तुतः जैसा मैं ने बताया है अनाज की पेशगियों के साथ ही अन्य वस्तुओं की पेशगियों में भी कमी हुई है।

जो साधारण पेशगियां कुछ बढ़ी भी हैं उन की स्थिति का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया जा रहा है। भारत का रक्षित बैंक उन पेशगियों के बारे में भी ब्योरा मांग रहा है ताकि न केवल अनाज वरन् अन्य वस्तुओं के सट्टे का भी पता लगे और उसे काफी हद तक रोका जा सके ।

परन्तु यह सच है कि उद्योग क्षेत्र को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक धन की आवश्यकता है और अग्रिम धन में कमी का जो उल्लेख किया गया उस से उद्योग क्षेत्र पर कुछ दबाव ही पड़ा है। उन्होंने मुझे यह भी विश्वास दिलाया है कि पूंजीभूत बाजार योजना के अग्रिम धन में भी अनाज के लिये कोई अग्रिम धन नहीं है ।

सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि हमें पेशगियां कम करने के लिए कहा गया था और हम ने उसे किया तथा कुछ मामलों में देर भी लगाई परन्तु अन्त में सभी बैंकों ने इस नीति को अपना लिया। उन्हें यह भी पता लगा कि एक बैंक के ग्यारह कार्यालयों में यदि रक्षित बैंक द्वारा निश्चित प्रतिशत अभ्यंश रखने के लिए अनाज की लगभग २० लाख रुपये की पेशगियां लौटाई जानी थीं तो उसके लिए देशी बैंकरों, महाजनों और अन्य व्यक्तियों से ऋण लिया गया था। अतः मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के इस सुझाव से कि बैंकों का विनियमन हो स्थिति काबू में नहीं आ सकती। यदि बैंकों की पेशगियां कम कर देने पर भी अनाज की सट्टेबाजी हो रही है, और संभवतः एक दो स्थानों पर हो भी रही है---जिन का मुझे ज्ञान है---तो इस का कारण यह है कि ऐसे बहुत से अभिकरण हैं और किसानों में अनाज जमा रखने की क्षमता है। जैसा मैं ने बताया है इस प्रयोग से यह पता लग गया है कि बैंकों के अतिरिक्त साधनों का भी इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है ।

अतः यह देखना है कि हम इस व्यवस्था का नियंत्रण कहां तक कर सकते हैं, क्या बैंकिंग उद्योग अधिनियम से इसका नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि केन्द्र के अधीन केवल बैंकिंग संस्थाएं हैं और ऋण देना एक राज्य विषय है अतः इस पर अधिक विचार की आवश्यकता है। यदि हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए सारी मुद्रा व्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो बैंकों को हाथ में लेना या उसके लिए संविधान में संशोधन करना उचित नहीं।

अतः मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतिबंधों का परिणाम निकल रहा है। पेशगियों में अतिशीघ्र कमी हुई है। इससे बाज़ार भी कुछ स्थिर हुआ है।

माननीय सदस्यों ने शनिवार के समाचार पत्रों में यह सूचना देखी होगी कि सरकार ३० करोड़ रुपये का ऋण ले रही है और उसका विचार ३ १/४ प्रतिशत दर से पांच वर्ष तक अर्थात् १९६२ में लौटाए जाने वाले ऋण के रूप में यह राशि लेने का विचार है। ऐसा इस विचार से किया गया है कि थोड़े समय के लिए ३ १/४ प्रतिशत दर के थोड़े ब्याज पर प्रतिभूति के रूप में विनियोजकों से और विनियोजक संस्थाओं से कुछ राशि ली जा सकती है। रक्षित बैंक को ३० करोड़ रुपया ऋण लेने का प्राधिकार दिया गया और सोमवार को मुझे बताया गया कि २/३ ऋण ले लिया गया है और ऐसा लगता है कि यह आशा से कुछ अधिक है।

इन कारणों से यह स्पष्ट है कि मुद्रा की स्थिति नियंत्रणाधीन है। परन्तु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। यदि श्री सोमानी यहां बोलते तो वे कहते कि उद्योगपतियों को पैसा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने या तो उद्योग के विस्तार अथवा अन्य उद्योग में अथवा अन्य समवाय खरीदने में सारा धन लगा दिया है अतः उन के पास पैसा नहीं रहा। अतः एक और एक उद्योगपति के पास पैसा नहीं और उसे अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है और कुछ संस्थाओं के लिए बाज़ार का समन्याय बहुत कठिन नहीं होता। परन्तु कुछ उद्योगपतियों को उस बाज़ार से पैसा नहीं मिलता जब कि मुद्रा स्थिति अधिक सुगम है।

परन्तु जहां तक देश की वित्त व्यवस्था के प्रभारी मेरे जैसे व्यक्ति का सम्बन्ध है, मैं तो खाद्यान्न का मूल्य बढ़ने और मुद्रा स्थिति की अस्थिरता को उस की अपेक्षा अधिक अच्छा समझूंगा क्योंकि वह सर्वथा समाज विरोधी बात है। इससे स्थिति पर नियंत्रण का भी बोध होता है।

इन विषयों में अभिरुचि रखने वाले अपने मित्र को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें मेरे द्वारा संतोषजनक उत्तर न दे सकने की जो उन्होंने निंदा की है मैं उसका विरोध नहीं करता। मुझे हर्ष है कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया परन्तु मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि संतोषजनक सदा कार्यान्वित होने वाले नहीं होते। स्थिति कठिन अवश्य है परन्तु हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम निकला है। एक मास पूर्व की अत्यधिक गंभीर स्थिति में काफी अन्तर आ गया है और मैं आशा करता हूं कि कुछ और समय बीतने पर स्थिति और भी सुगम हो जायेगी। उस समय हम उद्योग की सहायता का भी कोई मार्ग निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि यह परिवर्तन हो और जब तक नियंत्रण ढीला करने का समय आये हम अधिक दृढ़ रहें।

मैं माननीय मित्र को बता दूं कि हम अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किये बिना भी व्यवस्था के लिए भरसक प्रयत्न कर सकते हैं, परन्तु हम—कम से कम मैं—यह नहीं कह सकते कि "निश्चित स्थिति यह है और सब ठीक है।" मैं तो केवल व्यापार की गतिविधि बता सकता हूं और अभी और कुछ समय तक हम इससे अधिक नहीं कर सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

(दैनिक संक्षेपिका)

[शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	.	१९५७-८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४६	खाद्यान्नों की वसूली .	१९५७-५८
८४७	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी	१९५९-६०
८४८	ट्रंक टेलीफोन सम्बन्धी नीति	१९६०
८४९	राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड .	१९६१-६२
८५०	इस्पात ढलाई घर, चित्तरंजन . . .	१९६२
८५१	खाद्य उत्पादन	१९६३—६५
८५२	नगरीय जल-संभरण और सफाई योजनायें . .	१९६५—६७
८५३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के वितरण की योजनायें	१९६७-६८
८५५	बिजली से रेलें चलाना . . .	१९६९
८५६	सूखी गोदी का निर्माण . . .	१९६९-७०
८५७	भारतीय नौवहन	१९७०—७२
८५८	पक्षियों पर रेडियो-सक्रियता का प्रभाव . .	१९७२-७३
८५९	चीनी	१९७३-७४
८६०	डाक विभाग की बीमा पालिसियां . .	१९७४-७५
८६१	ग्रामीण ऋण	१९७५—७७
८६४	हिमाचल प्रदेश में वनों के ठेकों के लिये टेंडर .	१९७७
८६६	जड़ी बूटियां	१९७८-७९
८६७	पंजाब में नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव . . .	१९७९
८६८	गाड़ी का रुका रहना	१९८०
८७०	नागार्जुन सागर परियोजना .	१९८१-८२
८७१	दिल्ली में रेड क्रास सम्मेलन . . .	१९८२
८७४	मीन क्षेत्र सम्बन्धी सम्मेलन . .	१९८२-८३
८७५	आंध्र प्रदेश में कृष्ण बांध	१९८३-८४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	बम्बई नगर को चावल का संभरण . .	१९८४-८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९८५–२०३३
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८५४	बनाये जाने वाले जहाजों के नक्शे	१९८५–८६
८६२	भारतीय नाविक	१९८६
८६३	दक्षिण रेलवे में इंजन परिचालक-वर्ग	१९८६–८७
८६५	रेंड़ बांध परियोजना	१९८७
८६९	चिलका मीन क्षेत्र	१९८७–८८
८७२	पदों की क्रमोन्नति	१९८८
८७३	सांताक्रुज हवाई अड्डा	१९८८–८९
८७६	पूना-बंगलौर लाइन	१९८९
८७७	रेलवे दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर	१९८९
८७८	उड़ीसा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	१९८९–९०
८७९	रात्रि विमान डाक सेवा	१९९०
८८०	पंजाब में सड़कें	१९९०
८८१	दिल्ली में पानी का सम्भरण और मल-निस्सारण	१९९०–९१
८८२	धनुषकोटि अवतरणी	१९९१
८८३	डाक तथा तार विभाग के भवन	१९९१
८८४	गण्डक परियोजना	१९९२
८८५	रूरकेला परियोजना और विशाखपत्तनम् के बीच रेल की लाइन	१९९२
८८६	तलकर्षिणी का क्रय	१९९२
८८७	सड़क निर्माण	१९९३
८८८	परियोजना सम्बन्धी कार्यों में सीमेंट का प्रयोग	१९९३
८८९	रेलवे सुरक्षा बल	१९९३–९४
८९०	रेल की पटरियों की कीमत	१९९४
८९१	दिल्ली में बिजली की खपत	१९९४–९५
८९२	रेलवे की द्वितीय पंच वर्षीय योजना	१९९५
८९३	डमडम में विमान दुर्घटना की जांच	१९९५–९६
८९४	दिल्ली में छल-कपट की घटनायें	१९९६
८९५	बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन	१९९६
८९६	हिमाचल प्रदेश का वन विभाग	१९९६–९७
८९७	अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन	१९९७
८९८	पत्तनों में तलकर्षण	१९९७–९८
८९९	अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ	१९९८
४४२	मैसूर राज्य में क्यासानूर वन रोग	१९९८
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२११	स्टेशन मास्टर	१९९८–९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२१२	इम्फाल की गैर सरकारी सार्थों को बिजली का सम्भरण	१९९९
१२१३	इम्फाल में बिजली का सम्भरण .	१९९९–२०००
१२१४	मनीपुर के नगरों और गांवों में बिजली लगाना	२०००
१२१५	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	२०००-०१
१२१६	यात्रियों को सुविधायें	२००१
१२१७	ग्वालियर रेलवे स्टेशन	२००१–०२
१२१८	यात्रियों को सुविधाएं	२००२
१२१९	यात्रियों को सुविधाएं .	२००२
१२२०	आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय गोदाम .	२००३
१२२१	भ्रष्टाचार निरोधक संगठन	२००३
१२२२	राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि	२००३–०४
१२२३	वनस्पति .	२००४
१२२४	त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण	२००४–०५
१२२५	भोजन यान	२००५–०६
१२२६	तारों का भेजना . . .	२००६
१२२७	रेलवे में वाणिज्य-लिपिक (कमर्शल क्लर्क)	२००६
१२२९	करजात में पानी की सप्लाई	२००७
१२३०	ग्वार	२००७
१२३१	उड़ीसा में बुरला (हीराकुड) में मेडिकल कालेज	२००८
१२३२	खाद्यान्नों के बीज	२००८
१२३३	कुएं .	२००८
१२३४	गेहूं के बीज . . .	२००८–०९
१२३५	अंतर्राष्ट्रीय फार्म युवक विनिमय कार्यक्रम	२००९
१२३६	विदेशों से खरीदा गया सामान . . .	२००९
१२३७	समुद्र को तेल से दूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय	२००९–१०
१२३८	डी० टी० एस० बसों के किराये का पुनरीक्षण . .	२०१०
१२३९	भाखड़ा नंगल म विदेशी पर्यटक . . .	२०१०
१२४०	रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . . .	२०१०–११
१२४१	उर्वरक	२०११–१२
१२४२	केरल में लाल वर्षा	२०१२
१२४३	उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास . . .	२०१२–१३
१२४४	खाद्यान्न	२०१३–१४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१२४५	रेलवे स्टेशनों पर चोरियां	२०१४
१२४६	डा० हानसेन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में नियुक्ति	२०१४–१५
१२४७	बम्बई के केन्द्रीय तार घर में पुश बटन तार मशीन	२०१५
१२४८	कुन्नूर में स्टेशन खोलना	२०१५–१६
१२४९	नरज और टिकरपाड़ा परियोजनाएं	२०१६
१२५०	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये प्रविधिक कर्मचारी	२०१६
१२५१	रायगढ़ में रेलवे स्कूल	२०१६–१७
१२५२	खाद्यान्नों का आयात	२०१७
१२५३	आवास के लिये बस्तियों का विकास	२०१७
१२५४	हिमाचल प्रदेश में परिवहन की समस्या	२०१७
१२५५	टेलीग्राफ तार की चोरी	२०१८
१२५६	सेमरिया घाट दुर्घटना	२०१८
१२५७	रत्नागिरि, बम्बई राज्य, में आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र	२०१८–१९
१२५८	गोल्डन राक रेलवे वर्कशाप	२०१९
१२५९	चीरा	२०१९
१२६०	आन्ध्र प्रदेश से चावल की प्राप्ति	२०१९–२०
१२६१	कर्मचारियों की सेवा वृद्धि	२०२०
१२६२	मकई तथा धान के डण्ठलों में भोज्य तत्व	२०२०
१२६३	फीरोजपुर-दिल्ली के बीच गाड़ी	२०२०–२१
१२६४	रेल के सवारी-डिब्बे	२०२१
१२६५	सुवर्ण रेखा नदी पर जमसोला पुल	२०२१–२२
१२६६	टेलीफोन आपरेटर्स	२०२२
१२६७	अहमदाबाद स्टेशन यार्ड को नवीन ढंग से बनाना	२०२२–२३
१२६८	जम्मू में केन्द्रीय यंत्रसज्जित फार्म	२०२३
१२६९	नगर निरीक्षकों की परीक्षायें	२०२३
१२७०	ट्रेन दुर्घटना	२०२३—२५
१२७१	डींगराघाट पर पुल	२०२५
१२७२	उदयपुर में 'ट्रेनर' वायुयान का विवश अवतरण	२०२५–२६
१२७३	कोंकन के तट पर चक्रवात	२०२६
१२७४	उदयपुर में हवाई अड्डा	२०२६
१२७५	उड़ीसा में गन्ने की फसल	२०२६–२७
१२७६	रेलवे कर्मचारी संघ का एकता सम्मेलन	२०२७
१२७७	बुस्ता में डाकघर भवन	२०२७–२८
१२७८	ऊन विस्तार केन्द्र	२०२८
१२७९	जम्मू और काश्मीर में पर्यटन	२०२८
१२८०	गैर-विभागीय टेलीफोन आपरेटर	२०२८
१२८१	गुरुहरसहाय में टेलीफोन एक्सचेंज	२०२८–२९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२८२	फीरोजपुर की ट्रंक टेलीफोन लाइन . . .	२०२९
१२८३	पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . .	२०२९
१२८४	डाक घर बचत लेखा .	२०२९
१२८५	यात्री सुविधायें . .	२०३०
१२८६	गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ . .	२०३०
१२८७	अधिक अन्न उपजाओ योजनायें . .	२०३०–३१
१२८८	पश्चिमी बंगाल में उचित मूल्य वाली दुकानें	२०३१
१२८९	गन्ना . . .	२०३१
१२९०	बरेली-मेरठ राष्ट्रीय राजपथ	२०३१–३२
१२९१	जंजीर खींच कर गाड़ी रोकना और बिना टिकट सफर .	२०३२–३३
१२९२	दिल्ली में डिप्थीरिया रोग . .	२०३३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .		२०३३–३४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ३१ मार्च, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी ।

(दो) ३१ अक्तूबर, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५७ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य के बारे में सांख्यिकीय जानकारी ।

(२) हिमाचल प्रदेश बीज आलू (नियंत्रण) आदेश, १९५७ की एक प्रति

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति :—

(एक) मोटर गाड़ियां अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन नियम, १९३३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ मार्च, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या ५३७ ।

(दो) मोटर गाड़ियां (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ मार्च, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या ५३८ ।

(तीन) मोटर गाड़ियां (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ मार्च, १९५६ की एस० आर० ओ० संख्या २५१० ।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . २०३३—३५

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वर्ष १९५७–५८ के आयव्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने ९ दिसम्बर, १९५७ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

समिति के लिये निर्वाचन . २०३६

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य अपने में से दो सदस्यों को भारत की क्षयरोग संथा की केन्द्रीय समिति के लिए सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित . . २०३६–३७

(१) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, १९५७

(२) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक, १९५७

(३) सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक, १९५७

(४) डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक, १९५७

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . २०३८

चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ . . . २०३८—५५

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . २०५५–५६

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाये । उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—पुरःस्थापित . . . २०५६

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का समान पारिश्रमिक विधेयक, १९५७

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक--अस्वीकृत . . २०५६--७१

(१) श्री अ० क० गोपालन के बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक, १९५७ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। पक्ष में ३१ तथा विपक्ष में ९५ मतों द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(२) श्री दी० चं० शर्मा के बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक १९५७ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। पक्ष में ३५ तथा विपक्ष में ७० मतों द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--विचाराधीन . . . २०७१--७३

श्री कोडियान ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा २०७३--७७

श्री साधन गुप्त ने खाद्यान्नों पर अग्रिम धन के सम्बन्ध में १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा उठाई।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि--

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर अग्रेतर विचार।

	पृष्ठ
श्री शाहनवाज़ खां	२०५४
श्री स० चं० सामन्त	२०५४
श्री नौशीर भरूचा .	२०५४-५५
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिए प्रस्ताव . .	२०५५-५६
श्री आबिद अली . . .	२०५५-५६
समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित . . .	२०५६
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—	
विचार के लिए प्रस्ताव	२०५६—६३
श्री त्रि० कु० चौधरी .	२०५६-५७
श्री नारायण्न कुट्टि मेनन .	२०५७
श्री बाल कृष्ण वासनिक .	२०५७—५९
श्री आबिद अली . .	२०५९—६२
श्री अ० क० गोपालन . . .	२०६२-६३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिए प्रस्ताव	२०६३—७१
श्री दी० चं० शर्मा	२०६३-६४
श्री विभूति मिश्र .	२०६४-६५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . .	२०६६
श्री ब्रजराज सिंह . .	२०६६-६७
श्री वें० प० नायर	२०६७
श्री अ० कु० सेन . . .	२०६७—७०
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२०७०
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छट्टी विधेयक—	
विचार के लिए प्रस्ताव . . .	२०७१—७३
श्री कोडियान	२०७१-७२
श्री नारायणन कुट्टि मेनन . . .	२०७२-७३
श्री अ० सिं० सहगल	२०७३
आधे घंटे की चर्चा—	
खाद्यान्नों पर अग्रिम धन	२०७३—७७
श्री साधन गुप्त . .	२०७३-७४
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . .	२०७४—७७
दैनिक संक्षेपिका	२०७८—८४
समेकित विषय सूची (२३ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७) . .	(१—८)

P. L. S. 41. IX. 20. 57.
160

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।